महानगर नई दिल्ली मंगलवार 24 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

मोदी ने कहा, जल संरक्षण पर 50 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

संयुक्त राष्ट्र में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जल प्रबंधन के कई उपाय कर रहा है। जल संरक्षण की प्राथमिकताओं में है। भारत अपने कुछ वर्षों में जल संरक्षण पर 50 अरब डॉलर खर्च करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिहाज से आदतों में बदलाव लाने के लिए एक वैश्विक बाकी पेज 8 पर

'स्वास्थ्य पर ऐतिहासिक कदम उठाए'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सोमवार को कहा कि भारत सरकार ने सभी को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने बाकी पेज 8 पर

66 राष्ट्रों ने 2050 तक शून्य कॉर्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की मंशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने एक बयान में कहा, '2050 समूह के संदर्भ में 66 सरकारों के साथ 10 क्षेत्र, 102 शहर, 93 कारोबार और 12 निवेशक जुड़े हैं और ये सभी 2050 तक शून्य कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

जनरल रावत ने कहा

बालाकोट से बड़ी कार्रवाई करेगी सेना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान ने पीओके के बालाकोट में आतंकी शिविरों को फिर से सक्रिय कर दिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के जिन शिविरों को भारत ने हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया था, उन जगहों से दोबारा आतंकियों को प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारियां मिली हैं। जनरल रावत ने कहा कि सीमा और नियंत्रण रेखा के पार चल रहे आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना बालाकोट अभियान से भी बड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सेना ने सीमा पर पूरी तैयारी की है और नियंत्रण रेखा पर ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है।

चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में एक कार्यक्रम में सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला कर बालाकोट के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन पिछले आठ महीनों में पाकिस्तान इस जगह पर फिर से आतंकी गतिविधियां करने लगा है। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमला कर वहां चलाए जा रहे बाकी पेज 8 पर

बालाकोट में फिर से सक्रिय किए गए आतंकी शिविर, पिछले आठ महीने में बढ़ी गतिविधियां

'घुसपैठ की ताक में 500 आतंकी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान से करीब 500 घुसपैठिए भारत में घुसने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार घुसपैठियों का आंकड़ा बदलता रहता है। उन्होंने कहा, 'यह आंकड़ा बदलता रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि कम से कम 500 लोग हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं और यह न्यूनतम आंकड़ा है।' जनरल रावत ने कहा कि बर्फ पिघलते ही जम्मू-कश्मीर के उत्तरी हिस्से की ओर से घुसपैठ की कोशिश होती है और तापमान में गिरावट के बाद बर्फबारी की चपेट में आए क्षेत्रों से यह कोशिश की जाती है।

जनरल रावत ने कहा कि सीमा पार पाकिस्तान ने नए लांच पैड तैयार किए हैं। वहां पर आतंकियों के करीब आठ से 10 समूह मौजूद हैं। इन सभी को हथियार चलाने, वेश बदलने, स्थानीय लोगों के साथ घुलमिल जाने जैसे बाकी पेज 8 पर

9/11 हमलों के बाद अमेरिका का साथ देकर की बड़ी भूल : इमरान

न्यूयॉर्क, 23 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने 9/11 हमलों के बाद अमेरिका का साथ देकर बड़ी भूल की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को वो वादा नहीं करना चाहिए था जिसे वे पूरा नहीं कर सकती थीं। खान ने यहां विदेश संबंधों की परिषद (सीएफआर) में यह भी कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि वो भारत से कश्मीर से कर्फ्यू हटाने का आग्रह करे।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द कर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, शिमला समझौते और अपने खुद के संविधान को दरकिनार किया है। इस बीच **अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप** ने अगर दोनों देश सहमत होंगे तो मध्यस्थता करूंगा।

पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि वे पाकिस्तान को उन सभी देशों के बीच 'सबसे खतरनाक' मानते हैं, जिनसे अभी तक उनका पाला पड़ा है। इस बारे में पूछे जाने पर इमरान ने कहा, 'मुझे नहीं बाकी पेज 8 पर

'नियुक्तियों-तबादलों में दखल संस्था के लिए अच्छा नहीं'

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण न्याय प्रशासन के लिए अहम है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस संस्था के लिए अच्छा नहीं है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी की पदोन्नति के मामले में केंद्र को कॉलिजियम की सिफारिश लागू करने का निर्देश देने के लिए गुजरात हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम ने 10 मई को न्यायमूर्ति कुरैशी को पदोन्नति देकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि, बाद में कॉलिजियम ने न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ की याचिका लंबित रखते हुए कहा कि नियुक्तियां और तबादले न्याय प्रशासन की तह तक जाते हैं और जहां न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है। न्याय प्रशासन की व्यवस्था में हस्तक्षेप संस्थान के लिए अच्छा नहीं है। याची संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पीठ से कहा कि न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की कॉलिजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा अमल किए जाने तक इस याचिका को लंबित रखा जाए।

पीठ ने जीएचसीएए के इस कथन से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस मामले को केंद्र के निर्णय के बाद सूचीबद्ध किया जाए।

न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करने के लिए कॉलिजियम ने पांच सितंबर को हुई बैठक में निर्णय लिया था। कॉलिजियम के इस प्रस्ताव को शुक्रवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी आयकर जांच के घेरे में

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल सिंहल लवासा कथित कर चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने लवासा की पत्नी को एक नोटिस जारी कर करीब 10 कंपनियों के निदेशक मंडल में रहने के सिलसिले में अपनी आयकर (आइटी) रिटर्न में दिए कुछ खास ब्योरे के बारे में बताने को कहा है।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद विभाग ने उनसे अपने निजी वित्त (फाइनेंस) के बारे में और अधिक ब्योरे उपलब्ध कराने को कहा है।

उन्होंने बताया कि विभाग नोवेल सिंहल लवासा की आइटीआर को खंगाल रहा है ताकि यह पता बाकी पेज 8 पर

हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाना मुश्किल होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान के तौर पर अयोध्या के संबंध में हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाना मुश्किल होगा क्योंकि कुछ मुसलिम गवाहों ने भी इसे हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र बताया है, जितना उनके लिए मक्का है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मुसलिम पक्षकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन से सवाल किया था कि क्या किसी देवत्व और किसी प्रतिमा या देवता का 'मूर्त रूप' उसे 'न्यायिक व्यक्ति' ठहराने के लिए आवश्यक है।

पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, 'यहां तक कि मुकदमे के दौरान मुसलिम गवाहों ने भी कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए उतनी ही पवित्र है, जितना उनके लिए मक्का। हिंदुओं की आस्था का खंडन करना मुश्किल होगा।' सुन्नी वक्फ बोर्ड और मूल वादी एम सिद्दीक समेत अन्य की ओर से पेश हुए धवन ने कहा कि केवल आस्था मालिकाना हक का दावा करने और 'जन्मस्थान' को बाकी पेज 8 पर

बेटी पैदा होने की खुशी में जलाए पटाखे, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बेटी पैदा होने की खुशी में पटाखे छोड़ना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र होने की वजह से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विवेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र का मामला

दिल्ली में तेज आवाज वाले पटाखे चलाने पर रोक है, इसके बावजूद गुप्ता पटाखे जला रहे थे। बेटी होने की खुशी में वह नियमों को भूल गए और कानून तोड़ बैठे। दिल्ली में केवल दिवाली पर ही हरित पटाखे जलाने की इजाजत है। प्रधानमंत्री आवास के नजदीक होने के कारण पटाखों की आवाज सुनते ही तुरंत बाकी पेज 8 पर

झारखंड-गुजरात में पीटकर दो की हत्या

एक पर गोकशी का तो दूसरे पर चोरी करने का शक

खूंटी/जामनगर, 23 सितंबर (भाषा)।

झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में रविवार रात भीड़ ने शारीरिक रूप से अक्षम एक व्यक्ति की गोकशी के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी। दूसरी ओर गुजरात के जामनगर जिले में चोर होने के संदेह में सात लोगों के समूह ने एक अज्ञात व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

झारखंड पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने रविवार को कल्मतुष बारला, फागू कच्छप और फिलिप होरो को जलतांगा गांव में नदी के निकट मृत गाय के साथ देखा और उनकी पिटाई कर दी। रांची के डीआइजी अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि वह स्वयं और खूंटी के डीसी सूरज कुमार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। घटना सुवारी जलटंडा गांव के पास हुई। गोकशी के संदेह में पास के ही गांव महतो टोली के लोग मौके पर पहुंचे और तीन लोगों को पीटा जिनमें बाकी पेज 8 पर

गो-तस्करी के संदेह में पिटाई

जयपुर, 23 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान के अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक कथित गो-तस्कर की कुछ ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि रविवार रात को शाहजहांपुर में दो जीपों से गो-तस्करी की सूचना पर नाकेबंदी की गई थी। एक जीप पुलिस दल को गच्चा देकर निकल गई जबकि दूसरी जीप को फूसा की ढाणी में ग्रामीणों ने रोक लिया। जीप में छह-सात गोवंश ले जाए जा रहे थे। ग्रामीणों ने जीप में सवार मुनफेद खान की पिटाई कर दी। भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर ने बाकी पेज 8 पर

दरअसल

एकजुटता का शानदार प्रदर्शन बताया | **भागीदारी** | कहा, साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई

'हाउडी मोदी' को एक सुर से सराहा अमेरिकी राजनेताओं ने

वाशिंगटन, 23 सितंबर (भाषा)।

अमेरिकी शहर ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में रविवार को हुए 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की अमेरिकी राजनेताओं ने जमकर सराहना की जबकि वहां के बड़े अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से जगह दी। मित्रता और साझा दृष्टिकोण के शानदार प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने एनआरजी स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम 'हाउडी मोदी' में मंच साझा किया और रेकॉर्ड संख्या में पहुंचे 50 हजार भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित किया।

कांग्रेस सदस्य पेटे ओल्सन ने कहा, 'हाउडी मोदी कार्यक्रम में क्या भीड़ थी! टेक्सास के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसे विशाल जनसमूह का हिस्सा बनकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है।' टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉर्निन ने कहा, '50 हजार से अधिक उत्साही प्रशंसकों की मौजूदगी वाले 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ह्यूस्टन आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद।' कॉर्निन ने कहा कि दोनों देश स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्वतंत्र उद्यम के समान मूल्य साझा करते हैं तथा वे हमेशा अपने संबंधों को गहरा करने के लिए नए अवसर तलाशेंगे। उन्होंने कहा, 'मोदी का स्वागत करने से बढ़कर सम्मान की कोई और बात नहीं है।'

टेक्सास से कनिष्ठ सीनेटर टेड क्रूज ने कहा, 'भारत धरती पर सबसे बड़ा लोकतंत्र बाकी पेज 8 पर

रणनीतिक भागीदारी तेज होगी : वेल्स

अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने कहा कहा कि ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त संबोधन वाला भव्य 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम उच्च विचारों और दूरदृष्टि वाले नेतृत्व का शानदार प्रदर्शन था जो भारत तथा अमेरिका के बीच रणनीतिक भागीदारी की गति में आगे और तेजी लाने का काम करेगा। उन्होंने ट्वीट किया, 'ट्रंप और मोदी मिलकर अमेरिका-भारत की रणनीतिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए साझा प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं।'

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

We, Dhaval Gupta and Mrs. Kinnari Sanghvi, Parents of Ehaan Gupta (Date of Birth: February 13, 2019) R/o D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, have Changed our Son's name Ehaan Gupta to Ehaan Sanghvi Gupta for all future purposes. 0040513480-1

It is for general information that I, RAMDEV KAMAT S/o Sh. Siyaram Kamat R/o H.No. -47, Singalpur Village, Shalimar Bagh, Delhi - 110088, informs that name of mine has been wrongly written as RAMDEV in my minor daughter's Preeti (15 Years) in her School Record. The actual name of Mine is RAMDEV KAMAT which may be amended accordingly. 0040513476-1

I, Yogesh,S/o Shri.Ramji Sharma R/o-222,Aliganj, Kotla Mubarakpur, New-Delhi-110003, have changed my name to Yogesh Sharma.,for all future purposes. 0040513517-1

I, Vishnu S/o Raj Pal R/o-RZ-36 A/6 First-Floor Gali-1,Dada Chhatri Wala Marg, Raj Nagar-1,Palam Colony,Delhi-110077,have changed my name to Vishnu Panwar Permanently. 0040513453-2

I, Vishal Sharma S/o late sh.Raj Kumar Sharma R/o E-121 Assotech Windsor Park Plot 5 Indirapuram Ghaziabad U.P.-201014, have changed my son's name from Astitv sharma to YASH SHARMA for all purpose. 0040513460-1

I, Virendra Singh s/o Sultan Singh r/o WZ-549A, Naraina Village, New Delhi-110028, have changed my name to Virender Singh. 0040513509-1

I, Vinod Gupta S/o Late Sh. Ramdin Gupta R/o WE-167, Gali No-7, Ganesh Nagar-2, Shakarpur, Delhi-110092 do hereby solemny inform that Vinod Gupta and Rajendra Prasad both are one and the same person, and in future will be known as Vinod Gupta. 0040513483-1

I, Varsha Bamania D/O Ram Parkash H. No-19, Street. No-6, Shastri-Nagar, Delhi-110031, Changed My Name To Varsha. 0040513514-4

I, Tehsina Parveen,W/o-Sh.Aminuddin R/o-3085, 3rd-Floor, Partap-Street, Near-Golcha Cinema-Park ING, DaryaGanj, N.Delhi-110002.have changed my name to Taseena. 0040513514-7

I, Teejram S/o Dasru Ram R/o-A505, Sanjay Camp, Chanakya puri, New Delhi-21 have changed my name to Tijram. 0040513496-2

I, Swarn Lata D/O Budh Sen Gangwar, R/O-B-701,Shatabdi Rail-Vihar, Sector-62, Noida,Gautam Budh-Nagar, U.P.201301.,changed My Name To Swarn Lata Gangwar. 0040513499-4

I, Shail Drangi D/o P. N. Sharma R/o 602/DA2, Jai Maa Durga apt., Ward No. 3, Mehrauli, New Delhi-110030, have changed my name to SHAIL DRANGI SHARMA for all future purposes. 0040513457-1

I, Sushil Kumar S/o Late Shri G. K. Balha R/o Flat No. 13, F-Block, Alaknanda Apartments, Rampuri, Ghaziabad Pin-201011 have changed my name from Sushil Kumar to Sushil Kumar Balha for all purposes. 0040513485-1

I, Sushil Chaudhary S/o Sh. Dharampal R/o H.No. 5807, Gali No.6, New Chandrawal Nagar, Jawahar Nagar, Delhi-110007 inform that name of mine has been wrongly written as Sushil in my minor son Himanshu Mandaar aged 17 years 10th class marksheet & certificate. The actual name of mine is Sushil Chaudhary, which may be amended accordingly. 0040513449-2

I, Surinder Kumar Singal S/o Jagmohan Singal R/o H.No. 86, Pocket-4 and 5, Sector 23, Rohini, ND-85, have changed my name to Surinder Singal for all purposes. 0040513521-1

I, Sunil Kumar S/o Shri Dharam Pal Singh R/o.D-1/579,Gali No.13,Ashok Nagar, Shahdra, Delhi-110093,have changed the name of my minor Son aged about 14Years from Dinesh to Dinesh Kumar for all future Purposes. 0040513496-6

I, Sunil Jadli S/o Sachida Nand R/o 74-C, Pocket A-3, Mayur Vihar, Phase-3, Delhi-96, have change my name to Sunil Kumar for all future purposes. 0040513494-1

I Gaurav Kumar S/o Ajay Kumar R/o.1038 Sector-8 Noida-201301,Inform that my Father's Name is wrongly mentioned in my Educational certificate as Ajay Kumar Pavarcha instead of Ajay Kumar. Have changed my name Gaurav to Gaurav Kumar for all future purposes. 0040513489-1

I Ashok Kumar Verma S/o Shyam Sunder Verma R/o WZ-485/10-B Basai Darapur Delhi-15.have changed my name to Ashok Soni. 0040513499-8

व्यक्तिगत

I, Suman Rana W/o Ravinder Singh R/o H.No. 12/5A, Basai, Gurgaon-122001, Haryana, have changed my name to Suman Kataria for all purposes. 0040513524-1

I, Sudha Kumari W/o-Raj Kishor Singh R/o:O-74A ,New Mahavir-Nagar, New-Delhi-18.Have Changed My Name to Sudha Singh. 0040513499-1

I, Subhash S/O Sunder Lal Chugh R/O-C-128, 3rd-Floor, Jeewan-Park, Uttam Nagar, N.Delhi-110059,. Changed My Name To Subhash Chugh. 0040513514-5

I, Siddharth Nagar S/o.Jaibir Singh R/o-H.No793 Sector-17,Faridabad.My father.& Mother Name is Wrongly Written in my-10th Certificate Jaibeer Nagar.&Nagesh Nagar.& 12th-Certificate Jaibir Singh Nagar.& Nageshwari Nagar.The Correct name is Jaibir Singh.& Nageshwari. 0040513453-3

I, Shweta W/o Ashwani Kumar R/o E-13, Uttam Nagar, ND-59, have changed my name to Savita for all purposes. 0040513548-1

I, Shradhanjali Rout D/o Sh. Deen Bandhu Rout R/o K-63/12, Sourabh Vihar, Jaitpur, Badarpur, New Delhi-44, have changed my name to Shradha Rout for all purposes. That Shradhanjali Rout & Shradha Rout is the one and same person. 0040513488-1

I, Shahid Idreesi,R/o-R-14, First-Floor, Gaffar-Manzil, Haji-colony, Jamia-Nagar Part-2,Okhla, Delhi-10025, have changed my minor son's name,from Zahid to Mohammad Zahid. 0040513499-9

I, Shahid Idreesi,R/o-R-14, First-Floor, Gaffar-Manzil, Haji-colony, Jamia-Nagar Part-2,Okhla, Delhi-10025, have changed my minor daughter's name,from Samiya to Samiya Idreesi. 0040513499-10

I, Sehenaj W/O Mohd Umar R/O-545, Kabir-Basti Malkaganj Subzi-Mandi Delhi-110007,Have Changed My Name To Sehenaz. 0040513528-2

I, Saurabh Goyal S/o Ajay Goyal R/o-Village & Post Fatehpur, BillochBallabgarh, Faridabad, have changed my name to Saurav Goyal. 0040513453-1

I, Satyam S/o-Arun Kumar R/o K-1090/13, Ratiya Marg, Sangam Vihar, New Delhi-110062 have changed my name to Satyam Chauhan. 0040513517-5

I, Sarthak S/o Amit Kumar Rajora R/o RZ.F 772/19 Gali No.13 Raj-Nagar Part-II Palam Colony ND-45 changed my name to Sarthak Rajora. 0040513461-5

I, Satish Kumar S/o-Padam Chand R/o-J-102A, 3rd-Floor,J-Block, Street.No.6, Laxmi-Nagar, Delhi-110092,have changed my name to Satish Kumar Malhotra, permanently 0040513499-3

I, SHEEMA ZIA D/o Mr. Ziaullah Siddiqui R/o H-8, 2nd Floor, Azad Road, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name from Sheema Zia Siddiqui to SHEEMA ZIA & my actual date of birth 21-07-1991 in our all documents. Now I shall be known as SHEEMA ZIA & DOB 21-07-1991 for all future purposes. 0040513458-1

I, Roji Singh W/o Sh. Rahul Kumar R/o.38/15, Pocket-7,Janta Flats,Sector-82, Maharishi Nagar,Gautam Budh Nagar,Noida,UP-201301, that inadvertently in the Marksheet of my minor daughter namely Poorva Kumari aged-15Years,my name has been wrongly written as Rosi Sinha instead of Roji Singh. 0040513496-4

I, Ramesh Kumar Goel alias Ramesh Chand Goel S/o Late.Bhagat Ram Goel, R/O-CP-9,Pitampura,Saraswati-Vihar,Delhi-110034.,have changed my name to Ramesh Goel. 0040513517-6

I, Raiso S/o Abdul Rashid R/o C-258, Mir Dard Road, near Gurudawara Mata Sundri Road, Darya Ganj, Delhi-110002, have changed my name from Mohd. Rashid to Raiso for all future purposes. 0040513450-1

I, Rabia Khatoon W/o Late Mohd.Awais Ansari R/o-2185/8A1,Guru Arjun Dev Nagar,Shadipur,New Delhi-110008,have changed my name to Rabia Sultana For all future purposes 0040513453-5

I, Puspander son of Shri Ombir Singh, resident of Apartment No. 3B, Tower-20, Central Park-II, Sector 48, Sohna Road, Gurugram, have changed my son's name FROM NISHRAVY RAGHAV TO NISHRAVYA S RAGHAV for all future purposes. 0040513481-1

I Lokesh Kumar S/o Gyan Chandra Pal R/o Sector122, Parthla Khanjarpur, Noida, Guatham BuddhaNagar, Uttar Pradesh, PIN - 201301 Have Changed MyName To Lokesh Pal For All Purposes 0070675551-1

I Lalita W/o Sanjeev Malik R/o-878/27 Ward.No-6 Peelkhana Mehrauli New Delhi-110030-have changed my name to Lalita Malik. 0040513552-2

I, Seema Jain W/o Rakesh Kumar R/o.A-3/38, Sector-16,Rohini, Delhi-110089,have changed my name to Neelam Jain. 0040513496-1

I, Punam Yadav d/o Braham Prakash Yadav w/o Joginder Singh Yadav r/o WZ-634, Madipur Village, New Delhi-110063, have changed my name to POONAM YADAV. 0040513445-2

I, Parwaz Ahmd S/o Mohd. Jamaluddin R/o-A-1082 Gali.No.28 Shri-Ram Colony Rajiv Nagar Khajuri Delhi-110094,changed my name to Parwez Ahmad. 0040513514-2

I, Parmanand S/o Sh. Rishi Ram Kahnduri R/o.436,Block-1, Sector-6,Ambedkar Nagar,New Delhi-110062,have changed my name to Parmanand Khanduri for all future purposes. 0040513496-5

I, Pardeep Kumar S/o Sh. Balwan Singh R/o H.No.2A. KH No. 195/1, Village Kakrola, Delhi-78, have changed my name to Pradeep Kumar for all purposes. 0040513522-1

I, Nilam Mohan Shinde Spouse of No.15566294N HAV Sabale Sandip SureshResident of-At/Post-Ambawade (S.W.), Teh- Koregaon, Distt.- Satara, Maharashtra-415011 have changed my name from 'Nilam Mohan Shinde' to 'Nilam Sandip Sabale' vide affidavit dated 23/09/2019 before Delhi High Court. 0040513230-1

I, Neeraj Kumar,S/O Satnam Arora Flate.No-K6, Parvanavihar-Apartment Plot No-52, Sector-9,Rohini, Delhi-110085,Have Changed My Name To Neeraj Arora. 0040513528-1

I, Mrs. Jasvinder Kaur W/o Mr. Avtar Singh R/o H.No.129, Sultanpur Colony, Fatehpur Beri, New Delhi-110030, have changed my name from Jaswinder Kaur to Jasvinder Kaur for all future purposes. 0040513441-1

I, Pawan Kumar S/o Sh. Sohan Lal R/o-S-244/105, Shiva-Camp, Vasant Vihar, New Delhi-110057.have changed my name to Pawan Singh. 0040513461-2

I, Mohd Zubair S/o Mukhtar Ahmed R/o H.No-6365, Gali Jumman Wali, Quresh Nagar, Qasab Pura, Idgah Road, Sadar Bazar, Delhi-110006 have changed my name from Mohammad Zuber to Mohd Zubair for all future purposes. 0040513462-1

I, Mohammad Faizan S/o Mohd Salim R/o Z-27/C, DDA Flats New Ranjit Nagar New Delhi-110008 have changed my name to Mohammad Faizan Khan. 0040513455-1

I, Minakshi Rani W/o-Lalit Kalra R/o-H.No. 3D, Near SBI Bank, New Colony, Gurgaon-122001 have changed my name to Minakshi. 0040513514-9

I, Maya Rawat,w/o Shri.Bhagwat Singh Rawat,R/oH.No.2/6, Krishna-Nagar,New-Delhi-110051, declare that Maya Rawat and Maya are both names of mine and same person 0040513517-2

I, Manoj Kumar S/O Moti Sao R/O-4326/59, Raigar-Pura, Gali No-59, KarolBagh, N.Delhi-110005., Changed My Name To Manoj Kumar Shaw. 0040513514-3

I, Manglesh Kumar Thakur @ Manglesh Thakur S/o-Lallan Thakur R/o-RZG-628A, Raj-Nagar-2, Palam-Colony, New-Delhi-110077,have Changed My Name to Mangleshwar Kumar Thakur. 0040513461-10

I, Mahesh Chand Verma S/O Narayan Swaroop Verma R/O-H-32,Gulshan Vihar, Bhopura, Ghaziabad-201005.(U.P.) Have Changed my Name to Mahesh Verma. 0040513499-2

I, Lalaji S/o Jagannath R/o-H.No.22, Village-Ainpur, Post-Babhangawan, Sultanpur, UP. have changed my name to Lalji Gupta for all purposes. 0040513514-10

I, Komali Kanamarlapudi alias Komali,W/o-Venkata Hari Prasad Gupta Bandaru,R/o-Flat. No.G-1106,BPTP-Princess Park, Sector-86, Faridabad-121001.have changed my name to Komali Bandaru. 0040513514-8

I, Khushi Mahavar R/o B-44 Ground Floor, Mayfield Garden, Sector-50, Nirvana Country, Gurgaon, Haryana-122018 have changed my name to Khushi Mahawar. 0070675577-1

I, Kazi Md Mudasser Mobin S/O Kazi Gulam Murtaza R/O-B-303, Taj-Enclave, Geeta-Colony, Delhi-110031.Have Changed My Name To Mobin Kazi. 0040513499-5

I, Kavita W/o Pramod Kumar Sharma R/o:H.No.326A, Gali.No.12, Sadh-Nagar, Palam-Colony, New-Delhi-110045,Have Changed My Name From Kavita@Kavita Sharma To Kavita Joshi,For All Future Purposes. 0040513461-8

I, Nadeem Ahmed S/O Wahid Hussain R/O-H-655 Ground-Floor Gali.No.4 Gadda-Colony Delhi-110044 Have Changed My Name To Nadeem Ahmad. 0040513499-6

I Niti Dudeja D/o Santosh kumar Dudeja R/o H. No. 3-D/15, NIT-3, Faridabad (HR) have changed my name from Niti Dudeja to Neeti Dudeja for all future Purposes. 0040513528-5

I Nirmal Kaur Gandhi W/o Vivek Prasad R/o E1101, Suncity Heights, Suncity, Sector-54, Gurgaon-122009 have changed my name to Nimmi Prasad for all purposes. 0040513461-6

व्यक्तिगत

I, KM Neema D/o Hari Dutt R/o Khasra no. 268, Uttrakhand Enclave, Burari, Delhi 110084. I have changed my name from KM Neema to Neema Bhardwaj for all purposes. 0040513461-1

I, Isha D/o S. Narinder Singh R/o H.No.WZ-130A, 2nd Floor, Street No.6, Lajwanti Garden, New Delhi-110046 have changed my name to Ikjas Kaur for all purposes. 0040513449-1

I, Iqra Majaj W/o Ubaid Ul Haque R/o C-9, 2nd floor, Nizamuddin West, New Delhi, have changed my name to Iqra Ubaid for all purposes. 0040513529-1

I, Hitherto known as Shagun Arrora,D/o Late.Ashok Kumar Arora Residing-At Flat-No - 7,3rdFloor,Cottage-Enclave, Paschim-Vihar,New Delhi-110063,have changed my name and shall hereafter be known as Timsy Arora. 0040513517-8

I, Mathura Prasad S/o Tota Ram Prajapati R/o H.No.124, Pocket-5, Sector-25, Rohini, Delhi-85, have changed my name to Mukesh Kumar Prajapati for all purposes. 0040513486-1

I, Heena Ahmed W/O Shakil Ahmed R/O-1199, Baradari-Phatak Habash Khan Behind Novelty-Cinema Delhi-110006,Have Changed My Name To Hina Ahmed. 0040513528-3

I, Harish Chandra S/O Shiv Dutt R/O- Rzn 15n Third-Floor Nanda-Block Mahavir Enclave Delhi-110045, Changed My Name To Harish Chander Joshi. 0040513461-3

I, Gobind S/O Ram Singh R/O 128/11,Main Gali, Nehru Park, Bahadurgarh, Jhajjar-124507.Have Changed My Name To Gobind Sawroop. 0040513499-7

I, Gaura Devi Sharma D/o Hari Prasad Sharma W/O, Bhanu Prakash Dixit R/o A-164, Gali No.-4, Kabir Nagar, Shahdara, Delhi-94 have changed my name to Gauri Dixit. 0040513528-6

I, Gagandeep D/o Late. Wattan ChandW/o Davinder SinghR/o-RZF 1/340, Gali.No-3, Mahavir Enclave, Near Palam Village,New Delhi-110045, have changed my name to Suman Kumari for all future purposes. 0040513538-1

I, G.N. Mishra, S/o P.C.Mishra R/o-Unique Apartment, Flat.No.14, Sector-13, Rohini Delhi-85,changed my name to Girija Nand Mishra,for all purposes. 0040513514-1

I, Fozia Masood W/O Masood Ahmed R/O-7074, First-Floor Beri Wala-Bagh Aza Market Delhi-110006,Have Changed My Name Tojamila Khatoon. 0040513528-4

I, Farhan S/o-Mohammad Ahmad R/o-H.No.870,Gali-Kinare-Wali, Chandni-Mahal, Daryaganj, Delhi-110002, changed my name to Farhan Ahmed,for all purposes. 0040513514-6

I, Faizan S/o Late Mohd.Awais Ansari R/o-2185/8A1,Guru Arjun Dev Nagar, Shadipur, New Delhi-110008,have changed my name to Md Faizaan Ansari For all future purposes 0040513453-4

I, Charanjeet Sharma, S/O-Balmukand Sharma R/O-4/151 old-tezab mill, bholanath-nagar, shahdara, Delhi-110032.have changed my name to Charanjeet Parashar,for all purposes. 0040513517-4

I, Bhagwat Singh Rawat,s/o Shri.Anand Singh Rawat, R/oH.No.2/6,Krishna-Nagar,New-Delhi-110051. inform that Bhagwat Singh Rawat and Bhagwat Singh are both names are mine and same person. 0040513517-3

I, Aqli Rashid R/o B -88 B -89, Top Floor, Anand Floor, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi 110059 have changed my name to Aqil Rashid 0070675586-1

I, Anita Devi W/o Shri Kishan Mohan R/o H. No.– 2400A/1, Gali No.–19, New Ranjeet Nagar, New Delhi–110008, have changed my name from Manju Devi to Anita Devi for all future purposes. 0040513559-1

I, Anand Singh Latwal S/o Pan Singh R/o E-61 Nehru Enclave Near Mini Stadium Alipur Delhi-110036 inform that Anand Singh Latwal and Anand Singh is same person. 0040513461-7

I, Alka W/o Amit Kumar Rajora R/o RZ.F 772/19 Gali No.13 Raj-Nagar Part-II Palam-Colony ND-45 changed my name to Alka Singh. 0040513461-4

I, Akhileshwar Prasad S/o Sukut Shah R/o-B-135, B-58, Rama-Road, New Delhi-110015 have changed my name to Akleshwar permanently. 0040513517-7

I Maninder Sharma W/o Sanjeev Sharma R/o-D-2/2577 Vasant Kunj New Delhi-110070-have changed my name to Maninder Virdi. 0040513552-1

I Satpal Singh S/o Ram Swaroop R/o-878/27 Ward.No-6 Peelkhana Mehrauli New Delhi-110030-have changed my name to Satpal Malik. 0040513552-4

I Sanjeev Kumar S/o Satpal Malik R/o-878/27 Ward.No-6 Peelkhana Mehrauli New Delhi-110030-have changed my name to Sanjeev Malik. 0040513552-3

I, Abid Hussain S/o Mr. Abdul Hakeem R/o D-17, Haji Colony, Ghaffar Manzil-II, New Delhi-110025 have changed my minor son's name from Md Zubair Abid to MOHD ZUBAIR for all future purposes. 0040513458-2

I hitherto known as Jayesh Sanjaya Rastogi alias Jayesh Rastogi S/o Sanjaya Rastogi residing at F-6, Associated Apartments, 83 I P Extension, Patparganj, East Delhi, Delhi–110092, have changed my name and shall hereafter beknown as Jayesh Rastogi. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040513503-1

I hitherto known as Mr.Arun Vasudevan Nair D/o- Vasudevan Nair R/o-F-Block, 19, New-Number-125, Gali.no.6 East Vinod-Nagar, Mandawali, Delhi-110091.have changed my name and shall hereafter be known as Ms.Parvati Nair. 0040513461-9

I Vijayalakshmi W/o- Kandamangalam Subramanian Chandrashekar R/o-G-302 Plot.No-12 Udyog-Vihar CGHS-LTD Sector-22,Dwarka New-Delhi-110075,have changed my name to Vijaya Lakshmi. 0040513552-5

I Shanti Devi W/O, Lt. Rohtash R/o Hn-613 Gali No-13 Swami Shradhanand Nand Colony have changed my name to Santosh for all purposes. 0040513539-1

खोया+पाया

I, Amit Kumar s/o Rakesh Kumar R/o-GA/109 Gupta colony-pul pehladpur new Delhi-44 have lost my original-certificate class-10th year-2013 Rollno-8769612 CBSE-Delhi. 0040513528-8

I, PARVEEN Kumar S/o Sube Singh R/oVillage-Bamnoli Dwarka sec-28 N.D-77 have lost my original-certificate class-10th year-2011 Rollno-8755149 CBSE-Delhi. 0040513528-10

It is notified for the information that my original-qualifying examination certificate of main, secondary examination of the year-1999, roll no.5105035 and original qualifying examination certificate of main, senior-secondary examination of the year-2001, roll.no.5615795, both issued by CBSE has been actually lost.Name of the candidate: Dhiraj Kumar Full-address: 524, naval technical officers cghs, plot-3a, sector-22, Dwarka, Delhi-110077 Tel:9650204337. 0040513552-7

I, ANUSHKA D/O Narender kumar R/o-A-41,st.no-5/2 Rama-garden karawal nagar Delhi-94 have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno -8625920 CBSE-Delhi. 0040513528-9

I, ANCHAL D/O Mahaveer R/o h.no-B-124/2 vijay-vihar ph-2 Rohini Avantika Delhi-85 Have lost my original-certificate class -10th year-2013 Rollno-8716558 CBSE-Delhi. 0040513528-7

खोया पाया

मैं, सतीश अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री प्रकाश चंद, निवासी नोएडा, सूचित करता हूं कि मेरा एक बाला बैग, जिसमें मकान नं. 145, सैक्टर 15ए, नोएडा, के प्रोपर्टी पेपर- Allotment Letter, Lease Deed, Transfer Deed - है, संजीवन अस्पताल, दरिया गंज, के पास दिनांक 06.09.2019 को गुम हो गये है। जिस किसी को यह बैग मिले कृपया करके नीचे दिये गये फोन नं. पर सूचित करें।

8447835580, 011-43546000

Public Notice

It is for general information that I, Deepak Pandey S/o Shri Indra Mani Pandey R/o 609/6, Indra Colony, School Block, Mandawali Fazalpur, Delhi-110092, declare that name of my father and mother has been wrongly written as Indara Mani Pandey and Mithlesh in my Xth and XII educational documents. The actual name of my father and mother is Indra Mani Pandey and Mithlesh Pandey respectively which may amended accordingly.

Date:24.09.2019
Place:Delhi

अदालती सूचना

NOTICE

In the Court of Sh. **JAGDISH KUMAR, Ld. ASJ-04 (SHd) AT Karkardooma Courts, Delhi**

SH. AMIT KUMAR @ SHYAM SINGH
V/S
SH. MANISH KUMAR SHARMA

CR NO-28/19
PS-MS PARK

SH. MANISH KUMAR SHARMA
S/O LATE SH. PRAKASH CHAND SHARMA
SH. NAVEEN KUMAR SHARMA
S/O SH. PREM CHAND SHARMA
R/O 1-A/4639, MANDOLI ROAD,
RAM NAGAR, SHAHDARA, DELHI-32

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 09.10.2019 at 10 a.m., the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court this 21.09.2019.

SEAL

Sd/-
Judge

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती निर्मला पत्नी श्री फूल सिंह निवासी सी-5/88, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 ने अपने पुत्र प्रदीप कुमार, जितेन्द्र व भीम सैन और उनकी पत्नी गीता, सोनिया व स्वेता को उनके गलत चाल चलन व अनुचित व्यवहार, अवज्ञाकारी होने तथा नियन्त्रण से बाहर होने के कारण अपनी चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और भविष्य में उनके द्वारा किसी प्रकार के लेन देन एवम दीवानी फौजदारी मुकदमे आदि के लिये मैं और मेरे परिवारजन जिम्मेदार नहीं होगें।

विमल त्रिपाठी
एडवोकेट

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all including General Public that My client Sh. Sat Pal R/o House No. 24 Road No. 8, East Punjabi Bagh, Delhi, has hereby declare that he has already servered/ broken on 04.01.2012 from all their relations with his son namely Rajesh Bansal. Now again he disowning Rajesh Bansal and His wife Shivani and both children daughter and son them from all their movable and immovable properties. They have no right, title and interest in the properties and any body dealing with the aforesaid Rajesh Bansal and his family, shall be doing so at their own risk and conquences and my client shall not be responsible for any of the acts, deeds and things of Mr. Rajesh Bansal. He has withdrew his consent and permission by which he and his family was living with them and requested them to vacate. My client in his old age do not want to loose his peace and comforts at the instance Rajesh Bansal and his family.

Sd/-
(Ravinder Kumar Gupta)
Advocate
Ch. No. B-22, B.G.S. Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public at large that my client Mr. Ram, Niwas S/o Late Jainarayan, R/o G-18/12 Sector-15, Rohini, New Delhi has purchased backside portion area measuring 45.00 Sq. Mtrs. Approx. of Flat No. G-18/37, First Floor, Sector-15, Delhi-110089 without roof rights out of freehold built-up property area measuring 90.00 Sq. Mtrs., situated in the layout plan of Rohini Residential Scheme, Delhi- 110089 from Smt. Sonia W/o Late Ashok Trehan.

The abovesaid seller has represented that aforementioned property is free from all kind of charge, mortgage and the legal heirs of the previous owner/s of the subject property have no right of claim in this property.

If any person or persons, legal heirs of Smt. Sonia or Late Ashok Trehan, institution, company, bank, or NBFC have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given hereunder within 7 days from the date of publication of this notice.

Sd/-
RAVISH CHANDRA PATHAK (ADVOCATE)
OFFICE AT: D-158, SURAJMAL VIHAR, DELHI-110092
 # 9818982524, 9650281927

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients Sh. Suresh Roy, S/o Sh. Sudhanshu Roy and his wife Smt. Kajal Devi, W/o Sh. Suresh Roy, Both R/o B-400, Near Petrol Pump, Govindpuri, Transit Camp, Kalkaji, New Delhi-110019, have severed all their relationship with my son namely (i) Sh. Hari Shankar Roy, S/o Sh. Suresh Roy, and his wife namely (ii) Smt. Seema Roy @ Dass and their minor child, Both R/o B-400, Near Petrol Pump, Govindpuri, Transit Camp, Kalkaji, New Delhi-110019, due to their cruel, disobedient/ behaviour and non-compliance and grab of own properties, as they are no longer in their control. My clients have disowned them from all their movable and immovable properties situated (acquired) any where in Delhi and out of Delhi in India i.e. (i) R/o B-400, Near Petrol Pump, Govindpuri, Transit Camp, Kalkaji, New Delhi-110019; (ii) Plot No.35, Brajbasi Puram, Kisan Chowk, Char Murti, Hebatpur, Noida Extension (U.P.); (iii) Plot No.42, Brajbasi Puram, Kisan Chowk, Char Murti, Hebatpur, Noida Extension (U.P.); and (iv) Plot No.420, 12 Gaj, Madanpur Khadar, J.J. Colony, New Delhi. Any one dealing with both of them shall do so at his own risk and my clients will not be held liable in any of their dealings with any third party in any transaction whatsoever.

Sd/-
CHANDAN KUMAR
ADVOCATE
CH.- C.K. DAPHTARY LAWYER'S CHAMBER BLOCK, CONFERENCE HALL, SUPREME COURT OF INDIA NEW DELHI-110201 Mobile : 9891703623

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **Smt. Jagjeet Kaur** W/o Sh. Mukhjeet Singh R/o House No B-34, Vikas Marg, [illegible] Vihar, Delhi-110092, has disowned her daughter namely **Harpreet Kaur** W/o Sh. Nirmaldeep Singh and her family (including husband and children) and they shall have no rights or concern with my client or my client's moveable and immovable properties. In future they shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said Harpreet Kaur and her family. **Tarun Babbar** (Advocate) 84, Manu Apts., Mayur Vihar-I, Delhi-110092.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client **Smt. Shyam Kaur W/o Late Shri Jerman Singh R/o B-722, Aman Vihar, New Delhi-86**, has disowned /debarred her son Sunny & daughter-in-law Smt. Pinki, both R/o D-7/215, Sultanpuri, New Delhi-86, from her all moveable and immovable assets/properties located at anywhere, and also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her/their own risk/cost. **Kailash Kumar Jonwal Advocate, D-2/24, Sultanpuri, New Delhi-86**

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients Shambhu Singh and Maya Devi both R/o A-81, Sharda Puri New Delhi-110015 had disowned/debarred her daughter Shivangi Singh from inheriting their movable and immovable property and broken all relation, as she has set her life with a boy of different religion without the consent of my clients. Report also lodged with Kirti Nagar Police Station vide DD No.25A dated 11.08.2018. My client will be not responsible for any kind of dealing, illegal decision police/Court case against her.

Ashok Agarwal (Advocate)
Bar Room No.1, Near Bar Council Libray, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client NARAYAN PAWAR & SMT GOMTI both Resident of B-159, Ambedkar Nagar, Sector-2, Khanpur, New Delhi- 110080 has disowned their son VIPIN PAWAR OUR MOVABLE & IMMOVABLE properties B-164, Ambedkar Nagar, Sector-2, Khanpur, New Delhi & House no 58, GH/3, LIG FLATS, Paschim Vihar, New Delhi and severed all relations with his due to unrest/torture.

My client shall not be responsible for any of his acts, deeds and omissions.

SHIVE LAL (Advocate)
Ch. No. 554 Patiala House Courts New Delhi

PUBLIC NOTICE

[illegible]

AJAY GIRI ADVOCATES

[illegible]

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Sh. Amit Kharbanda S/o Late Sh. Charanjit Kharbanda alias Sh. Charanjeet Kharbanda R/o DDA Flat No. KC-4C, (2nd Floor) Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-52 has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold vide Application No. 0121130 Dated 13 September 2019 in DDA. All the original documents i.e. (1) DDA Allotment letter (2) DDA Possession letter (3) DDA N.O.C for electric and water connection (4) DDA site possession slip and Bank Challan etc. Vide DDA File No. F.4(579)72/LAB(H)MIG/DDA of the above flat have been lost. An N.C.R/LR. No. - 1504133/2019 to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch Delhi. Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above Named person at above address **Mobile No: 98182-55636** within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB)Housing/D.D.A, "D"-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-23.

बैंक यूनियनों ने हड़ताल टाली

नई दिल्ली, 23 सितंबर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की यूनियनों ने 26 और 27 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया है। वित्त सचिव राजीव कुमार की ओर से उनकी चिंताओं पर गौर करने के आश्वासन के बाद यूनियनों ने हड़ताल टालने का फैसला किया। (**भाषा**)

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

[illegible] (एडवोकेट)

PUBLIC NOTICE

[illegible]

ANOOP SINGH (Advocate)
[illegible]

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client SHRI SHIV KUMAR SON OF SHRI AMAR SINGH RESIDENT OF HOUSE NO. E-286, GALI NO. 8, EAST VINOD NAGAR, DELHI-110091, have disowned his son namely VINAY CHAUDHARY (Unmarried) and he shall have no right or concern with me or my moveable and immovable properties. In future I shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said VINAY CHAUDHARY.

Advocate Tarun Babbar
Delhi High Court
Enrol. No. D/3769/18

PUBLIC NOTICE

I declare that my client namely MRS. KRISHNA DEVI W/O LATE SHRI JANKI PRASAD, R/O RZ-120 A RZ TEXT BLOCK, VISHWAS PARK, UTTAM NAGAR, WEST DELHI, DELHI-110059 wants to disown her son's wife namely smt. SAROJ BALA and SAROJ BALA's son shri RAVIKANT, from self acquired movable and immovable property for future all actions and above statements are true and correct in the best of my knowledge and belief.

SURVPRIYE (Advocate)
Dwarka Court

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that I, Raju S/o Sh. Dushyant Kumar aged about 31 years R/O 41A, Nahar Singh Wali Gali, Tigipur, North West, Delhi-110036, have changed my name from "RAJU" to "RAJU CHAUHAN" for all intents and purposes vide Affidavit-cum-Undertaking dated 07.09.2019 sworn before Notary Sh. O.P. Choudhary having Regn. No.1468.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

The Indian Express Classifieds

EXPRESS EDUCATION

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS & HOW TO CRACK IT

FREE SEMINAR

TILAK NAGAR
Sat. 28th Sept. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.

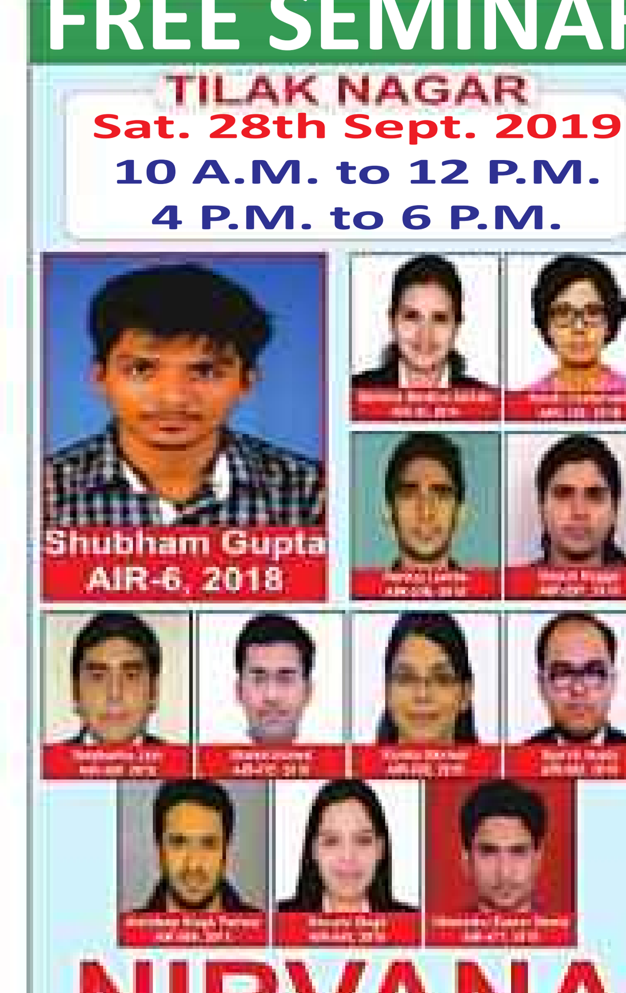

NIRVANA IAS ACADEMY

Batches Start 7th October 2019

Weekend Batches Available

www.nirvanaias.com

ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.

Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, जजों की कुल संख्या 34 हुई

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के चार नए न्यायाधीशों के सोमवार को शपथ ग्रहण करने के साथ शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ कर 34 हो गई है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई ने अदालत कक्ष-1 में एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही शीर्ष न्यायालय में सीजेआइ सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ कर 34 हो गई। न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 34 है। न्यायमूर्ति मुरारी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के, न्यायमूर्ति भट्ट राजस्थान हाई कोर्ट के, न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के और न्यायमूर्ति रॉय केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। केंद्र ने बुधवार को इन चारों न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 30 अगस्त को उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए पत्र लिखे जाने के कुछ दिनों बाद ये नियुक्तियां की गई।

अदालत परिसर से न्यायाधीश लापता

सतना, 23 सितंबर (भाषा)।

सतना में अदालत परिसर से सोमवार को 35 वर्षीय न्यायाधीश लापता हो गए। उनकी पत्नी ने यहां सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि कृष्णा सिह (34) ने सतना न्यायालय में पदस्थ अपने न्यायाधीश पति आरपी सिंह (35) के सोमवार को सतना के न्यायालय परिसर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। अर्चना ने बताया कि वह सतना न्यायालय में अष्टम व्यवहार न्यायाधीश के पद पर पदस्थ हैं और सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में शासकीय आवास में रहते हैं।

महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र

पुणे, 23 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोल्हापुर और सांगली जिला प्रशासन ने 5.5 लाख लोगों को डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र देने का फैसला किया है। पिछले महीने बाढ़ के दौरान इन लोगों के दस्तावेज या तो क्षतिग्रस्त हो गए थे या खो गए थे।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कोल्हापुर के 340 से अधिक गांव भारी बारिश के कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे।

24 रुपए किलो प्याज बेचेगी सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

राजधानी में प्याज की कीमतों में भारी उछाल के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। दिल्ली के लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार 24 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचेगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्याज की बिक्री 10 दिन में शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार द्वारा सस्ती दरों पर प्याज बेचने के फैसले की जानकारी देते हुए सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार मोबाइल वैन से प्याज बेचेगी। इसके लिए जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल, अधिक बारिश और आपूर्ति में कमी के चलते पूरे देश में प्याज का भाव आसमान छू रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज 57 रुपए प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है। लेकिन इसका खुदरा भाव 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक प्याज का खुदरा भाव मुंबई में 56 रुपए, कोलकाता में 48 रुपए और चेन्नई में 34 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं गुरुग्राम और जम्मू में प्याज 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्ट्रीट लाइटों को लेकर कहा कि उनकी सरकार 'मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत समूचे शहर में अंधेरे वाले स्थानों पर 2.1 लाख स्ट्रीट लाइट लगाएगी। उन्होंने कहा कि इन्हें लगाने की जिम्मेदारी शहर में बिजली वितरण करने वाली तीनों निजी कंपनियों (डिस्कॉम) की होगी। हर कंपनी 70,000 स्ट्रीट लाइट लगाएगी। उन्होंने बताया कि हर स्ट्रीट लाइट में एक सेंसर लगा होगा, जो सूर्यास्त होते ही इसे प्रज्वलित कर देगा। स्ट्रीट लाइटों को सीसीटीवी कैमरों की तर्ज पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना एक नवंबर से शुरू होने की संभावना है। विधायक स्ट्रीट लगाने के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में अंधेरे वाले स्थानों की सिफारिश करेंगे।

भाजपा ने प्याज को लेकर दिए 'आप' को सुझाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बढ़ती प्याज की कीमतों को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार तीन महत्त्वपूर्ण कदम उठाकर प्याज के दाम नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की कि प्याज के दामों को कम करने के लिए जमाखोरों पर छापेमारी की जाए। साथ ही केंद्र के साथ तालमेल कर तुरंत प्याज का नियंत्रण मूल्य घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा प्याज के स्टॉक को सीधा दिल्लीवासियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों का ठीकरा सीधा दिल्ली सरकार पर फोड़ा। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज के दामों पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले।

केंद्र ने अपने बफर स्टाक से नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज बाजार में उतारनी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार इस स्टॉक को तुरंत खुदरा माध्यमों से प्याज को जनता तक पहुंचा सकती है। सरकार जगह-जगह नियंत्रित मूल्य पर प्याज बेचने के लिए बिक्री केंद्र स्थापित करे।

धार्मिक आयोजकों को एक दिन में मिलेंगे बिजली कनेक्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनी बीएसईएस ने त्योहारों के मद्देनजर अस्थायी तौर पर एक दिन में बिजली का कनेक्शन देने की सेवा शुरू की है। इसके लिए बीएसईएस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दशहरा, दुर्गा पूजा, रामलीला और दीपावली को ध्यान में रखते हुए यह कदम बीएसईएस ने उठाया है। कनेक्शन लेने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता को जरूरत के सभी दस्तावेज लेकर जाना होगा, जिसके आधार अस्थायी तौर पर एक दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। इससे जहां एक ओर जेनरेटरों के इस्तेमाल पर लगाम लगेगा। अक्सर देखा जाता है कि बड़े आयोजनों में जेनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है।

बीएसईएस के प्रवक्ता चंद्र प्रकाश कामत ने बताया कि एक दिन के भीतर अस्थायी कनेक्शन पाने के लिए अगर उपभोक्ताओं की ओर से जरूरी कागजात जमा कराकर डिमांड नोट का भुगतान कर दिया जाता है, तो कुछ घंटे बाद ही बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। आमतौर पर अस्थायी कनेक्शन की प्रक्रिया में तीन से पांच दिन का वक्त लगता है। शादी समारोहों व अन्य कार्यक्रमों के लिए भी तत्काल कनेक्शन देने की सुविधा शुरू की गई है। तत्काल अस्थायी कनेक्शन के लिए, बीआरपीएल उपभोक्ता 19123/ 39999707 और बीवाईपीएल उपभोक्ता 19122/ 39999808 पर फोन करके या अपने डिविजन दफ्तर में जाकर सामान्य व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं।

रोबोट, रॉकेट और ड्रोन प्रतियोगिता में दिखा हुनर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

महाराष्ट्र के वीवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी के विद्यार्थियों की टीम ने शीतल पेय की बोतलों से पवन ऊर्जा से चलने वाला एक रॉकेट बनाया है। इस रॉकेट में एक तिहाई पानी का उपयोग होता है। यह लगभग 10 सेकेंड में 60 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। त्यागराज स्टेडियम में सोमवार को शुरू हुई तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स लीग एंड वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2019 टेक्नोशियन में ऐसे ही अनूठे ड्रोन, रोबोट और रॉकेट लेकर देश-विदेश से विद्यार्थियों की 2,872 टीमें आई हैं।

फर्जी एजंसी से चूना लगाने वाले छह पकड़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट ने नोएडा सेक्टर-8 में नौकरी देने की फर्जी एजंसी खोलकर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं से फोन के माध्यम से संपर्क साधते थे और नौकरी लगवाने का झांसा देते थे। गिरफ्तार किए गए ठगों की पहचान कुनाल सिंह, गौरव गुप्ता, विशाल तंवर, शशांक शेखर, शुभम और कल्पेंद्र सिंह राजपूत के तौर पर हुई है।

जनसंचार में पीजी डिप्लोमा के लिए कार्य अनुभव जरूरी नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनसंचार के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पात्रता में बदलाव किया है। पहले इस पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास दो साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य था लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। एक साल की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
ONE FAMILY ONE BANK
शाखा: (1295) सुशांत लोक, गुड़गांव
पता: बीएफ 01-02, बी- ब्लॉक, टाइम स्क्वायर, सुशांत लोक-I, गुड़गांव -122002
फोन : (0124-4047136), ई-मेल : bom1295@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.7.2019 जारी कर ऋणधारकः 1. मै. परिवर्तन बिल्डटेक प्रा.लि. पंजी. कार्यालय प्लॉट नं. 96, 2रा तल, साई एन्क्लेव, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-110075, कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 902, सेक्टर 51, ग्राम समसपुर, गुड़गाँव, हरियाणा-122001, 3. श्री राजा भोज, 902, सेक्टर 51, ग्राम समसपुर, गुड़गाँव, हरियाणा-122001, 4. श्री धरमवीर सिंह, मकान सं. 23, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा-124001 (साथ हीः मकान सं. 1012 बी, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा, 5. श्रीमती परवीण दहिया, मकान सं. 23, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा-124001 (साथ हीः) मकान सं. 1012वी, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा, 6. श्री सिद्धार्थ दहिया, मकान सं. 23, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा-124001 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 75835823/- तथा 14.90% की दर से अप्रयुक्त ब्याज (2.00% दंड ब्याज सहित) 3.7.2019 से तथा खर्चे एवं अन्य चार्जेज, यदि कोई हो वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21.09.2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय निम्न रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुशांत लोक शाखा, गुड़गाँव के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री धरमवीर सिंह दहिया एवं श्रीमती प्रवीण दहिया के स्वामित्व की सम्पत्ति

प्लॉट का सभी भाग तथा हिस्साः 1. श्री धरम वीर सिंह दहिया एवं श्रीमती प्रवीण दहिया के नाम में नं. 22, सेक्टर 1, रोहतक (हरियाणा) (क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर) सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः मकान सं. 27, पश्चिमः रोड, उत्तरः मकान सं. 23, दक्षिणः मकान सं. 21	प्लॉट का सभी भाग तथा हिस्साः 2. श्री धरम वीर सिंह दहिया एवं श्रीमती प्रवीण दहिया के नाम में नं. 23, सेक्टर 1, रोहतक (हरियाणा) (क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर) सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः मकान सं. 26, पश्चिमः रोड, उत्तरः मकान सं. 24, दक्षिणः मकान सं. 22

तिथि : 21-09-2019 कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राधिकृत अधिकारी

फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, दानी कार्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (पू.), मुम्बई-400098

कब्जा सूचना

जबकि, मैसर्स फीनिक्स आर्क प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19-5 योजना योजना के के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों को एक माँग सूचना जारी कर सम्बद्ध कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों से माँग सूचना प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा था। कथित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों के बकाया राशि के भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा विशेषकर कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अधिकारों का उपयोग करते हुए संलग्न तिथियों पर यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अपने पास ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों, सहकर्जदारों, जमानतियों एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेन-देन मैसर्स फीनिक्स आर्क प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19-5 योजना योजना के के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) की सम्बद्ध तिथियों से इसमें निर्दिष्ट राशि तथा उस पर भावी ब्याज, लागतों एवं प्रभारों के अधीन होगा।

कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों, गिरवीकृत सम्पत्ति, ट्रस्ट का नाम, बकाया राशि, धारा 13(2) के अधीन भेजी गयी माँग सूचना तथा उसके तहत दावाकृत राशि के विवरण नीचे दिये गये हैं :

कर्जदारों, सह-कर्जदारों का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि	प्रतिभूतियों का विवरण	1. कब्जा करने की तिथि 2. माँग सूचना की तिथि 3. बकाया राशि रु. में
श्री मुकेश सेठी पुत्र स्व. श्री महिन्दर कुमार सेठी (कर्जदार तथा स्व. श्री महिन्दर कुमार सेठी उर्फ मोहिन्दर कुमार सेठी उर्फ महेन्दर कुमार सेठी के वैधानिक उत्तराधिकारी) तथा श्रीमती शशि सेठी पत्नी श्री मुकेश सेठी दोनों निवासी : 14/4, तीसरी मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, कोडियक फोरेक्स प्रा.लि. इसके निदेशक श्री मुकेश सेठी के माध्यम से पताः 24, मोहन सिंह पैलेस, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ऋण खाता संख्या : XMORPNG00004267, XMORPNG00019210 तथा XMORPNG00045024 ऋण की स्वीकृत राशि : रु. 75,60,000/- (रुपये पिचहत्तर लाख साठ हजार मात्र)	वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 की आबादी में स्थित सुपर स्ट्रक्चर सहित 200 वर्ग गज की भूमि के आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य तथा अपक्षपाती स्वामित्व अधिकार सहित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 14/4 के सम्पूर्ण तृतीय तल के निर्मित भवन का समस्त भाग। गिरवी रखने वाले का नाम : स्व. श्री महिन्दर कुमार सेठी उर्फ मोहिन्दर कुमार सेठी उर्फ महेन्दर कुमार सेठी।	1) 19.09.2019-09-232) 09.04.2019-09-233) रु. 1,30,74,572/- (रुपये एक करोड़ तीस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ बहत्तर मात्र) जो पूर्ण भुगतान तक लागतों एवं प्रभारों सहित 09.04.2019 से प्रयोग भावी ब्याज के साथ 08.04.2019 तक बकाया एवं देय है।

अधिकृत प्राधिकारी
स्थानः दिल्ली कृते फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड
दिनांकः 24.09.2019 (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19-5 योजना योजना के के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

किसी अन्य पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : लोकेश कुमार मित्तल (मोबाइल नं. 08377809456)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **28/06/2019**, जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री सैय्यद अली एवं श्री शमिउल्लाह,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.29,69,350/- (उनतीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) 28.06.2019 (इस सूचना की तारीख) के अनुसार** ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 19.09.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.29,69,350/- (उनतीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) 28.06.2019 (इस सूचना की तारीख) के अनुसार 28.06.2019 को आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण
यहाँ स्थित सम्पत्ति का न्यायसंगत बंधक:
आर.जेड-12, केएच. नं.199, गली नं.13, ब्लॉक-डी, दुर्गा पार्क, नसीरपुर, नई दिल्ली-110045.

स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 19/09/2019 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

पारस स्पेयर्स और एक्सेसरीज लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	पारस स्पेयर्स और एक्सेसरीज लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	26/07/1996
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U29220DL1996PLC080700
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	1517 / 6, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	20.09.2019 (23.09.2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	18.03.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	अभिषेक आनंद IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	ई - 103, एसजीएफ, [illegible] -1, नई दिल्ली - 110048 ईमेल: [illegible]@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	ई - 103, एसजीएफ, [illegible] -1, नई दिल्ली - 110048 ईमेल: [illegible]@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	08.10.2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (क) के खंड (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) सम्बंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: लागू नहीं

[illegible] **पारस स्पेयर्स और एक्सेसरीज लिमिटेड** [illegible]

पारस स्पेयर्स और एक्सेसरीज लिमिटेड [illegible] **30 अक्टूबर 2019** [illegible]

[illegible]

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता./-
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर- अभिषेक आनंद
IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077
दिनांक : 24 सितम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
क्षेत्रीय कार्यालयः
भवन संख्या 80, प्रथम तल, बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ -250005। फोन नं0 0121-2761701, 2761701, 2762124

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत ई-नीलामी दिनांक 25.10.2019 अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **SARFAESI** अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित / बंधक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतु **"जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर"** उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **(https://iob.auctiontiger.net)** द्वारा करायी जायेगी।

क्रम सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	(E.M.D.) राशि	संपर्क के लिए शाखा का विवरण
1.	मझोला शाखा मुरादाबाद	मैसर्स आध्या एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	रु0 1,36,92,421.60 और बैंक गारंटी रु0 24,00,000.00 19.09.2019 को	आइटम नंबर 1 : बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत 23.01.2013 को बुक नं. 1 वॉल्यूम संख्या 5363 पृष्ठ 193-240, सीरियल नंबर 1121 श्रीमती रंजू रॉय के पक्ष में क्षेत्रफल 0.158 हेक्ट. ग्राम तिगड़िया खादर, तहसील हसनपुर जिला ज्योतिबाफुले नगर अब जिला अमरोहा। संपत्ति की सीमायें: पूर्व- सड़क सरकारी, पश्चिम- राकेश का खेत, उत्तर-एके राय का खेत, दक्षिण- राकेश का खेत आइटम नंबर 2: मूल बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत 14.12.2011 को बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 4921 पेज 255-304 क्रम0 नंबर 12951 श्रीमती स्वाति रॉय के पक्ष में क्षेत्रफल 0.132 हेक्ट. ग्राम तिगड़िया खादर, तहसील हसनपुर, जिला ज्योतिबाफुले नगर अब जिला अमरोहा संपत्ति की सीमायें - पूर्व-सड़क सरकारी, पश्चिम-राकेश का खेत, उत्तर- सीमा ग्राम सादुल्लापुर, दक्षिण- विक्रेता का खेत आइटम नंबर 3: बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत 14.12.2011 को बुक नंबर 1 वॉल्यूम संख्या 4921 पेज 305-350 क्रम नंबर 12952 श्री निशांत कुमार के पक्ष में। क्षेत्रफल 0.152 हेक्ट.। ग्राम तिगड़िया खादर, तहसील हसनपुर, जिला ज्योतिबाफुले नगर अब जिला अमरोहा। संपत्ति की सीमायें : - पूर्व-सड़क सरकारी, पश्चिम- राकेश का खेत, उत्तर-स्वाति रॉय का खेत, दक्षिण- विक्रेता का खेत आइटम नंबर 4: बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत 14.12.2011 को बुक नंबर 1 वॉल्यूम संख्या 4921 पेज 351-398 एस. नंबर 12953 श्री ए के रॉय के पक्ष में, क्षेत्रफल 0.153 हेक्ट.। ग्राम तिगड़िया खादर, तहसील हसनपुर, जि. ज्योतिबाफुले नगर अब जिला अमरोहा। संपत्ति की सीमायें- पूर्व-सड़क सरकारी, पश्चिम- राकेश का खेत, उत्तर- निशांत कुमार का खेत, दक्षिण- विक्रेता का खेत	रु0 285,76,000.00	रु0 28,58,000.00 (बोली गुणांक रु. 100000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मझोला शाखा डॉ. खारे बिल्डिंग, दिल्ली रोड, मुरादाबाद 244001 श्री राजेश कुमार मोब नं 7007817393
2.	मझोला शाखा मुरादाबाद	श्री निशांत कुमार पुत्र श्री अखिलेश कुमार रॉय	रु0 48,04,457.40 19.09.2019 को	आवासीय फ्लैट असर प्रा. नं. 101 (भूतल पर) आवासीय भवन, जिसका नाम सुपरटेक होम-II है, प्लॉट नं 5/10, सेक्टर 5, वैशाली-201010, गाजियाबाद स्वामित्व श्री निशांत कुमार। बिक्री विलेख असर पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 30544, पृष्ठ 171-226 क्रम नंबर 20633 दिनांक 10.11.2015 संपत्ति की सीमायें- उत्तर-सैक 60.0 फीट चौड़ा, पश्चिम-अन्य का प्लॉट, पूर्व-प्लॉट नंबर 5/11, पश्चिम-प्लॉट नंबर 5/09	रु0 6465000.00	रु0 650000.00 (बोली गुणांक रु. 50000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मझोला शाखा डॉ. खारे बिल्डिंग, दिल्ली रोड, मुरादाबाद 244001 श्री राजेश कुमार मोब नं 7007817393

नियम व शर्तें :- ई-नीलामी की तिथि: 25.10.2019 समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक बिक्री के पांच मिनट तक ऑटो विस्तार के साथ। ईएमडी 24.10.2019 (शाम 5.00 बजे) तक जमा कि जा सकती है
1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (सम्पत्ति टैक्स, पानी, सीवेज, विद्युत बिल आदि)- बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जायेगा हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे / अधिकार / बकाया के संबंध व स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 21.10.2019 व 22.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच (बैंक से पूर्व नियुक्ति के साथ) कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ई.एम.डी. जमा की है, लॉगिन आई.डी., पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बिड जमा करने तथा ई-ऑक्शन पर पर ऑनलाइन बिडिंग हेतु इच्छुक बोलीदाता, सर्विस प्रदाता **M/s E-Procurement Technologies (Auction Tiger)** [illegible] **E-mailid:up@auctiontigher.net/support@auctiontiger.net** फोन नं: **0800023297, Support Desk No: 07961200594/98/68/ 87/38.**

नीलामी की विस्तृत विवरण नियम व शर्तों के लिये हमारी वेबसाइट **www.iob.auctiontigher.net** पर देखें

हेतु U/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 के अन्तर्गत तिथि को की जा रही उक्त ई-ऑक्शन बिक्री के संबंध में निम्नलिखित कथित ऋण के अन्तर्गत ऋणियों / गारंटरों को 30 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांकः- 20.09.2019 स्थान - मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Fullerton India
फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लि.
ई-नीलामी बिक्री सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालयः तल 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लैक कैशल के पीछे, पवई, मुम्बई-400076, शाखा कार्यालयः प्रथम तल, नार्थ एवं साउथ विंग, सौरभ टावर, ऑफिस नं. 5 से 12, प्लॉट नं. सी-2, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत फाइनांस कम्पनी के पास चार्ज्ड चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निम्न सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि "जैसा है जहां है तथा जो कुछ भी वहां है आधार" तथा यहां नीचे निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर एफआईसीसीएल के बकाये की वसूली के लिए नीचे वर्णित मामले में आरोपित सम्पत्ति की ई-नीलामी (सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) बिक्री की जायेगी। एतद्द्वारा ऋणधारकों को नीलामी की तिथि से पूर्व नीचे वर्णित राशि के भुगतान के लिये **सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना** दी जाती है जिसमें विफल रहने पर अचल सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी। यदि ऋणधारक बिक्री की तिथि से पूर्व फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड को सम्पूर्ण बकाये राशि का भुगतान कर देते हैं तो यह नीलामी रोक दी जायेगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 24 अक्टू. 19 के 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र/केवाईसी दस्तावेजों/ईएमडी के प्रमाण जमा करने की तिथि एवं **समयः 22 अक्टू. 19 के 5.00 बजे अप. से पूर्व। सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 21 अक्टू. 19 को 12 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच है।**

ऋण खाता नं., ऋणधारक का नाम एवं पता	गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) / वृद्धि मूल्य (रु.)	बकाया राशि जिसकी वसूली के लिये सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है
1. ऋण खाता संख्याः 17350131310190943 (जयपुर शाखा) 1. मै. मंसूरी ऑटोमोबिल्स 2. श्री मोहम्मद अली 3. श्रीमती फातमा बेगम 4. मै. अकबर अली मंसूरी	सम्पत्ति-शॉप नं. 5, कमला नेहरू मार्केट बेस्ट, अजमेरी गेट, जयपुर-302001 जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः शॉप नं. 4, पश्चिमः शॉप नं. 6, उत्तरः सिटी वाल (परकोटा), दक्षिणः रोड कुल क्षेत्रफलः 204.93 वर्ग फीट	आरक्षित मूल्यः रु. 71,72,000/- (रुपये इकहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) ईएमडी रु. 7,17,200/- (रुपये सात लाख सत्तरह हजार दो सौ मात्र) बोली वृद्धि राशिः रु. 1 लाख	रु. 1,48,24,337.01 (रु. एक करोड़ अड़तालिस लाख चौबीस हजार तीन सौ सैंतीस तथा पैसे एक मात्र)

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो कुछ भी वहां है आधार" पर और 'ऑन लाइन' आयोजित की जायेगी। यह नीलामी फ्यूलर्टन इंडिया के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्राक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा वेब पोर्टल (https://fullertonindia.auctiontiger.net) पर आयोजित होगी। ऑन लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, ऑन लाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट https://fullertonindia.auctiontiger.net पर उपलब्ध है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति के अधिभारों, टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकायों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी का यह विज्ञापन एफआईसीसीएल की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता अथवा किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है अथवा उसे उसका गठनकर्ता नहीं माना जायेगा। सम्पत्ति को एफआईसीसीएल को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिकारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को खाता सं. 022805000932, आईसीआईसीआई बैंक खाता फ्लर्यूटन इंडिया आईएफएससी कोडः ICIC0000228 में एनईएफटी/ आरटीजीएस अथवा फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा।
4. बोलीदाता को वैध ई मेल आईडी का धारक होना चाहिए (इच्छुक बोलीदाता के लिये ईमेल आईडी परम आवश्यक है क्योंकि संबंधित जानकारी तथा मै. ई-प्रॉक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा आईडी एवं पास्वर्ड का आवंटन ईमेल द्वारा ही किया जायेगा। सम्पर्कः श्री विजय शेट्टी- 9619002431, ईमेल आईडीः vijay.shetty@auctiontiger.net.
5. इच्छुक बोलीदाता को 22 अक्टू. 19 के 5.00 बजे अप. तक फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रथम तल, उत्तर एवं दक्षिण विंग, सौरभ टावर, ऑफिस नं. 5 से 12 प्लॉट नं. सी-2, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021 के पास ई-नीलामी में भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र, i) पहचान के प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसैन्स/ पास्पोर्ट आदि, ii) वर्तमान पता- पत्राचार के प्रमाण, iii) बोलीदाता का पैन कार्ड, iv) वैध ई-मेल आईडी, v) बोलीदाता का सम्पर्क नंबर (मोबाईल/ लैंडलाइन) की स्वतः सत्यापित प्रतियों के साथ यूटीआर सहित ईएमडी जमा किये होने के साक्ष्य को जमा करना होगा। इन दस्तावेजों के ऑरिजिनल की स्कैन की गई प्रतियों को प्राधिकृत अधिकारी के ई-मेल आईडी bhupeder.tanwar@fullertonindia.com पर जमा किया जायेगा।
6. पोर्टल (https://fullertonindia.auctiontiger.net) पर ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाताओं की पहचान फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी। योग्य बोलीदाताओं के पैन की उचित जांच-पड़ताल के बाद मै. प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज अहमदाबाद द्वारा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड उपलब्ध कराई जायेगी।
7. बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने का उत्तरदायित्व इच्छुक बोलीदाता का होगी।
8. उपरोक्त सम्पत्तियों की ई-नीलामी/ बोली पूरी तरह से बोलीदाताओं के बीच इंटर से बिडिंग द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित निर्धरित तिथि एवं समय पर ही की जायेगी। बोलीदाता प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष "बोली वृद्धि राशि" कॉलम के अंतर्गत वर्णित राशि के गुणक में ही अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा। उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) को ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर जमा करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इसकी सूचना उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दी जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडिटर की स्वीकृति के अधीन होगी।
9. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी उन्हें वापस लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि भुगतान पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की मूल्य की स्वीकृति पर तत्काल 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री के 15वें दिन या पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर लिखित में विस्तारित स्वीकृत समय में किया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि के भुगतान में चूक करने पर पहले से जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से नीलामी की जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता का सम्पत्ति/ राशि के संदर्भ में कोई दावा/ अधिकार नहीं होगा।
10. संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी तिथि से पूर्व मै. ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न ही प्राधिकृत अधिकारी/ एफआईसीसीएल अथवा न ही मै. ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन्टरनेट नेटवर्क समस्या/ पावर फैल्योर/ अन्य किसी तकनीकी चूक/ फैल्योर आदि के लिये उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी आयोजन में सफलतापूर्वक भागीदारी के लिये यह सुनिश्चित कर लें कि वे पर्याप्त पावर बैक-अप आदि के साथ तकनीकी रूप से पूरी तरह से सुसज्जित हैं।
11. लागू होने वाले स्टाम्प शुल्क/ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/ अंतरण चार्जेज, शुल्कों आदि तथा सभी सांविधिक/ अ-सांविधिक देयताओं, करों, रैट्स, गणना चार्जेज, किसी भी व्यक्ति को देय शुल्कों आदि का वहन क्रेता को ही करना होगा।
12. प्राधिकृत अधिकारी/फ्यूलर्टन इंडिया उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा उसे उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ निलम्बित/ रद्द करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से किसी भी चरण में सम्पत्ति या उसके भाग को वापस लेने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।
13. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/ (ओं)/ आवेदक (कों) के नाम में ही जारी की जायेगी तथा किसी अन्य नाम में जारी नहीं की जायेगी।
14. यह बिक्री वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

स्थानः जयपुर तिथिः 24 सित. 19 प्राधिकृत अधिकारी, फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

17 घंटे चला आत्महत्या का नाटक, पुलिस के छूटे पसीने

पत्नी से झगड़े के बाद आठवीं मंजिल पर चढ़ा युवक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

- छत की बालकनी से कूद कर आत्महत्या करने की दे रहा था धमकी
- व्यक्ति के खिलाफ निहाल विहार थाने में दर्ज है छेड़छाड़ का मामला

हरि नगर थाना क्षेत्र में स्थित सिग्नेचर होटल की आठवीं मंजिल पर रविवार शाम को चार बजे चढ़े एक युवक को सोमवार सुबह नौ बजे उतारा गया। पत्नी से झगड़े के बाद व्यक्ति 17 घंटे तक होटल की छत पर ही चढ़ा रहा और आत्महत्या की धमकी देने लगा। होटल प्रबंधक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस, दिल्ली दमकल विभाग के कर्मचारी, कैट्स एंबुलेंस और बचाव दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शख्स को नीचे उतारा।

शख्स की पहचान संदीप उर्फ अरमान मलिक (31) के तौर पर हुई। वह टिक-टॉक पर वीडियो बनाकर काफी प्रसिद्ध है। पूछताछ में पता चला कि उसके खिलाफ निहाल विहार थाने में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। फिलहाल निहाल विहार थाना पुलिस संदीप से पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है। पश्चिमी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि अमदाबाद से दिल्ली आए संदीप अपनी पत्नी कृतिका बसेरा के साथ हरि नगर स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे।

दोनों रविवार को दोपहर डेढ़ बजे होटल पहुंचे थे। होटल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि कृतिका बसेरा संदीप की दूसरी पत्नी है। इसी होटल में एक साल पहले दोनों ने शादी की थी।

रविवार शाम करीब 4 बजे दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद संदीप ने एक सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या करने के लिए होटल की आठवीं मंजिल की छत पर चढ़ गया। इसके बाद उनकी पत्नी और होटल के कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वह कह रहे थे कि 'अब जीने का कोई फायदा नहीं है। एक साजिश में उन्हें फंसाया गया है, वह जिंदा रहेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी'। 16 घंटे बाद सोमवार सुबह पौने 9 बजे पुलिस टीम होटल की छत पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद संदीप को सुरक्षित नीचे उतार लाई। संदीप के टिक-टॉक पर काफी फॉलोअर हैं।

बहन से दोस्ती नहीं थी पसंद

युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, सभी आरोपी फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

ज्वालापुरी इलाके में एक युवक और उसके दोस्तों पर अपनी बहन के दोस्त की चाकू से गला रेता कर हत्या का आरोप लगा है। 23 साल के प्रशांत की हत्या उसके बड़े भाई के सामने की गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रशांत के भाई की शिकायत पर पश्चिम विहार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर कर दी गई है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, प्रशांत अपने पिता व भाई बहनों के साथ ज्वालापुरी में रहते थे। प्रशांत की पड़ोस में रहने वाले एक युवक की बहन से दोस्ती थी। युवक को प्रशांत का उसकी बहन से बात करना और मिलना पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रशांत और उसके भाई पंकज को अपनी बहन से दूर रहने की धमकी दी थी। रविवार को अपने दोस्तों के साथ आरोपी युवक प्रशांत के घर पहुंचा और उसके साथ झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी।

परिजनों के बीच बचाव के बाद आरोपी वहां से धमकी देकर चले गए। देर रात करीब साढ़े 11 बजे सभी आरोपी दोबारा प्रशांत के घर दोबारा आए और जबरन प्रशांत को अपने साथ उठा ले गए। पूछने पर आरोपियों ने कहा कि वह उसे रेलवे लाइन की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रशांत का भाई पंकज जब अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने प्रशांत के बारे में बताया। पंकज अपने भाई को लेने के लिए रेलवे लाइन की ओर पहुंचा तो आरोपी उसे चाकू से गोद रहे थे। पंकज ने आरोपियों को चाकू के साथ देख कर शोर मचा दिया, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। प्रशांत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पंकज ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके भाई पर एक दर्जन से ज्यादा वार किए। दो आरोपियों ने प्रशांत को नीचे गिराकर पकड़ा हुआ था और एक उस पर वार कर रहा था। पंकज को देखकर आरोपियों ने प्रशांत की गर्दन पर तेज वार किया जिससे उसकी गर्दन कट गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

खुदकुशी मामला : गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च

नई दिल्ली। तिलक नगर इलाके में तीन दिन पहले नोएडा के एक नामी विश्वविद्यालय की छात्रा के फांसी लगाने का मामला तूल पकड़ रहा है। खुदकुशी का कारण बताए जा रहे आरोपी लड़के की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों और स्थानीय लोगों ने सोमवार को शांति मार्च निकालकर तिलक नगर थाने के सामने नजफगढ़ रोड को जाम किया। लड़की की मां सहित उनके परिजनों ने बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। (जसं)

बैंक्वेट हॉलों पर एनजीटी सख्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि बैंक्वेट हॉलों को विनियमित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही एनजीटी ने पश्चिमी दिल्ली के जखीरा इलाके में स्थित ऐसी ईकाइयों के बारे में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से रिपोर्ट देने को कहा है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्षेत्र में कई अवैध बैंक्वेट हॉल बिना अनुमति के चल रहे हैं। पीठ ने कहा कि पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बैंक्वेट हॉल के उचित नियमन की सख्त जरूरत है।

डेंगू पर हंगामा, 'आप' के सभी पार्षद 15 दिन के लिए निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

उत्तरी निगम की आम सभा

डेंगू और पार्किंग पर बहस की बजाए उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आम सभा सोमवार को एक बार फिर राजनीति और हंगामें की भेंट चढ़ गई। डेंगू पर चर्चा करने से बचने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने जहां सदन में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस और भाजपा ने 'आप' पर सीधे तौर पर डेंगू पर विज्ञापन देकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

बार-बार अनुरोध के बाद भी जब पार्षदों ने हंगामा बंद नहीं किया तो मेयर ने 'आप' के सभी पार्षदों को 15 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने 'आप' के पार्षदों के रवैये की कड़ी निंदा की तो 'आप' के पार्षदों का कहना था कि कांग्रेस और भाजपा को सिवाए केजरीवाल सरकार की आलोचना के जनहित से संबंधित कोई और मुद्दा नहीं सूझता। सोमवार को बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के मुकेश गोयल और आले मोहम्मद ने केजरीवाल सरकार पर डेंगू पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के पार्षद अभी अपनी बात रख ही रहे थे कि 'आप' के पार्षद बेल में आ गए। मुकेश गोयल का कहना था कि डेंगू जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराने की मांग कर शॉर्ट नोटिस भी लगाया गया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में डेंगू के 80 फीसद खत्म करने का श्रेय दिल्ली सरकार को देते हुए वाहवाही लूट रहें हैं और करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रहें हैं।

खबरों में शहर

'तवारीख' में शहरी बदलाव पर चर्चा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर स्थित रामलाल आनंद महाविद्यालय में सोमवार को सुबह 9 बजे से एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 'तवारीख' का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग की तरफ से आयोजित इस सेमिनार का विषय था 'शहरी बदलाव और स्थायी भविष्य'। संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इजरायल और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाजशास्त्र, इतिहास और भूगोल के प्रोफेसर और विद्वानों ने शहरों के बदलते प्रारूप और उसके विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं आदि पर विचार-विमर्श किए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के चेयरमैन दया प्रकाश सिन्हा, प्राचार्य डॉ राकेश गुप्ता, प्रभारी शिक्षक डॉ विकास आनंद, व्यवस्थापक सचिव पारुल लॉ गौर और संयोजक प्रतीक कुमार उपस्थित रहें। कुल चार सत्रों में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश से आए तमाम प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं ने विषय संबंधी अपनी प्रस्तुति दी। पहले सत्र प्रो पॉल वॉट, दूसरा हिलेरी सिल्वर जबकि तीसरे और चौथे सत्र की अगुआई टीके वेंकट सुब्रमण्यम ने की। डॉ नरेंद्र पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पीड़ित पत्रकार ने एसएसपी से पूछे पांच सवाल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 सितंबर।

सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन में गलत दिशा में चलने वाले पुलिसकर्मियों को टोकने पर बुरी तरह पीटे गए पत्रकार ने एसएसपी वैभव कृष्ण से 5 सवाल पूछे हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने उन्हें मारपीट कर रात भर हवालात में बंद रखा। फिर भी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीड़ित पत्रकार राहुल कादयान के मुताबिक, एसएसपी ने बयान जारी कर कहा है कि उनके साथ पुलिसकर्मियों ने नहीं अज्ञात लोगों ने मारपीट की। ऐसे में उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे अज्ञात लोग कौन थे। दूसरा, उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तीसरा, मेडिकल में अल्कोहल की बात कही जा रही है तो ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट और ब्रेथ एनेलाइजर की रिपोर्ट कहां है। चौथा, उनके साथ मारपीट और चोट के बाद उन्हें थाने में बंद क्यों रखा गया। पांचवा, अपना परिचय देने के बावजूद उनके संस्थान से संपर्क करके घटना की जानकारी क्यों नहीं दी गई। एसएसपी वैभव कृष्ण का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है।

गो ग्रास सेवकों का सम्मेलन आयोजित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

गाय जीवन का स्रोत व संस्कारों की पूंजी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक देशी गाय के पंचगव्यों से मिलती है। यह बात गौशाला हरेवली के अशोक विहार के ट्रस्टी व गो ग्रास संचालकों ने गो ग्रास सेवक सम्मेलन में रविवार को दिल्ली में कही। महंत नवल किशोर दास और सतीश गर्ग ने गाय की महत्ता बताते हुए इसे माता कहते हुए लोगों से संस्कारित व्यवहार करने की अपील की।

चीन का तिब्बत पर कब्जा अवैध : इंद्रेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

भारत-तिब्बत सहयोग मंच के स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में तिब्बत एवं कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अधिवेशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आज भी यह उम्मीद है कि तिब्बत आजाद होगा और तिब्बती अपने देश अवश्य जाएंगे। चीन का तिब्बत पर कब्जा अवैध है। कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन को तिब्बत एवं कैलाश मानसरोवर को आजादी देनी ही होगी। इन दोनों पर चीन का कब्जा असंवैधानिक एवं अनैतिक है। हम भारत के लोग पूरे विश्व में जन जागरण करेंगे।

ऐक्सिस बैंक — देय सूचना

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

[illegible]

क्र. सं.	ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	श्रीमती बीबी शर्मा (ऋणी) [illegible] श्री चन्द्र कान्त शर्मा (सह-ऋणी) [illegible]	[illegible] बीबी शर्मा एवं चन्द्र कान्त शर्मा के नाम क्षेत्रफल-150.95 वर्ग मीटर [illegible]	रू.1,18,65,661.00 [illegible] एनपीए दिनांक : 10.09.2019 देय सूचना की तिथि 17.09.2019 ऋण धनराशि : रू. 1,20,00,000.00
2	श्रीमती बीबी शर्मा (ऋणी) [illegible] श्री चन्द्र कान्त शर्मा (सह-ऋणी) [illegible]	[illegible] बीबी शर्मा एवं चन्द्र कान्त शर्मा के नाम क्षेत्रफल-146.97 वर्ग मीटर [illegible]	रू.88,68,138.00 [illegible] एनपीए दिनांक : 10.09.2019 देय सूचना की तिथि 17.09.2019 ऋण धनराशि : रू. 93,00,000.00

[illegible]

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी धारणकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में वर्णित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

दिनांक : 24.09.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

ऐक्सिस बैंक — आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

[illegible]

क्र. सं.	ऋणी / सह-ऋणी / जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	श्री फरहत खान उर्फ ओ0 फरहत खान (ऋणी) [illegible] श्रीमती सुफुरी खान (सह-ऋणी) [illegible]	[illegible] क्षेत्रफल-144.53 वर्ग मीटर [illegible]	रू. 71,54,695.00 दिनांक 11.07.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्च देय सूचना की तिथि : 12.07.2019 कब्जा दिनांक : 20.09.2019
2	श्रीमती परवीन बानो (सह-ऋणी) [illegible] श्री सोहेल (कानूनी प्रतिनिधि) [illegible] श्री सलमान (कानूनी प्रतिनिधि) [illegible]	[illegible] क्षेत्रफल-118.45 वर्ग मीटर [illegible]	रू. 8,63,302.00 दिनांक 08.07.2019 +देय ब्याज व अन्य खर्च देय सूचना की तिथि : 09.07.2019 कब्जा दिनांक : 20.09.2019

दिनांक : 24.09.2019 स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि0

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
जहां सेवा ही जीवन - ध्येय है
पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा : चावड़ी बाजार, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

[illegible]

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
(1) मैसर्स श्यामा इंडिया इसके प्रोप. माया देवी (2) श्रीमती माया देवी पत्नी स्व. श्री श्याम सुंदर गुप्ता (3) श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री मनीष गुप्ता (4) श्री मनीष गुप्ता पुत्र स्व. श्री श्याम सुंदर गुप्ता	अचल बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 1/429/ढ़बी ओल्ड नं. 341 क्षेत्रफल 126.42 वर्ग मी. अर्थात 150 वर्ग गज, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 250.84 वर्ग मी., [illegible] SR-IVA नई दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत, चौहदी : उत्तर में – गली, दक्षिण में – सम्पत्ति नं. 1/429/15-ए, पूरब में – सम्पत्ति नं. 1/429/8-ए, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति	07-02-2019 / 20-09-2019	रू. 2,75,88,636.24 दिनांक 31-01-2019 तक भविष्य का ब्याज, खर्च और अन्य प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक 20.09.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आयुष्मान भारत : मुफ्त इलाज में गौतम बुद्ध नगर 16वें स्थान पर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 सितंबर।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का सोमवार को एक साल पूरा हो गया। एक साल में योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर में 2951 मरीजों का निशुल्क इलाज हुआ, जिसके चलते प्रदेश में जिला 16वें स्थान पर है। योजना के तहत 18 हजार लोगों के गोल्डन कार्ड बने हैं। हालांकि कम धनराशि होने के चलते काफी निजी अस्पतालों ने योजना में रुचि नहीं दिखाई। एक साल पूरा होने पर सोमवार को सभी राजकीय चिकित्सालयों में जिले की सभी एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। योजना के जिला प्रभारी डॉ अजय कुमार ने बताया कि जिले में 20445 परिवार आयुष्मान लाभार्थी हैं। इनमें से 18 हजार का गोल्डन कार्ड बन चुका है। तीन सितंबर से विभाग आयुष्मान पखवाड़ा मना रहा है। इसमें 25 हजार लोगों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी और निजी 31 अस्पतालों में साल भर में 2915 मरीजों को योजना का लाभ मिला है।

मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, 50 किसान हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 सितंबर।

जेवर हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीन का चार गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच तनातनी हुई। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान मांगों को लेकर जेवर में प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने टोल बूथ के पास ही इन्हें रोक लिया। चक्का जाम करने की मांग पर अड़े करीब 50 किसानों को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा है।

चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे सोमवार को चक्का जाम करेंगे। लंबे समय से धरने पर बैठे किसानों ने मांग पूरी नहीं होने के विरोध में यह फैसला लिया था। जिसकी जानकारी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को थी।

उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ कर संग्रह : मुख्य आयकर आयुक्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 सितंबर।

'देश में कर संग्रह की हालत अच्छी नहीं है। आयकर विभाग उम्मीद के मुताबिक कर इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। कर संग्रह में 20 फीसद की बढ़ोतरी (ग्रोथ) होनी चाहिए थी लेकिन यह आंकड़ा महज पांच फीसद पर ही अटका है। उत्तर प्रदेश-उत्तरांखड में पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर तक कर संग्रहण में पांच फीसद की बढ़ोतरी हो पाई है'। यह जानकारी सोमवार को पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पीके गुप्ता ने दी।

ग्रेटर कैलाश में महिला पत्रकार को लूटपाट के लिए चलते ऑटो से खींचा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रविवार शाम मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने लूटपाट के बाद महिला पत्रकार को चलते ऑटो से खींचकर नीचे गिरा दिया।

गंभीर रूप से घायल महिला पत्रकार को सीआर पार्क थाना पुलिस ने एम्स में भर्ती कराया है। सोमवार को पुलिस ने पीड़िता के बयान पर लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मूलरू से पश्चिम बंगाल की रहने वाली पत्रकार जायमाला सीआर पार्क में रहती हैं। आरके पुरम की एक समाचार एजंसी में काम कर रहीं जायमाला रविवार को चितरंजन पार्क खरीदारी करने गई थीं। शाम करीब 6 बजे वह ऑटो से घर लौट रही थीं।

एएसआइ की पिटाई

पालम गांव में रात को पिकेट लगाकर वाहनों की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के एक एएसआइ को लग्जरी कार सवार युवकों ने जमकर पीट दिया। एएसआइ दीपक की कार सवार युवकों ने सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की। मौजूद कांस्टेबल के विरोध पर सभी आरोपी फरार हो गए। शिकायत पर पालम थाना पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

ट्रक की टक्कर से पलटी रोडवेज बस

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 सितंबर।

थाना साइट-पांच इलाके में सिरसा गोल चक्कर के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। रोडवेज बस पलटकर उल्टी हो गई। गनीमत रही कि केवल दो सवारियां बस में सवार थीं। एआरएम और पुलिस ने दावा किया है कि दोनों सवारी और परिचालक मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि चालक को गंभीर चोट आई है। हादसे के दौरान यातायात बाधित हुआ, जिसे पुलिस ने सुचारू कराया। ग्रेटर नोएडा डिपो के एआरएम लव कुमार के मुताबिक, नोएडा डिपो से चलने वाली बस परी चौक पर सोमवार सुबह करीब पौने छह बजे पहुंची थी।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र : देश भर की महिलाओं की स्थिति पर हुए सर्वे की रिपोर्ट का विमोचन, डॉ आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ, शाम 5 बजे।

गांधी स्वाध्याय मंडल : कस्तूरबा एवं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 'बा-बापू 150' पर तीन दिवसीय कार्यक्रम, राजधानी कॉलेज, राजा गार्डन, 24 से 26 सितंबर, सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू।

नृत्य/संगीत

इंडिया हेबीटाट सेंटर : भरतनाट्यम, द स्टेन ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम 7 बजे।

भाजपा व संघ नेताओं की हत्या में शामिल तीन आतंकी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दो नेताओं की हत्या समेत चार आतंकवादी वारदातों में शामिल हिज्बुल मुजाहिद्दीन के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

जम्मू संभाग के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह के मुताबिक, पिछले साल नवंबर से इस साल सितंबर तक ये तीनों चार वारदातों में शामिल रहे। तीनों की पहचान निसार अहमद शेख, निशाद अहमद और आजाद हुसैन के रूप में की गई है। ये तीनों किश्तवाड़ के रहने वाले हैं।

ये आतंकी आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हत्या में शामिल थे। दोनों की इसी साल अप्रैल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आईजी ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों में से एक निसार अहमद शेख अन्य एक भाजपा नेता अनिल परिहार की हत्या की साजिश में शामिल था और उनकी हत्या के समय वहां मौजूद था। मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार है। पिछले साल एक नवंबर को किश्तवाड़ जिले में भाजपा के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आईजी मुकेश सिंह ने कहा कि आतंकियों से सहानुभूति रखने या मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। परिहार भाइयों की हत्या किश्तवाड़ क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश थी।

कठुआ से 40 किलो आरडीएक्स बरामद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

जम्मू–कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान सोमवार को करीब 40 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिलावर तहसील की मल्हार पट्टी में सुरक्षा बल तलाशी के दौरान विस्फोटक बरामद किए गए। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हाल ही में लखनपुर में हथियारों के साथ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।

बिचौलिए दीपक तलवार के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

सीबीआइ ने विमानन घोटाले के संबंध में कॉरपोरेट बिचौलिए दीपक तलवार के खिलाफ सोमवार को अदालत में आरोपपत्र दायर किया। इस घोटाले से एयर इंडिया को कथित रूप से नुकसान हुआ था। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया के समक्ष भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा आठ और अन्य आरोपों के तहत तलवार के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। यह धारा लोकसवकों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने से संबंधित है। आरोपपत्र में तलवार के अलावा, उसके करीबी सहयोगी यास्मीन कपूर, माया बी पुरी, स्टोन ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, सीडर ट्रैवल्स, दीपक तलवार एंड एसोसिएट्स व एशिया फील्ड लिमिटेड के भी नाम हैं।

आसाराम की सजा स्थगित करने वाली याचिका खारिज

जोधपुर, 23 सितंबर (भाषा)।

जोधपुर हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में स्वयंभू संत आसाराम को सुनाई गई सजा स्थगित किए जाने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। आसराम ने अपनी याचिका पर जोर नहीं दिया और इसे वापस ले लिया।

कर्नाटक के अयोग्य घोषित विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के अयोग्य घोषित 17 विधायकों को विधानसभा की 15 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लड़ने की अनुमति दिए जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को राजी हो गया। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि उपचुनाव लड़ने के लिए अंतरिम राहत का अनुरोध करने वाले अयोग्य विधायकों के आवेदन पर 25 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।

अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के आदेश के अनुसार ये व्यक्ति वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकते। विधानसभा का कार्यकाल 2023 में पूरा होगा।

इस बीच, निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने पीठ से कहा कि विधानसभा की 15 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई है और न्यायालय को चुनाव पर रोक नहीं लगानी चाहिए। आयोग के वकील ने कहा कि इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अध्यक्ष का आदेश इन्हें उपचुनाव लड़ने के उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तत्कालीन अध्यक्ष ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य में एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ कांग्रेस–जद (सेकु) गठबंधन सरकार गिर गई थी।

सदन में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने पर कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा नेता बीएस एदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन हुआ।

चिन्मयानंद मामला

पीड़िता की गिरफ्तारी पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार

प्रयागराज, 23 सितंबर (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित छात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी पर किसी तरह की राहत देने से सोमवार को इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान के पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीड़ित छात्रा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यदि पीड़ित छात्रा इस संबंध में कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है।

अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस मामले की सुनवाई के समय पीड़ित छात्रा भी अदालत में मौजूद थी।

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालय: दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड–1, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटरों और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता कॉर्पोरेशन बैंक को – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 11.10.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

शाखा का नाम एवं पता : शालीमार बाग शाखा, फोन: 011-27470276, 27483072

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	उधारकर्ता: मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स, प्रोप. श्री सतीश कुमार जैन, 9, मैलाराम मार्केट, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली 110006 और : मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स, प्रोप. श्री सतीश कुमार जैन, बीके–25, वैस्ट शालीमार बाग, नई दिल्ली–110088 गारंटर: श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री सतीश कुमार जैन, बीके–25, पश्चिम शालीमार बाग, नई दिल्ली 110088	बकाया राशि ₹ 2,66,36,344.28 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति न. 01 सम्पूर्ण प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के और साथ में मैजेनाईन तल के साथ) जिसमें तीन बेड रूम शामिल है, एक ड्राईंग – सह – डाईनिंग रूम, एक किचन, कमरों के साथ दो और बाथरूम अलग से, क्षेत्रफल 168 वर्ग मी., सम्पत्ति न. 25 का भाग, ब्लॉक – बीके, शालीमार बाग (पश्चिम), दिल्ली – 110088 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 24.10.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 240,50,000/- जमा धरोहर राशि रु. 24,05,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/deepti_paper_sales.pdf

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज शाखा, फोन: 011-23418730,23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	कर्जदार : हरीश चंद्र इंडिया लि., 113–ए, कमला नगर, दिल्ली, निदेशक / गारंटर / बंधककर्ता (1) श्री अजय गुप्ता, (2) श्रीमती रजनी गुप्ता, (3) श्रीमती मीना गुप्ता, (4) मैसर्स आरके मोटेल्स (इंडिया) प्रा. लि., (5) मैसर्स सेठ दौलत राम श्री राम प्रा. लि., (6) श्री अशोक गुप्ता, (7) श्री शैलेश गुप्ता, (8) श्री अभिषेक गुप्ता, (9) श्रीमती रीता गुप्ता, (10) श्रीमती मंजू गुप्ता, (11) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, (12) मैसर्स पैरामाउंट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (प्रोपराईटर मैसर्स गुलाब राय एण्ड संस प्रा. लि.), (13) मैसर्स गैबल्स (इंडिया) प्रा. लि., (14) श्रीमती शांति देवी (मृतक) पत्नी स्वर्गीय श्री फूल चंद गुप्ता, उनके कानूनी उत्तराधिकारी (i) श्री अजय गुप्ता, (ii) श्री अशोक गुप्ता, (iii) श्री विजय गुप्ता (मृतक) पुत्र स्व. श्री फूल चंद गुप्ता, प्रतिनिधित्व के माध्यम से – (i) श्रीमती मीना गुप्ता, (ii) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, (iv) सुश्री [illegible] पुत्री स्वर्गीय श्री फूल चंद गुप्ता, (v) सुश्री [illegible] पुत्री देर श्री फूल चंद गुप्ता	बकाया राशि ₹ 4,76,80,09,979.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 2 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खेतीहर भूमि एवं फार्म हाउस बिल्डिंग जिसका पुराना खसरा न (क) 1173(3-4), 1192 (1-10), 1193/1(4-11), 1194(0-5), 1195/1 (3-8), 1261(1-1), 1262(0-8), 1263(2-8), 1264/2/1(2-8) और 1265/1(2-7) में से, जोकि संयुक्त रूप से सुश्री मीना गुप्ता और सुश्री मंजू गुप्ता के नाम पर है। (ख) 79/9, (2-2), 79/12(2-16), 79/13(4-16), 79/18(4-16), 79/23(4-16), 86/3(0-15) and 86/4(1-8) जोकि संयुक्त रूप से सुश्री रजनी गुप्ता और सुश्री रीता गुप्ता के नाम पर है। (ग) 79/10 Min (0-8) 11 Min (4-3) and 28 (0-13), 79/1 Min (1-1), 10 Min (1-7), 80/5/2(1-2), 79/21 Min. (2-5) 60/22/1 (1-0) 79/2(1-0) and 79/3 Min(0-4), 79/20 Min.(1-3), 79/20 Min. (1-2), 79/14 Min. (1-12), 60/22/2(0-10), 79/2 Min(0-10), 79/3 Min.(0-8) जोकि श्री अजय गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 12.06 एकड़, अलीपुर नरेला रोड, गाँव अलीपुर, दिल्ली–110036 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – अन्य की भूमि, पूरब में – अन्य की भूमि, पश्चिम में – पीडी लेन
नीलामी की तिथि एवं समय : 24.10.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 20,89,00,000/- जमा धरोहर राशि रु. 2,08,90,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/harish_chandra_india_ltd_1.pdf

दिनांक : 24.09.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

Kaycee Industries Limited

Corporate Identification Number ("CIN"): L70102MH1942PLC006482
Registered Office: Old Kamani Chambers, 32-Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001, Maharashtra, India.
Tel. No. +91-22-41259072, Fax No.: +91-22-41259001.
Email: complianceofficer@cms-kaycee.co.in, Web: www.kayceeindustries.com
Corporate Office: 70 Lake Road, Bhandup (West) Mumbai 400 078, Maharashtra, India.
Tel. No.: +91-22-41259072, Fax. No.: +91-22-41259001

This advertisement ("Post Offer PA") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Salzer Electronics Limited ("Acquirer") pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (the "SEBI (SAST) Regulations") in respect of the Open Offer ("the Offer") to acquire upto 16,503 fully paid-up equity shares of Rs.100/- each (the "Equity Shares") at a price of Rs. 3,475/- per Equity Share (the "Offer Price"), representing 26.00% of the Equity Share & Voting Capital of Kaycee Industries Limited (the "Target Company"). The Detailed Public Statement ("DPS") and Corrigendum to DPS ("Corrigendum") with respect to the aforementioned Offer was published on May 31, 2019 and August 08, 2019 respectively in the following newspapers:

Sl. No.	Newspapers	Language	Editions
1.	The Financial Express	English	All Editions
2.	Jansatta	Hindi	All Editions
3.	Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition

The terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meanings assigned to them as in the PA, the DPS, the Letter of Offer (LOF), Corrigendum and the Offer Opening PA.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

1. Name of the Target Company : Kaycee Industries Limited
2. Name of the Acquirer and PACs : Salzer Electronics Limited (Acquirer) There is no PAC with the Acquirer.
3. Name of the Manager to the Offer : Systematix Corporate Services Limited
4. Name of the Registrar to the Offer : Datamatics Business Solutions Limited
5. Offer Details
   Date of Opening of the Offer : Wednesday, August 28, 2019
   Date of Closure of the Offer : Thursday, September 12, 2019
6. Date for communicating the rejection / acceptance of Equity Shares in the Offer and /or corresponding payment for the acquired Equity Shares and / or refund or credit of the rejected share certificate(s) or Equity Shares to corresponding Shareholders or accounts holders : Tuesday, September 17, 2019
7. Details of Acquisition

Sl. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price (per Equity Share) • Fully Paid-up Shares • Partly Paid-up Shares	Rs. 3,475.00/- Not applicable		Rs. 3,475.00/- Not applicable	
7.2	Aggregate number of shares tendered	16,503		2,921	
7.3	Aggregate number of shares accepted	16,503		2,921	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	Rs. 5,73,47,925/-		Rs. 1,01,50,475/-	
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreement / Public Announcement • Number • % of Equity Share & Voting Capital	NIL NIL		NIL NIL	
7.6	Shares acquired by the Acquirer by way of Agreement*(s) • Number • % of Equity Share & Voting Capital	45,899 (72.32%)		45,899 (72.32%)	
7.7	Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer • Number • % of Equity Share & Voting Capital	16,503 (26.00%)		2,921 (4.60%)	
7.8	Shares acquired by the Acquirer after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	NIL		NIL	
7.9	Post offer shareholding of the Acquirer • Number • % of Equity Share & Voting Capital	62,420 (98.32%)		48,820 (76.92%)	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public • Number • % of Equity Share & Voting Capital	Pre-Offer 17,571 (27.68%)	Post-Offer 1,068 (1.68%)	Pre-Offer 17,571 (27.68%)	Post-Offer 14,650 (23.08%)

*Agreement means the SPA as defined in the PA, the DPS and the LOF.

8. On July 11, 2019, the Acquirer has acquired the entire shareholding of the Seller aggregating 45,899 Equity Shares constituting 72.32% of the Equity Share & Voting Capital of the Target Company through open market (block deal), in compliance with Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
9. Post Open Offer, the Acquirer holds 48,820 Equity Shares aggregating to 76.92% of the Equity Share & Voting Capital of the Target Company.
10. Post closure of the Offer, the public shareholding now stands at 14,650 Equity Shares i.e. 23.08% of the Equity Share & Voting Capital which is below the minimum public shareholding (MPS) limit required to maintain continuous listing under Regulation 38 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. The Acquirer shall bring down the non-public shareholding in the Target Company to the level specified within the time prescribed in the proviso of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, SEBI (SAST) Regulations and the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
11. The Acquirer and its board of directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer PA and also for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations.
12. A copy of this Post Offer PA will be available on the websites of SEBI and BSE and at the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

SYSTEMATIX GROUP
Investments Re-defined

Systematix Corporate Services Limited
SEBI Registration No. INM 000004224
The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India.
Telephone: +91-22-6704 8000; Facsimile: +91-22-6704 8022
Email: ecm@systematixgroup.in; Website: www.systematixgroup.in
Contact Person: Mr. Amit Kumar

For and on behalf of the Acquirer
Salzer Electronics Limited
Sd/-
Authorised Signatory
Name: S. Baskarasubramanian
Designation: Director (Corporate Affairs) & Company Secretary
(DIN: 00003152 & FCS: 4605)

Date: September 23, 2019
Place: Coimbatore

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)

[illegible] प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	[illegible] प्राइवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	[illegible] / 2004
3	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय– आरओसी– दिल्ली
4	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	[illegible]
5	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	[illegible], नई दिल्ली 110001
6	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	[illegible] आदेश की सूचना 26.09.2019 को प्राप्त हुई
7	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	[illegible]
8	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत है	अमित गुप्ता IBBI/IPA-002/IP-N00021/2016-2017/10048
9	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल का पता एवं ईमेल	[illegible] लखनऊ 226001 ईमेल: [illegible]@gmail.com
10	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	[illegible], नई दिल्ली 110048 ईमेल: [illegible]@gmail.com सम्पर्क न. 011-40522285
11	दावे जमा करने की अंतिम तारीख	[illegible]
12	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6क) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	रियल एस्टेट आबंटियों
13	किसी वर्ग में क्रेडीटर के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये चयनित किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	(1) श्री [illegible], [illegible], राजस्थान, 302017, [illegible]@gmail.com, IBBI/IPA-002/IP-N00625/2018-2019/11963; (2) श्री [illegible] गुप्ता, [illegible], जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226021, [illegible], IBBI/IPA-001/IP-P-01468/2018-2019/12211; (3) श्री [illegible] कुमार गुप्ता, बी–[illegible], कालकाजी, नई दिल्ली, दिल्ली, 110019, [illegible]@yahoo.co.in, IBBI/IPA-003/IP-N00078/2017-18/10751
14	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) संबंधित प्रपत्र, वेबसाइट लिंक [illegible] (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण बिंदु 13 पर उपलब्ध है

[illegible] सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी विधि अधिकरण ने 20.09.2019 को [illegible] प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

[illegible] प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि संख्या 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के पास 04.10.2019 को या उससे पूर्व अपने दावों का प्रमाण जमा करें।

वित्तीय क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

[illegible]

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

स्थान: दिल्ली
तिथि: 23.09.2019
हस्ता./–
अमित गुप्ता
(अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल [illegible] प्राइवेट लिमिटेड के लिए)
IBBI/IPA-002/IP-N00021/2016-2017/10048

गर्व इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ प्रस्ताव पश्चात विज्ञापन
कारपोरेट पहचान संख्या : L74990DL2017PLC324826
पंजीकृत कार्यालय : म. नं. 8885, गली नं. 2, मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, दिल्ली–110055, दूरभाष : +91-011-23629277, ई–मेल : info@garvindustries.com
वेबसाइट : www.garvindustries.com

श्री स्वर्णजीत सिंह सयाल तथा श्री रुबलजीत सिंह सयाल (''अभिग्रहणकर्ता'') द्वारा गर्व इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (''जीआईएल'' अथवा ''लक्ष्य कम्पनी'' अथवा ''टीसी'') के इक्विटी शेयरधारकों से रु. 10/– प्रत्येक के 26,52,000 तक इक्विटी शेयरों के अभिग्रहण हेतु खुला प्रस्ताव (''प्रस्ताव'')।

इस प्रस्ताव पश्चात विज्ञापन का निर्गमन भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अधिग्रहण तथा टेकओवर) विनियम, 2011 के विनियम 18(12) तथा इसके संशोधनों [''सेबी (एसएएसटी) विनियम, 2011''/विनियम] के अनुपालन में लक्षित कम्पनी (''प्रस्ताव'') के बकाया इक्विटी शेयर पूँजी का 26% प्रतिनिधान करते हुए रु. 10.65 प्रति इक्विटी शेयरों पर लक्षित कम्पनी के फेस वैल्यू रु. 10 प्रत्येक (''इक्विटी शेयर'') के 26,52,000 इक्विटी शेयरों के अभिग्रहण हेतु अभिग्रहणकर्ता द्वारा किये गये मुक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभिग्रहणकर्ता की ओर से फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड (''प्रस्ताव के प्रबन्धक'') द्वारा किया गया है। उपर्युक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत सार्वजनिक अभिकथन 16 जुलाई, 2019 को निम्नलिखित समाचारों में किया गया था :

समाचार–पत्र	भाषा	संस्करण
फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	सभी संस्करण
जनसत्ता	हिन्दी	सभी संस्करण
फाइनेंशियल एक्सप्रेस	मराठी	मराठी

1	लक्षित कम्पनी का नाम	गर्व इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
2	अभिग्रहणकर्ता का नाम	श्री स्वर्णजीत सिंह सयाल तथा श्री रुबल जीत सिंह सयाल
3	प्रस्ताव के प्रबन्धक का नाम	फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड
4	प्रस्ताव के रजिस्ट्रार का नाम	स्काईलाइन फाईनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	प्रस्ताव का विवरण : (अ) प्रस्ताव खुलने की तिथि (ब) प्रस्ताव बन्द होने की तिथि	04 सितम्बर, 2019–बुधवार 18 सितम्बर, 2019–बुधवार
6	प्रतिफल के भुगतान की पूर्णता की तिथि तथा अस्वीकरण/स्वीकरण की सूचना	25 सितम्बर, 2019–बुधवार

7. अभिग्रहण का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	प्रस्ताव के पत्र में प्रस्तावित		वास्तविक आँकड़े	
7.1	प्रस्ताव का मूल्य (रु. में)	रु. 10.65 (रुपये दस एवं पैंसठ पैसे मात्र)		रु. 10.65 (रुपये दस एवं पैंसठ पैसे मात्र)	
7.2	निविदाकृत शेयरों की कुल संख्या	26,52,000 इक्विटी शेयर		शून्य	
7.3	स्वीकृत शेयरों की कुल संख्या	26,52,000 इक्विटी शेयर		शून्य	
7.4	प्रस्ताव का आकार (प्रति इक्विटी शेयर प्रस्ताव मूल्य द्वारा गुणित इक्विटी शेयरों की संख्या)	रु. 2,82,43,800 (रुपये दो करोड़ बयासी लाख तैंतालीस हजार आठ सौ मात्र)		रु. 2,82,43,800 (रुपये दो करोड़ बयासी लाख तैंतालीस हजार आठ सौ मात्र)	
7.5	सार्वजनिक घोषणा से पूर्व अभिग्रहणकर्ता की शेयरधारिता (अ) नहीं (ब) इक्विटी शेयर पूँजी का %	शून्य अप्रयोज्य		शून्य अप्रयोज्य	
7.6	शेयर खरीद अनुबन्ध ('एसपीए') के माध्यम से अर्जित शेयर/अर्जित किये जाने वाले शेयर (अ) नहीं (ब) इक्विटी शेयर पूँजी का %	69,99,800 68.63%		69,99,800 68.63%	
7.7	मुक्त प्रस्ताव के माध्यम से अर्जित शेयर (अ) नहीं (ब) इक्विटी शेयर पूँजी का %	26,52,000. 26%*		शून्य अप्रयोज्य	
7.8	विस्तृत सार्वजनिक अभिकथन ('डीपीएस') के पश्चात अर्जित शेयर (अ) नहीं (ब) इक्विटी शेयर पूँजी का % (स) अर्जित शेयर का मूल्य	शून्य शून्य अप्रयोज्य		शून्य शून्य अप्रयोज्य	
7.9	अभिग्रहणकर्ता की प्रस्ताव पश्चात शेयरधारिता	शेयरों की संख्या 96,51,800	इक्विटी शेयर पूँजी का % 94.63%	शेयरों की संख्या 69,99,800	इक्विटी शेयर पूँजी का % 68.63%
7.10	जनता की प्रस्ताव पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता (अ) नहीं (ब) इक्विटी शेयर पूँजी का %	प्रस्ताव पूर्व 32,00,200 3137%	प्रस्ताव पश्चात 5,48,200 5.37%	प्रस्ताव पूर्व 32,00,200 3137%	प्रस्ताव पश्चात 32,00,200 31.37%

* मुक्त प्रस्ताव में पूर्ण स्वीकृति मानते हुए।

8. अभिग्रहणकर्ता इस प्रस्ताव पश्चात विज्ञापन में लिखित सूचना तथा विनियमों के अधीन दायित्वों का भी पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।
9. इस प्रस्ताव पश्चात विज्ञान की एक प्रति सेबी, बीएसई लिमिटेड तथा लक्षित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

इस विज्ञापन में कैपिटलीकृत शब्द किन्तु परिभाषित नहीं, के अर्थ वहीं होंगे जो 7 अगस्त, 2019 को प्रस्ताव–पत्र में इन शब्दों के लिए प्रयुक्त किये गये हैं।

अभिग्रहणकर्ता की ओर से प्रस्ताव के प्रबन्धक द्वारा जारी :

फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड
बी–502, स्टेट्समैन हाउस,
147 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष नं. : 011-43029809
ई–मेल : mb@fifinsec.com
वेबसाइट : www.fifinsec.com
सम्पर्क व्यक्ति : श्री पवन कुमार माहुर
सेबी पंजी. सं. : INM000012500
सीआईएन : U65191DL2010PTC200381
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 सितम्बर, 2019

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

पुराना स्टेशन रोड, एससीओ–5, जेल लैण्ड, सोहना चौक, गुड़गाँव–122001
टेली.: 0124-2300494

ई–नीलामी की सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9}

जैसा कि श्री सौरभ नैयर, पुत्र श्री राजीव नैयर तथा श्रीमती रीति नैयर, पत्नी श्री राजीव नैयर, निवासी 152/12 बी, कृष्णा कॉलोनी गुड़गाँव ने आन्ध्रा बैंक, गुड़गाँव ओल्ड स्टेशन रोड शाखा से साख सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज के साथ बैंक को देय 20.9.2019 को रु. 42,95,599/– के भुगतान में चूक की है। अतएव, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के 54 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक ने सार्वजनिक नीलामी में नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है जो यहाँ नीचे वर्णित वेबसाईट/पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा आयोजित की जायेगी।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य रु. 72,00,000/– (रुपये बहत्तर लाख मात्र) होगी जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने तथा संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को गुड़गाँव ओल्ड स्टेशन रोड शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में ईएफटी/आरटीजीएस/एनईएफटी अंतरण द्वारा धरोहर राशि के रूप में नीचे वर्णित आरक्षित मूल्य के 10% की राशि का भुगतान करना होगा जो खाता नं. 237311100003369, आन्ध्रा बैंक, गुड़गाँव ओल्ड स्टेशन रोड शाखा, जिसका शाखा कोड 2373, आईएफएससी कोड ANDB0002373 है, में क्रेडिट किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान 23.10.2019 के 4.00 बजे अप. से पूर्व किया जाएगा।

ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक क्रेता को नीचे दिए गए ई–नीलामी सेवा प्रदाता के पास अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा अपना यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने के लिए इच्छुक क्रेता सेवा प्रदाता का सहयोग ले सकते हैं तथा निशुल्क ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वैध यूजर आईडी/ पास्वर्ड प्राप्त किए होने तथा एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का संपुष्ट भुगतान किए होने वाले इच्छुक क्रेता प्राधिकृत अधिकारी की क्लीयरैंस के अधीन ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।

न्यूनतम बोली गुणक अपसेट मूल्य का 1% अथवा रु. 100000 (रुपये एक लाख) इसमें जो भी कम हो, होगा।

संपत्ति की ई–नीलामी 24.10.2019 को बिक्री की पूर्णता/ समाप्ति तक प्रति 5 मिनट के स्वतः समय– विस्तार के साथ 12 बजे अप. से 1 बजे अप. के बीच एंटेयर्स सिस्टम्स लिमिटेड की वेबसाईट पर होगी।

संपत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य/ बोली का प्रस्ताव करने वाले बोलीदाता को की जाएगी तथा वह बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।

अचल संपत्ति के लिए सफल बोलीदाता/ क्रेता को उसी दिन तत्काल या अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो तक जमा की गई धरोहर राशि सहित 25% मूल्य/ बोली राशि का प्राधिकृत अधिकारी के पास भुगतान करना होगा जिसमें चूक करने पर संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।

क्रेता को शेष 75% राशि का भुगतान अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर या क्रेता तथा प्रतिभूत क्रेडीटर के बीच लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि में किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा बैंक संपत्ति की फिर से बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है।

इच्छुक पार्टी 4.10.2019 को 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाली पार्टियों को नीलामी में भाग लेने से पूर्व उपयुक्त ड्यू डिलिजेंस कराना होगी। संपत्ति से संपंधित किसी भी कोर्ट में बाद में किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194– आईए के अनुसार यदि बिक्री मूल्य रु. 50,00,000/– (रुपए पचास लाख) तथा अधिक होती है तो बिक्री राशि पर 1% की दर से टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/ क्रेता बिक्री मूल्य से 1% की टीडीएस की कटौती करेंगे तथा उसे बैंक के नाम तथा विक्रेता के रूप में पैन नं. AABCA7375C को शामिल करते हुए प्रपत्र 16–बी में आयकर विभाग में जमा करेंगे तथा बैंक के पास टीडीएस का मूल रसीद जमा करेंगे।

स्थानीय करों, आबकारी शुल्क तथा अन्य किसी सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए क्रेता उत्तरदायी होंगे। बिक्री पूरा करने के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर पंजीकरण प्रभारों तथा स्टांप शुल्क का वहन क्रेता को ही करना होगा।

संपत्ति की बिक्री जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार पर सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर प्रदर्शित नियमों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकरण के संपत्तियों पर किसी दावे, चार्जेज/ अधिभारों के संदर्भ में अपनी गोपनीय जांच कर ले तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व संपत्ति के टाइटल, विस्तार, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बिक्री के लिए बिक्री की संपत्ति, संपत्ति पर चार्जेज/अधिभारों अथवा अन्य किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार के दावे पर ऑन लाईन बोली जमा कर देने के बाद विचार नहीं होगा। संपत्ति की बिक्री से संबंधित बैंक का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बिक्री को निरस्त या निलम्बित करने का अधिकार प्राप्त है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि तथा भवनः गली नं. 4, निकट शिव मंदिर, कृष्णा कॉलोनी, मैन रोड, गुड़गाँव में मकान सं. 152/12 बी, माप 77.5 वर्ग यार्ड्स में स्थित आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग 697.5 वर्ग फीट। चौहद्दीः पूर्वः गली, पश्चिमः राजन नैय्यर का मकान (निर्माणाधीन), उत्तरः मैन रोड, दक्षिणः राजेश नैय्यर का मकान।

ऊपर वर्णित संपत्ति की ई–नीलामी ई–नीलामी सेवा प्रदाताः एन्टेयर्स सिस्टम्स लिमिटेड # 24, सुधा कॉम्प्लैक्स, 3रा स्टेज, 4था ब्लॉक, बसवेश्वरनगर, बैंग्लोर–560079, संपर्क व्यक्तिः श्री तौशिक घोष एवं श्री कुशल घोस एवं श्री विनोद सिंह बोरा, मो.नं. 9674758724 एवं 7686913157 एवं 9718227288, ईमेल आईडीः toushik.g@anterassystems.com, kushal.b@antaressystems.com, vinodsingh.b@antaressystems.com, टोल फ्री नं. 18001026185, लैण्डलाइन नं.: 080-43952000 द्वारा ई–नीलामी पोर्टलः www.tenderwizard.com/ANB के माध्यम से संचालित की जाएगी।

ई–नीलामी तथा ई–नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा प्रपत्र तथा विस्तृत नियमों एवं शर्तों से संबंधित विस्तृत विवरण आन्ध्रा बैंक, संबंधित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क फोन नं. 01242300494) से प्राप्त की जा सकती है तथा वह अधोलिखित वेबसाईटों पर भी उपलब्ध होगीः

1. **www.antaressystems.com/ANB 2. www.andhrabank.in 3. www.tenders.gov.in**

यह वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9 के अंतर्गत उपरोक्त ऋण के ऋणधारक (कों)/गारन्टर (रों)/मार्टगैजर (रों) के लिये एक सूचना है।

स्थानः गुरूग्राम, तिथिः 23.9.2019 प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

जनसत्ता

24 सितंबर, 2019

नए रिश्तों का दौर

अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत-सम्मान में आयोजित भव्य समारोह 'हाउडी मोदी' का संदेश साफ है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में अब नए युग की शुरुआत हैं। इस आयोजन की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं मानी जानी चाहिए कि यह भारतीयों और अमेरिकियों की ओर से मोदी का सम्मान भर था, बल्कि यह समारोह इस वजह से ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसमें मौजूद रहे, मंच से हर मामले में मोदी की तारीफ की। आतंकवाद से निपटने से लेकर कारोबारी रिश्तों तक को मजबूत करने में अमेरिका भारत के साथ एकजुट दिखा। क्या कोई सोच सकता है कि आयात शुल्क जैसे मुद्दे पर कभी भारत को धमकाने वाले ट्रंप इस तरह दिल खोल कर भारतीय प्रधानमंत्री की आवभगत करेंगे! यह कोई मामूली बात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, टेक्सास के गवर्नर सहित तमाम बड़ी हस्तियां और कारोबारियों के साथ पचास हजार लोग स्टेडियम में मौजूद रहे। मोदी के इस सम्मान से वैश्विक पटल पर एक बार फिर भारत का डंका बजा है। हालांकि पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के आयोजनों में प्रवासी नागरिकों का दिल जीता है। 24 सितंबर 2014 को भी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर मोदी ने बीस हजार भारतीयों को संबोधित किया था।

ह्यूस्टन का समारोह जहां अमेरिका के साथ रिश्तों के नए आयाम गढ़ने वाला रहा है, वहीं इस मंच से ट्रंप और मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का जो संकल्प व्यक्त किया है, वह पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए स्पष्ट और कड़ा संदेश है। दोनों नेताओं ने अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर जो कुछ कहा, उसका सार यही था कि इस्लामी आतंकवाद दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा है और इससे मिल कर निपटना होगा। इसके मायने पाकिस्तान को समझने चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारत का साथ दिया है, उससे भी पाकिस्तान सकते में है। राष्ट्र हितों को लेकर ट्रंप और मोदी के बीच वैचारिक साम्यता की एक और झलक हाउडी मोदी में देखने को मिली। जहां भारत में घुसपैठियों को खदेड़ने के खिलाफ सरकार ने ठान रखी है, वहीं मैक्सिको से आने वाले लोगों के लिए ट्रंप का रुख भी दुनिया के सामने है। अवैध नागरिकों का मुद्दा भी इस समारोह से दूर नहीं रह पाया। स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोग 'जयश्री राम' और 'राम लला हम आएंगे .. मंदिर वहीं बनाएंगे' जैसे नारे लगा रहे थे। जाहिर है, भविष्य के भारत को लेकर मोदी की नीतियों और उनके काम को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी उनसे उम्मीदें काफी हैं।

प्रधानमंत्री का ह्यूस्टन दौरा भारतीयों से मुलाकात और कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के मकसद से ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा है। अमेरिकी तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भारत के ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित रही और कई बड़े फैसले हुए। इससे अब भारत के ऊर्जा बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनियों को और आसानी होगी। भारत की तात्कालिक चिंता कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर है, क्योंकि सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद से तेल उत्पादन पर भारी असर पड़ा है। ऐसे में अब अमेरिका भारत को कच्चा तेल देगा। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। कारोबारी लिहाज से अमेरिका अब भारत की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका है। भारत के लिए यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है।

ताक पर कानून

पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों ने किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कर कानून अपने हाथ में ले लिया और पीट-पीट कर उसकी जान ले ली। यह प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से बढ़ी है और अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को आई खबरों के मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों में सिर्फ शक के आधार पर तीन लोगों की बुरी तरह पिटाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। दिल्ली में लोगों के घरों में खाना बना कर गुजारा करने और अपने बच्चों को पढ़ाने वाली एक विधवा महिला को चोरी का आरोप लगा कर एक परिवार ने इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। इसी तरह, राजस्थान के झालावाड़ जिले में चोर बता कर एक दलित युवक को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। इसके अलावा, झारखंड में गोमांस बेचने के आरोप में तीन युवकों की बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें एक की मौत हो गई। कानून की फिक्र को ताक पर रख एक दिन में इस तरह की तीन घटनाएं आखिर क्या बताती हैं? क्या स्थिति यहां तक आ चुकी है कि भीड़ में शामिल होने या किसी बहाने जानलेवा तरीके से पिटाई करने वाले लोगों के दिमाग में कानून का खयाल नहीं आता?

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कानून नहीं बन सकता है और लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने भीड़ के हाथों हत्या को एक अलग अपराध की श्रेणी में रखने और इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बनाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद मौजूदा कानूनों को भी धता बता कर ऐसी घटनाएं जिस तरह बदस्तूर जारी हैं, उससे साफ है कि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाना शायद सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। कभी गोमांस के बहाने तो कभी बच्चा चोरी या फिर कोई सामान चुराने के आरोप में पकड़े गए किसी व्यक्ति को जब कोई समूह बर्बरता से पिटाई करने लगता है तो आखिर उसका विवेक क्यों ऐसा करने की इजाजत देता है? ऐसे लोगों को यह समझना जरूरी क्यों नहीं लगता कि अगर कोई काम कानून की परिभाषा में अपराध है तो उसके लिए सजा भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय होगी? ऐसे लोग आरोपी को पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हाथों में क्यों नहीं सौंपते और उनकी जानलेवा पिटाई की हिम्मत उनके भीतर कहां से आती है?

हालांकि किसी अफवाह या आरोप की वजह से लोग जिस तरह एक भीड़ की शक्ल में तब्दील हो रहे हैं, उसकी स्वाभाविक परिणति यही है कि ऐसी स्थिति में किसी तथ्य पर विचार करना जरूरी नहीं समझा जाता है और दिमाग पर सिर्फ उत्तेजना और उन्माद हावी रहता है। इसके अलावा, जो लोग भीड़ बन कर हिंसा करते हैं, अक्सर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती, संदेह या भ्रम के आधार पर ज्यादातर लोग हत्या के अपराध से बच जाते हैं या फिर कई बार उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे भी मामले सामने आए जब भीड़ के हाथों हत्या के अभियुक्तों को जमानत मिली तो किसी बड़े नेता ने उनका स्वागत भी किया। सवाल है कि क्या इससे बाकी जगहों पर अराजक तत्त्वों को शह नहीं मिलेगी? उन्माद की मानसिकता में जीने वाली भीड़ किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है और उसका खमियाजा अमूमन निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर यह चलन इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और विधि के शासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।

कल्पमेधा

जिस समय हम समझते हैं कि नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय अक्सर हम दूसरे के नेतृत्व में होते हैं।

– बायरन

जाली मुद्रा का बाजार

अभिजीत मोहन

नोटबंदी से पहले देश के विभिन्न बैंकों के एटीएम से नकली नोट निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई बैंकों के चेस्ट में भारी मात्रा में नकली नोट पाए गए थे। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश में ऐसे कई गिरोह हैं जो नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वे जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं।

यह चिंताजनक है कि सरकर की कड़ी निगरानी के बावजूद देश में नकली नोटों का प्रवाह थम नहीं पा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते दो वर्षों में नकली नोटों की संख्या में दस गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 और 2018-19 में नकली नोटों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। चिंता की बात यह है कि बड़े नकली नोटों के अलावा अब दस, बीस और पचास रुपए के छोटे नकली नोट भी बाजार में हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि एक वर्ष के दौरान दस, बीस और पचास रुपए के नकली नोटों में क्रमशः 20.2, 87.2 और 57.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यानी दो साल के दरम्यान छोटी मुद्राओं में नकली नोटों की संख्या चार गुना तक बढ़ी है। आंकड़ों पर गौर करें तो पचास रुपए के नकली नोटों की संख्या नौ हजार से बढ़ कर छत्तीस हजार तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बाजार में सबसे अधिक सौ रुपए के नकली नोट मौजूद हैं। हालांकि सौ रुपए के नकली नोटों में साढ़े फीसद की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो वर्षों में दो हजार रुपए के नकली नोटों की संख्या में भी बाईस प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसी तरह दो सौ रुपए के नकली नोटों में एक सौ साठ गुना वृद्धि हुई है।

पिछले साल 2018 में दो सौ रुपए के उनयासी जाली नोट पकड़े गए थे, जबकि इस साल इनकी संख्या बारह हजार सात सौ अट्ठासी हो गयी। इसी तरह पांच सौ रुपए के नकली नोटों में एक सौ इक्कीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। 2016-17 में पांच सौ रुपए के नकली नोटों की संख्या सिर्फ एक सौ निन्यानवे थी, जो 2018-19 में बढ़ कर बाईस हजार पहुंच गई। गत वर्ष एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि पिछले दस सालों में देश के बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2007-08 में सरकार ने पहली बार यह अनिवार्य किया था कि निजी बैंकों और देश में संचालित सभी विदेशी बैंकों के लिए नकली मुद्रा पकड़े जाने संबंधी किसी भी घटना की जानकारी धनशोधन रोधी कानून के प्रावधान के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को देनी होगी। उसके बाद से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 में सवा लाख से से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हुए थे। एक ही साल यानी 2010-11 में ऐसे दर्ज मामलों की संख्या ढाई लाख से ज्यादा हो गई और वर्ष 2011-12 में ये सवाल तीन लाख से ऊपर निकल गए। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली नोटों का प्रवाह जारी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो भी खुलासा कर चुका है कि देश में सबसे अधिक पांच सौ रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में पांच सौ रुपए के 2,99,524 नोट, सौ रुपए के 2,17,189 नोट और एक हजार रुपए के 1,78,022 नकली नोट बरामद किए गए। नोटबंदी से पहले के एक आंकड़े के मुताबिक रिजर्व बैंक और जांच एजेंसियों की संख्ती के बावजूद भारतीय बाजार में मौजूद साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपए की मुद्रा में बड़ी संख्या में नकली नोट मौजूद होने का खुलासा हुआ था। यह भी आशंका जाहिर की गई थी कि यह आंकड़ा चार सौ करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। नोटबंदी से पहले देश के विभिन्न बैंकों के एटीएम से नकली नोट निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई बैंकों के चेस्ट में भारी मात्रा में नकली नोट पाए गए थे। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश में ऐसे कई गिरोह हैं जो नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वे जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। अब भी पाकिस्तान नकली नोटों की खेप बांग्लादेश के जरिए भारत में भेज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले भी खुलासा कर चुकी हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ सालाना दस हजार करोड़ रुपए मूल्य के भारतीय नोटों की नकली मुद्रा छाप कर भारत में भेजने की योजना पर काम कर रही है। खास बात यह कि नोटबंदी के बाद भी पाकिस्तान इस खेल में जुटा हुआ है।

दरअसल, उसकी मंशा नकली नोटों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2010 में तकरीबन सोलह अरब रुपए मूल्य की नकली मुद्रा नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भारत भेजी गई थी। इसी तरह वर्ष 2011 में बीस अरब रुपए की नकली मुद्रा भेजी गई। इस जाली मुद्रा में तकरीबन साठ फीसद हिस्सा पाकिस्तान में छापा गया था। वर्ष 2015 में भी इन रास्तों से तकरीबन तीन करोड़ से ज्यादा की मुद्रा पकड़ी गई थी।

अच्छी बात है कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के नागरिकों को प्रचार-प्रसार के जरिए असली-नकली नोटों के फर्क को समझाता रहता है। बैंकों को भी हिदायत दी जाती है कि वे नोटों को लेने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें। इसमें दो राय नहीं कि नोटबंदी के बाद भी नकली मुद्रा के धंधे से जुड़े लोगों पर अभी तक पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा जा सका है। हालांकि भारत सरकार ने नकली नोटों पर अंकुश रखने के उपाय सुझाने के लिए शैलभद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर अमल करते हुए मुद्रा निदेशालय में अतिरिक्त सचिव स्तर का महानिदेशक का पद सृजित किया गया है। इसके अलावा कई अन्य और कदम उठाए गए हैं। मसलन, सरकार ने बेहद सुरक्षित किस्म के कागजों पर नोट छापने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैसूर में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नोटों के कागज बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है। इस कारखाने में निर्मित करेंसी कागज की नकल करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। गौरतलब है कि अभी भारत में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश करेंसी कागज आयातित होते हैं। हर वर्ष भारत तेरह अरब रुपए मूल्य के कागज आयात करता है।

नकली नोटों के अवैध धंधे को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र और राज्य सरकारों की सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां मिल कर काम कर रही हैं। गौरतलब है कि एजेंसियों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय में एक संयोजन समिति बनाई गई है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल एक तरफ बिना छपाई वर्ष वाले 2005 से पुराने नोटों को परिचालन से बाहर कर दिया है। वहीं नए नोटों पर सुरक्षा मानक ज्यादा उन्नत बना दिए गए हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पिछले साल से ही नंबर पैनल पर आकार में नोटों के नंबर की छपाई बढ़ते हुए क्रम में शुरू कर दी है। बेहतर होगा कि भारत सरकार नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए और कड़ा कदम उठाए। इसमें अमेरिका मददगार साबित हो सकता है। इसलिए कि उसके पास नकली नोटों से निपटने की उच्च प्रौद्योगिकी विद्यमान है और साथ ही उसके पास हर नकली अमेरिकी डॉलर का फोटो सहित डाटाबेस भी उपलब्ध है। उसे जानकारी हो जाती है कि नकली डॉलर कहां और किस रास्ते से आता है और इसे लाने वाले लोग कौन लोग हैं। अगर भारत भी अमेरिकी प्रौद्योगिकी की सहायता लेता है तो निःसंदेह नकली नोटों से निपटने में मदद मिलेगी।

नसीहत के फूल

राजेंद्र प्रसाद

दुनिया मेरे आगे

हरेक की जिंदगी के समंदर में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। ऐसे में जब कभी एकांत में जिंदगी के बारे में सोचने-विचारने का अवसर मिलता है तब समझ आता है कि केवल सांस लेने या छोड़ने का नाम जिंदगी नहीं है। ऐसी स्वतः स्फूर्त क्रिया तो निहायत कुदरती उसूल है, जिसे हमें याद नहीं करना पड़ता कि सांस कब लेना या कब छोड़ना है। अगर हम ठीक से जीवन पर विचार करें तो बहुत सारे पहलू और आयाम हमसे जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा पैदा होने के बाद ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है त्यों-त्यों खुद को संसार में मोह-माया की केंचुली में निरंतर ऐसा लिपटा हुआ पाता है, जिसमें अपने इर्द-गिर्द के परिवार वाले या संसारवासी समझा-पढ़ा देते हैं कि पढ़ो, पैसा कमाओ और विकास की भूख को शांत करो। इससे ऐसा जरूर लगता है जैसे बचपन में हम खूब पढ़ें, बड़े होकर अच्छा भविष्य बनाएं। अच्छा भविष्य पैसा कमाने से जुड़ा हुआ देखते हैं या गृहस्थी चलाने के लिए अर्थ को प्रधान मान कर विकास की सब क्रियाओं से गुजरते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अर्थ के चक्कर में बहुत सारा अनर्थ भी जीवन में कर जाते हैं, जिसकी आपाधापी में इंसान का जीवन कीचड़ में ऐसा सन जाता है कि जीवन का उद्देश्य बहुत सीमित-सा जान पड़ता है।

यों देखें तो जीवन में दुनिया की अच्छी-बुरी बातें कही-सुनी और की जाती है, सिर्फ अमल करना बाकी रह जाता है। सांसारिक चक्र से थोड़ा-सा सोचें तो लगेगा कि जिंदगी के असली और प्राकृतिक आनंद से हम अपने को काफी जुदा पाते हैं। मोटे तौर पर चार तरह के लोग होते हैं- पहले, जो जल्दी से कोई गलती नहीं करते या ठोकर खाने से पहले ही संभले होते हैं; दूसरे, किसी को ठोकर खाकर देखते हुए देख संभल जाते हैं; तीसरे, खुद ठोकर खाकर भविष्य के लिए संभल जाते हैं और चौथे, वे जो ठोकर खाकर भी कभी नहीं संभलते।

बेशक जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत जानते हैं। कटु सत्य है कि गलत को गलत और सही को सही पहचानना और कहना आज के युग में असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। लगता है कि हम बदलते दौर के ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां लोग साधारण नहीं, असाधारण से हो गए हैं। सामाजिक नहीं, कुछ असामाजिक हो रहे हैं और इंसानियत को भूल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब गलत हैं। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति, समाज और परिवारों के सोचने और काम करने का ढंग भी दोषी है। इसलिए संवाद का स्थान विवाद और समाधान का स्थान समस्या ले रही है।

जीवन में जीने के मकसद पर विचार करने की आदत होनी चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कह गए हैं- 'न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए।' जीवन को सही और सार्थक बनाने के लिए अगर हम सीखना चाहें तो संसार में सीखने-करने की बहुत सारी चीजें हैं। उनमें महत्त्वपूर्ण है- नसीहतें, जो चिंतकों-विचारकों और महान लोगों के अनुभवों के खजाने से निकली हैं। नसीहतें हमारे जीवन के अंधकार को हटा कर रोशनी करती हैं, सबक लेने का मौका देती हैं और जीवन के रूप-स्वरूप को संवारने-सुधारने में विशेष मदद करती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बड़ी भूमिका अदा करती हैं। बानगी के रूप में कुछ नसीहतें गहरे अर्थ वाली भी हैं। मसलन, 'जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता'। 'दीपक इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता।' 'जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है।' 'सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती; ना किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में।'

इन नसीहतों में जीवन के मूल्य हैं, नैतिकता के सबक और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरणा है। अपनों को अपना बनाए रखने का चुंबक है और परायों को अपना बनाने के नुस्खे भी। नसीहत के फूल किसी को दें तो उसकी खुशबू खुद भी लेना न भूलें। सब मानते हैं कि दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। विरासत में हर बार जागीर और सोना-चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अपना अहं त्याग कर शक्तिशाली होने पर भी सरल रहने की जरूरत है। धनी न होने पर भी परिपूर्ण महसूस करना चाहिए। हालांकि जिंदगी में सरल होना आसान है, पर देखा यह गया है कि कठिन होने को लोग सरल मानते हैं और सरल होना फिर खुद-ब-खुद कठिन हो जाता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है।

अमेरिका के साथ

अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में दो शासनाध्यक्षों की मित्रता के रूप में पचास हजार दर्शकों के बीच आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम वास्तव में भारत-अमेरिका के सांस्कृतिक संबंधों की सकारात्मकता का उदाहरण है। यह अलग बात है कि अगले साल अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी वहां बसे भारतीय मूल के लोगों में वोट बैंक नजर नजर आ रहा है। अगर ऐसा है भी तो भारतीय नजरिए से गलत क्या है। ये लोग पहले से वहां बसे हैं और भारत-अमेरिका संबंध अब तक उतार-चढ़ाव के रूप में ही दिखता रहा है। यदि इन नागरिकों की बदौलत भारत अमेरिका संबंधों के विभिन्न आयामों में प्रगाढ़ता आती है तो वहां बसे लाखों भारतीय को भी अपनापन का एहसास होगा। भारतवंशी अपने देश के नेता को सुनने आए थे। ऐसे में अमेरिकी यदि भारत के प्रधानमंत्री के प्रशंसक हो जाते हैं तो भारत को इससे लाभ ही हैं। प्रधानमंत्री ने वहां आतंकवाद का मुद्दा उठाया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे पर भारत के साथ मिल कर काम करने का जो भरोसा दिया वह भारत के लिए बेहतर ही है। ऊर्जा के मसलों पर दोनों राष्ट्रों के मध्य हो रही साझेदारी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए विकल्पों का बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगा।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार*

जिम्मेदार कौन

कोलकाता का जाधवपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिरा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में जब स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें बंधक बना लिया गया। हालांकि उन्होंने इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। किंतु ऐसा करने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे या बाहरी लोग, यह जांच का विषय है। यह समझने वाली बात है कि जेएनयू जैसा दिल्ली का विश्वविद्यालय जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ते है, भारत का नाम ऊंचा करते है, किंतु कुछ अतिवादी तत्वों के कारण विश्वविद्यालय बदनाम हो जाते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को कौन संरक्षण देता है? इनके रक्षा कवच को तोड़ कर ऐसे लोगों को दंडित करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के तत्व समाज में समरसता और स्नेह के वातावरण को दूषित करते हैं और शिक्षण संस्थानों को गलत दिशा में ले जा रहे है। यही कारण है कि विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों की सूची में भारत के विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत नीचे आ गया।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार*

गद्दारों की चिंता

आतंकी मुल्क पाकिस्तान दुनियाभर में कश्मीर मुद्दे को लेकर ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत सरकार कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है और उनके नेताओं का हुक्का-पानी बंद कर रखा है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कश्मीरियों की चिंता नहीं है, उन्हें भारत के उन गद्दारों की चिंता है जो खाते तो भारत की हैं, रहते भारत में हैं, लेकिन साथ पाकिस्तान का देते हैं और उनके कहने पर घाटी में आतंकियों को घुसने देते हैं। यही नहीं, इन आतंकियों को अपने घर में भी पनाह भी देते हैं। पाकिस्तान अलगाववादी और उन कश्मीरी नेताओं की चिंता कर रहा है, जिनके दिल में भारत नहीं पाकिस्तान और आतंकवाद बसता है। लेकिन भारत की सरकार ने उनको जेलों में ठूस दिया है, इसलिए पाकिस्तान बौखला रहा है। आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान को पूरे विश्व में मुंह की खानी पड़ रही है। रविवार को ह्यूस्टन में भी प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंच साझा कर इशारों-इशारों में पाकिस्तान को बता दिया कि अगर आतंक को संरक्षम देने का काम बंद नहीं किया तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।

● *ब्रजेश सैनी, बिंदकी फतेहपुर, उप्र*

साझा सरोकार

हाल ही में ह्यूस्टन में हुए भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी भारतीयों ने हिस्सा लिया। जहां एक और ट्रम्प के लिए यह अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की योजना का हिस्सा था दूसरी और भारत ने भी कई सन्देश इस कार्यक्रम के द्वारा पूरी दुनिया को दिए। जैसे की भारत और अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध एक साथ मजबूती से खड़े है व कश्मीर से 370 हटाने के मामले में भी अमेरिका का समर्थन है। भारत व अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे व्यापारिक तनाव को कम करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। भले ही ट्रम्प के लिए यह चुनाव प्रचार का हिस्सा हो लेकिन आज अमेरीकी-भारतीय और भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र है इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि भारत और भारतीयों का प्रभाव व ताकत पूरी दुनिया में आश्चर्य जनक रूप से बढ़ी है और भारतीयों और भारतीय राजनेताओ में अपनी बात किसी भी स्थान पर मुखरता के साथ रखने की प्रवृति जाग्रत हुई है जो की दर्शाता है की भारत विश्वगुरु बनने के अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।

● *सुनील कुमार सिंह, मेरठ, उप्र*

जरूरी जुर्माना

नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में दोषी वाहन चालकों पर भारी जुर्माना निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरह से उचित है, क्योंकि बिना सख्ती के शासन चलता भी नहीं है। मगर इसमें एक बड़ी कमी यह है कि इसमें दूसरे इतने ही जिम्मेवार पक्ष को छोड़ दिया गया है जो तर्कसंगत नहीं है। इसके लिए खराब और जानलेवा सडकों, फुटपाथों,चौराहों, पुलों, अंडरपास आदि के सभी जिम्मेवार अधिकारियों, ठेकेदारों और नियोजकों आदि पर भी ऐसे ही जुर्माने बहुत जरूरी हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे और यह पूरे देश में समान रूप से लागू हो सके। केंद्र के कानून तो पूरे देश के लिए बनते हैं। यदि कुछ राज्य इसे लागू करें, कुछ न करें और कुछ इसे तोड़-मरोड़ कर लागू करें, तो यह किसी के लिए भी शोभायमान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को इसे इस जरूरी संशोधन के साथ ही लागू करना जरूरी है।

● *वेद मामूरपुर, नरेला*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जरा हट के

इंग्लैंड राज परिवार के प्रिंस हैरी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में अपने अफ्रीकी दौरे के पहले दिन एक बच्चे के साथ बात करते हुए।

बोल

भारत दुनिया का महान लोकतंत्र है। हमें भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर गौर करने की जरूरत है। ये आतंकवादी चांद पर से नहीं आते। ये पड़ोसी देश से आते हैं। हमें भारत का समर्थन करना चाहिए।

-रिस्जार्ड जारनेकी, यूरोपीय सांसद

विवाद

सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले को लेकर अगर उनके देश पर हमला किया जाता है तो इसका नतीजा 'युद्ध' होगा। इससे बहुत लोग हताहत होंगे।

-मोहम्मद जावेद जरीफ, ईरान के विदेश मंत्री

सम-सामयिक

कॉरपोरेट छूट : कितनी कारगर औषधि

जनसत्ता संवाद

अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कई सूत्री राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें मुख्य था कॉरपोरेट कर में छूट। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ता बाजार में मांग बढ़ेगी। उद्योगों की स्थिति दुरुस्त होगी। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने एवं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में नए प्रावधान किए गए हैं। घरेलू कंपनियों पर लगने वाला कॉरपोरेट कर घटा दिया गया है। पहले यह कर 30 फीसद था, जिसे घटाकर 22 फीसद कर दिया गया है। सरचार्ज और सेस लगाकर पहले कर 34.94 फीसद हो जाता था और अब यह कर 25.17 फीसद हो जाएगा। अगर कोई कंपनी नई है, तो उसे 15 फीसद का कर देना पड़ेगा। सेस और सरचार्ज मिलाकर ये कर 17.5 फीसद हो जाएगा, जो पहले 29.12 फीसद था। नई कर प्रणाली एक अप्रैल, 2019 से लागू होगी। ऐलान सितंबर में हुए हैं, तो जिन कंपनियों ने पुरानी दर पर एडवांस कर का भुगतान किया है, उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। कॉरपोरेट कर में छूट से सरकार को हर साल कम से कम 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

इस कर व्यवस्था में सरकार लोगों को कई तरह के फायदे पहुंचने की उम्मीद जता रही है। हालांकि, उम्मीदों को नियमों का जामा नहीं पहनाया गया है। यह पूरी तरह से कंपनियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि छूट का लाभ वे कहां पहुंचाएं। सरकार यह मानकर चल रही है कि इस व्यवस्था से नौकरियां जाने का खतरा कम होगा। कंपनियों के पास पैसे बचेंगे, तो वो अपने कर्मचारियों पर खर्च कर सकेंगी। अगर नौकरियां बनी रहेंगी, तो लोग खरीदारी करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी। नौकरियां बनी रहेंगी तो लोग घर भी खरीद पाएंगे।

कंपनियों पर लगा कर घटने से उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनियां बैंकों से लिए गए कर्ज को वापस कर देंगी। अगर बैंकों के पास कर्ज का पैसा वापस आ जाएगा, तो वे और नए कर्ज बांट सकेंगी। इससे रोजगार बढ़ेगा। अगर कॉरपोरेट कर घटने से जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, तो वे अपने उत्पाद की कीमत घटा सकेंगी। उम्मीद है कि सामान सस्ते होंगे। बड़े स्टार्टअप शुरू होने की उम्मीद जगी है। जब नई कंपनियां और स्टार्टअप शुरू होंगे, तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार को उम्मीद है कि कई नई विदेशी कंपनियां भारत आएंगी। और ये कंपनियां खास तौर से वो होंगी, जो अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध की वजह से प्रभावित हो रही हैं।

लोगों को सीधे क्या फायदा पहुंच रहा है, इसे लेकर सरकार रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में की गई कटौती की बात कर रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक, रेपो रेट में कटौती से बैंकों ने भी कर्ज दरों में कटौती की है। इससे गृह, वाहन और अन्य खुदरा कर्ज की ईएमआइ सस्ती होगी। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी किए गए पूर्वभुगतान नोटिसों की बैंक निगरानी करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) को और आसान करने का ऐलान किया गया है। ऑटो सेक्टर को राहत देने के लिए कई उपायों का ऐलान है। सरकारी विभागों द्वारा गाड़ियों की खरीद पर लगी रोक को हटा लिया गया है। साथ ही मांग बढ़ाने के लिए पुरानी गाड़ियों को कबाड़ करने की नीति भी लाई जाएगी।

फायदा बड़ी कंपनियों का

- 30 फीसद के कॉरपोरेट कर के दायरे में आने वाली बड़ी कंपनियों को फायदे के आसार।
- अब एक अक्तूबर, 2019 के बाद बनने वाली विनिर्माण कंपनियों को 15 फीसद की दर से कॉरपोरेट कर देना होगा।
- संभावना है कि अब कारोबारी नई कंपनियों पर जोर देंगे।

शोध-अनुसधान

एचआइवी के लिए टीका बनाने की तैयारी

जनसत्ता संवाद

दुनियाभर के शोधकर्ता लंबे समय से एचआइवी उपचार के शोध और एचआइवी टीका को विकसित करने में लगे हैं। लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ खास सफलता नहीं मिली है। वहीं अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस बीमारी से लड़ने के लिए एक टीके के सफल परीक्षण का दावा किया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एचआईवी टीका का परीक्षण दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों पर किया है जिसके नतीजे आश्चर्यजनक रूप से सफल पाए गए हैं।

वाशिंगटन के सिएटल स्थित एचआइवी वैक्सीन ट्रायल नेटवर्क के शोधकताओं ने इस अध्ययन का नेतृत्व किया। शोधकर्ताओं ने टीके का परीक्षण सबसे पहले थाइलैंड में अमेरिकी सेना पर भी किया। यह परीक्षण 2003 में किया गया था। हालांकि शोधकर्ताओं को इसके मामूली परिणाम ही मिले। इसके बाद टीके का परीक्षण 100 लोगों के समूह पर किया गया। इस परीक्षण में लोगों के शरीर ने काफी अधिक संख्या में प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन किया जो शरीर एड्स पैदा करने वाले वायरस से लड़ने के लिए उपयोग करता है। इस टीके से शरीर ने 31 फीसद से अधिक दर से एचआइवी एड्स से बचाव और मुकाबला किया। परीक्षण के नतीजों से यह स्पष्ट हुआ है कि टीकाकरण से एचआइवी के एक से अधिक स्ट्रेन से बचा जा सकता है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने संभावना जताई है कि इससे एचआइवी के एक सार्वभौमिक टीका को बनाया जा सकता है। बता दें कि परीक्षण में हिस्सा लेने वाले किसी भी वॉलंटियर को पहले से ही एड्स का वायरस नहीं था।

ह्युमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआइवी) एक लेंटिवायरस है, जो शरीर की रोग-प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रहार करता है। इससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम या नष्ट हो जाती है, जो अक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) का कारण बनता है और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यतः यौन संबंध तथा रक्त के जरिए फैलने वाला यह विषाणु शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं का नष्ट कर देता है। इसमें उच्च आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का गुण है।

शोधकर्ताओं ने 21 वर्ष की औसत आयु वाले लोगों को आरवी 144 नाम की जैब दी और फिर मापा कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे प्रतिक्रिया करती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें सीडी4+टी कोशिकाएं कहा जाता है, उसका उपयोग शरीर एचआइवी से लड़ने के लिए करता है, वे सभी प्रतिभागियों में उम्र या लिंग की परवाह किए बिना काफी बढ़ गए। परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि लोगों ने एचआइवी एंटीबॉडी विकसित किए थे। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन विशेष रूप से वायरस से मेल खाते थे, जब उन्हें टीका लगाया गया था।

जब शोधकर्ताओं ने थाई रोगियों पर परीक्षणों के परिणामों की तुलना की दक्षिण अफ्रीकी लोगों के परिणामों से की तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि टीका ने दक्षिण अफ्रीकी लोगों पर और भी बेहतर काम किया था। दोनों ही समूहों के लोगों के शरीर में एचआइवी वायरस के कई स्ट्रेन जैसे स्ट्रेन एई, बी और सी के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा विकसित की।

इस शोध का नेतृत्व करने वाले डॉ लैरी कोरी ने कहा 'यह विचार उस पैटर्न को तोड़ता है कि दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र को अपने परिसंचारी उपभेदों के आधार पर एक अलग प्रकार के एचआईवी टीका की आवश्यकता है।' डॉ लैरी की टीम ने अपने अध्ययन में कहा कि ह्यसामान्य तौर पर, दक्षिण अफ्रीका में क्रॉस (स्ट्रेन)-इम्यून प्रतिक्रियाएं अपेक्षा से अधिक मजबूत थीं। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि टीकाकरण से एचआइवी के कई तरह के स्ट्रेन्स से बचा सकता है, इस तरह से वैश्विक टीका तैयार किया जा सकता है।

एचआईवी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के बावजूद पिछले साल लगभग 1.8 मिलियन लोगों में एचआइवी का पता चला था। ऐसे में इस टीके के सफल परीक्षण से एड्स पीड़ितों में उम्मीद जगेगी।

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एचआइवी टीके का दक्षिण अफ्रीकी लोगों पर परीक्षण किया है, जिसके नतीजे काफी संतोषजनक हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जल्द ही एचआइवी मामले में यूनिवर्सल वैक्सीन को विकसित किया जा सकेगा।

विश्व परिक्रमा

हमजा बिन लादेन अमेरिकी अभियान में मारा गया

रविवार, 15 सितंबर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलकायदा समूह के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के पुत्र हमजा बिन लादेन की मौत की शनिवार को पुष्टि की। ट्रंप ने कहा कि हमजा की मौत अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में अमेरिका के आतंकवाद रोधी अभियान में हुई।

प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले

सोमवार, 16 सितंबर : हांगकांग पुलिस ने रविवार को पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलें और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इससे हांगकांग में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी।

करतारपुर गलियारा जल्द खुलेगा : पाकिस्तान

मंगलवार, 17 सितंबर : पाकिस्तान ने सोमवार को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित करतारपुर गलियारा नौ नवंबर को भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यह गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक साहिब को जोड़ेगा।

डोनाल्ड ट्रंप

खुमैनी ने बातचीत से किया इनकार

बुधवार, 18 सितंबर : ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने मंगलवार को अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर बातचीत से इनकार किया है। सऊदी तेल संयंत्रों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका द्वारा तेहरान को जिम्मेदार ठहराने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है।

मोदी के लिए हवाई मार्ग नहीं खोलेगा पाक

गुरुवार, 19 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खोलने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को इस बारे में औपचारिक अनुमति देने के लिए लिखा था, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया।

आत्मघाती हमले में 20 की मौत

शुक्रवार, 20 सितंबर : अफगानिस्तान के दक्षिणी शहर का एक अस्पताल गुरुवार तड़के आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट से दहल गया। इस धमाके में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए।

ट्रुडो ने एक बार फिर मांगी माफी

शनिवार, 21 सितंबर : कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने अपनी दशकों पुरानी तस्वीर के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। 18 साल पुरानी इस तस्वीर में वह एक पगड़ी और पोशाक पहने तथा चेहरे, गर्दन और हाथों का रंग स्याह किए हुए दिख रहे हैं।

जानें-समझें

ह्यूस्टन में मोदी-ट्रंप

कूटनीति और राजनीति पर दूरगामी असर

दीपक रस्तोगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 27 सितंबर तक सात दिनों के दौरे पर अमेरिका में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय को उनका संबोधित करने का बहुचर्चित आयोजन हो चुका है। कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के लिए इस आयोजन के दूरगामी परिणाम संभावित माने जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से दुनिया भर में अमेरिका को लेकर भारत की कामयाब कूटनीति का संकेत गया है। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही मोदी करीब 20 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे।

भारत के लिए कूटनीतिक लाभ

दुनिया के सबसे ताकतवर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बड़ी भीड़ का जुटना कामयाब कूटनीति का संकेत मानी जा रही है। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी-भारतीय वहां सबसे अमीर एथनिक समूह हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि अमेरिका में भारतीय समुदाय भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। ह्यूस्टन की यात्रा या भाषण के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की अनौपचारिक केमिस्ट्री सामने आई। इससे धाक बढ़ी। इस आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का रुख किया, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं। ऐसे में अमेरिका जैसे बड़े देश को अपने साथ दिखाकर भारत ने बड़ा संदेश दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली अमेरिकी यात्रा है। इसलिए भी राजनीतिक तौर पर उनके लिए यह हाउडी मोदी आयोजन अहम साबित हुआ।

ट्रंप को क्या मिलेगा फायदा

अमेरिका का टेक्सास एक रूढ़िवादी क्षेत्र माना जाता है, जिसका झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ ज्यादा रहता है। 1970 से अमेरिकी भारतीय भी डेमोक्रेट्स को ज्यादा पसंद करते रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस आयोजन में अपना हित दिखा। ट्रंप का पूरा ध्यान हर समुदाय को अपनी तरफ करने में है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शिरकत कर ट्रंप ने न केवल अमेरिकी भारतीयों को रिझाने की कोशिश की, बल्कि टेक्सास में भी अपनी पकड़ और मजबूत करने की कवायद की है। ट्रंप हमेशा से उन नेताओं के मुरीद रहे हैं, जिन्होंने जनता के बीच करिश्मा कायम किया। ओसाका (जापान) में जी-20 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा भी था कि मैं मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित रहता हूं। जब भी उनसे (मोदी से) मिलता हूं तो ऊर्जा प्राप्त करता हूं। जाहिर है, हाउडी मोदी के मंच पर ट्रंप ने जो कहा, वह उनके चुनाव भाषण के रूप में देखा गया।

आर्थिक मोर्चे पर निवेश का रास्ता

भारत और अमेरिका परंपरागत, वैकल्पिक व नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का दायरा कई गुना बढ़ाने वाले हैं। अमेरिका प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों से होने वाली मुलाकात में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का रास्ता खुला है। भारत की पेट्रोनेट वहां बड़ा निवेश करने जा रही है और भारत में एनएनजी की बड़े पैमाने पर आपूर्ति होने वाली है। मेक इन इंडिया के तहत अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए राजी करने की योजना पर काम चल रहा है। हजारों डॉलर के निवेश की योजना पर काम चल रहा है, जिसका स्वरूप मोदी की यात्रा के बाद सामने आएगा। भारत में अगले 15 साल में साढ़े चार फीसद की दर से ऊर्जा खपत बढ़ेगी। अगले 20 साल के लिए एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में ऊर्जा खपत का करीब दस से 11 फीसद तक भारत में खर्च हो सकता है। इस लिहाज से भारत में ऊर्जा का एक बड़ा बाजार है। ऐसे में अमेरिका की नजर भारत के बढ़ते ऊर्जा बाजार पर है। कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। अमेरिका और भारत में कारोबार तनाव भी कम हुआ है।

धारा 370 पर कवायद

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद भारत सरकार शक्तिशाली देशों को अपने पक्ष में खड़ा दिखाने की कवायद में जुटी है। ह्यूस्टन में मोदी-ट्रंप का एक मंच पर दिखने की राजनीतिक में अहम हिस्सा इस मुद्दे का भी रहा। पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी- अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मामले की असलियत समझाना। क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को दुनिया में मानवाधिकार हनन का प्रोपैगेंडा बना रखा था। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद आज भारत विजेता की स्थिति में है। अरब देश, यूरोपीय यूनियन (ईयू), अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन सभी भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में मोदी के अमेरिकी दौरे को भारत को कूटनीतिक जीत दिलाने वाले नेता के दौरे के तौर पर देखा गया है।

क्या है जानकारों की राय

यह आयोजन तब हुआ है, जब भारत-अमेरिका के बीच कारोबार को लेकर तनाव है, कश्मीर को लेकर बड़ी-बड़ी बयानबाजी हुई है। ह्यूस्टन में इतिहास रचा गया। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमेरिका में दूसरे वर्गों से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे भारतीय समुदाय से मिलने वाले फायदे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

-सुरेश के गोयल, पूर्व राजनयिक

पाकिस्तान की दिक्कत उसकी आंतरिक राजनीति है। पाकिस्तान भारत के विरोध पर जिंदा है। इसलिए अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाक ने जिस भी देश से समर्थन पाने की कोशिश की, उसे हर जगह मुंह की खानी पड़ी। दूसरी ओर, भारत की कूटनीति का असर सामने आया। दुनिया के ताकतवर देश भारत के साथ खड़े हैं।

- विष्णु प्रकाश, पाकिस्तान में काम कर चुके पूर्व राजनयिक

व्यक्तित्व

अंजलि सिंह : भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक

जनसत्ता संवाद

विंग कमांडर अंजलि सिंह देश के किसी भी सशस्त्र बल की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्हें विदेश में भारतीय मिशन में सैन्य राजनयिक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने मॉस्को में भारतीय दूतावास में डिप्टी एअर अताशे के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

आज बिहार का समस्तीपुर जिला अंतरराष्ट्रीय फलक पर है। कारण कि समस्तीपुर जिले की विंग कमांडर अंजलि सिंह को भारतीय मिशन में विदेश में तैनात होनेवाली पहली महिला सैन्य राजनयिक का सम्मान प्राप्त हुआ है। देश के सैन्य इतिहास में यह पहला मौका है कि जब किसी महिला को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। भारतीय वायु सेना ने उन्हें मॉस्को भेजा है। मिग-29 लड़ाकू विमान उड़ाने में प्रशिक्षित अंजलि ने इसी महीने की 10 तारीख को रूस की राजधानी मॉस्को में डिप्टी एअर अताशे के रूप में भारतीय दूतावास में पदभार संभाला है।

41 वर्षीय अंजलि शुरू से ही सेना में जाना चाहती थीं। वे अपने पिता की तरह की सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती थीं। अंजलि के पिता मदन प्रसाद सिंह भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद से सेवानिवृत्त हैं। उनकी तीन बहनें और एक भाई हैं। भाई-बहनों में अंजलि दूसरे नंबर पर हैं। अंजलि की स्कूली पढ़ाई जलंधर से हुई। वे पढ़ने में अच्छी थीं, समसामयिक विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। बारहवीं की परीक्षा पास करने के बाद अंजलि पुणे आ गईं। पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कोटद्वार में एक निजी कंपनी में दो वर्षों तक काम भी किया। लेकिन उनका लक्ष्य भारतीय वायुसेना था। अपने लगन के बलबूते उन्होंने एसएसबी की परीक्षा पास की और साल 2002 में उनका चयन वायुसेना में हुआ। 2010 में अंजलि सिंह की शादी बेगूसराय के महना निवासी इंजीनियर राजकुमार के साथ हुई। उनका आठ साल का बेटा भी है। अंजलि भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शाखा से हैं। अपने 17 साल के सैन्य करिअर के दौरान उन्होंने लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ सेवा दी है। अब उन्हें मास्को में डिप्टी एअर अताशे के रूप में भारतीय दूतावास में नियुक्ति दी गई है। इसकी जानकारी बीते दिनों मास्को में भारतीय दूतावास की तरफ से दी गई। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, 'विंग कमांडर अंजलि सिंह ने 10 सितंबर को डिप्टी एअर अताशे का कार्यभार संभाल लिया। उन्हें विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है।'

एयर अताशे एक वायुसेना अधिकारी होता है जो एक राजनयिक मिशन का हिस्सा होता है। एक एअर अताशे आम तौर पर विदेश में अपने घरेलू वायु सेना के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता है, जहां वह सेवा करता है। अब तक रक्षा अताशे पदों पर महिलाओं की तैनाती नहीं होती थी, इन पदों पर पुरुष अधिकारियों का ही कब्जा रहा है। यह पहला मौका है जब किसी महिला को रक्षा अताशे बनाया गया है। ऐसे में अंजलि सिंह की तैनाती उन लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत है जो वायु सेना में बड़े पद पर जाना चाहती हैं।

मोबाइल ऐप से होगी 2021 की जनगणना

शाह का बहु-उद्देश्यीय कार्ड का प्रस्ताव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकों के लिए सोमवार को बहु-उद्देश्यीय पहचान पत्र का विचार पेश किया, जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते जैसी सभी सुविधाएं जुड़ी होंगी। शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2021 की जनगणना मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी।

उन्होंने यहां महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त कार्यालय के नए भवन की आधारशिला रखने के बाद कहा कि क्यों न हमारे पास आधार, पासपोर्ट, बैंक खाते, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड जैसी सभी सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड हो। एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सभी आंकड़ों को एक ही कार्ड में इकट्ठा रख दिया जाए। यह संभव है। यही कारण है कि डिजिटल जनगणना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

जनगणना 2021 के लिए आंकड़ें दर्ज करना प्रारंभ करने की तिथि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों में 1 अक्तूबर, 2020 है जबकि शेष भारत के लिए यह 1 मार्च, 2021 है। जनगणना 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 16 भाषाओं में की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि जनगणना कार्य के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) के लिए भी आंकड़ें जुटाए जाएंगे। एनपीआर देश के विभिन्न इलाकों में रहने वाले सामान्य निवासियों की सूची है। यह असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के अखिल भारतीय प्रारूप का आधार बन सकती है। इन निवासियों को इस रूप में परिभाषित किया गया है-जो किसी स्थानीय इलाके में पिछले छह महीने या अधिक समय से रह रहे हैं या जो वहां छह महीने या उससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखते हैं।

शाह ने कहा कि जनगणना 2021 के आंकड़ें देश की भविष्य की योजना बनाने, विकास से जुड़े कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार बनेंगे और इस कार्य के सफल होने के लिए लोगों की दिल से भागीदारी अहम है। उन्होंने कहा कि भारत की कुल 130 करोड़ आबादी को इसके फायदों के बारे में बताना चाहिए कि जनगणना 2021 के आंकड़ों का किस तरह से भविष्य की योजना बनाने, विकास से जुड़े कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग बहुआयामी है और यह राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान देगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जनगणना नगर निकायों के वार्डों, विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने में मदद करेगी।

उन्होंने जनगणना अधिकारियों से यह कार्य गंभीरता से करने की अपील की क्योंकि यह उनके लिए 'पुण्य' करने का अवसर है, जो राष्ट्र निर्माण में मदद देगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा रवैया बदल गया। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 के आधार पर मोदी सरकार ने हर घर बिजली, गैस कनेक्शन, सड़क निर्माण, गरीबों के लिए आवास, शौचालय, बैंक खाते, बैंक शाखाएं खोलने आदि के लिए 22 कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। शाह ने 'उज्ज्वला' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होगा। भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का 17.5 फीसद है जबकि भोगौलिक क्षेत्र महज 2.4 फीसद है। इस तरह आबादी के अनुपात में भारत के पास सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं। इसलिए असमानता की खाई को पाटने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।

वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए नहीं किया : चिदंबरम

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात से इनकार किया कि उन्होंने वित्तमंत्री के पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया। चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के जवाब का प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है और यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि उनके भागने की आशंका है और वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं।

पूर्व वित्तमंत्री ने वर्तमान मामले में जनता के भरोसे को स्पष्ट रूप से तोड़ने के सीबीआइ के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि आइएनएक्स मीडिया में जो 305 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर आए वह मंजूर 46.216 प्रतिशत की सीमा में ही था। उन्होंने अपने जवाब में जांच एजंसी के इस दावे से भी इनकार किया कि अपराध में उन पर अभियोग लगाने के लिए ठोस सबूत रिकार्ड में है और उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है। चिदंबरम ने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने सहयोगी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर वित्तमंत्री के पद का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया।

सोनिया व मनमोहन तिहाड़ में चिदंबरम से मिले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। यह पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या पूर्व प्रधानमंत्री सिंह किसी से मिलने तिहाड़ जेल गए हों। पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं से भेंट के बाद चिदंबरम ने कहा कि जब तक कांग्रेस मजबूत और साहसी है, तब तक वे भी मजबूत और साहसी बने रहेंगे।

आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदंबरम ने अपने परिजनों के माध्यम से एक ट्वीट कर कहा, 'मैं आज सम्मान की अनुभूति कर रहा हूं कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह मुझसे मिलने आए। जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत और साहसी है, मैं भी मजबूत और साहसी बना रहूंगा।' चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा- मेरे पिता और मेरा परिवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बहुत आभारी हैं। उन्होंने मुलाकात की और अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि यह इस राजनीतिक लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाने वाला है।

सोनिया और मनमोहन सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचे और उन्होंने चिदंबरम से मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी तिहाड़ जाकर चिदंबरम से भेंट की थी।

चिदंबरम की 'निरंतर हिरासत' से चिंतित : मनमोहन

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात के बाद उनकी 'निरंतर हिरासत' पर चिंता जताई।

सिंह ने एक बयान में कहा कि हमारी सरकारी प्रणाली में कोई भी निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकता, सभी निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, जिन्हें फाइलों में दर्ज किया जाता है। केंद्र सरकार के छह सचिवों सहित एक दर्जन अधिकारियों ने प्रस्ताव की जांच के बाद अपनी सिफारिश दी थी। चिदंबरम ने मंत्री के रूप में सर्वसम्मत सिफारिश को अपनी मंजूरी प्रदान की थी।

'अबकी बार ट्रंप सरकार' नारे पर कांग्रेस का कड़ा एतराज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

कांग्रेस ने अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अबकी बार ट्रंप सरकार' वाले नारे पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने आरोप लगाया पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पक्ष में प्रचार कर दूसरे देशों के चुनावों में दखल नहीं देने के भारतीय विदेश नीति के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन किया है। पार्टी ने यह भी कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को स्वीकार करते और अमेरिकी कांग्रेस सदस्य की बात का समर्थन करते।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा-आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अमेरिकी चुनाव में स्टार प्रचारक की तरह नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका गए हैं। शर्मा ने कहा- प्रधानमंत्री जी, आपने दूसरे देशों के आंतरिक चुनावों में दख़ल न देने के भारतीय विदेश नीति के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता हमेशा से दोनों पार्टियों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) को लेकर एक जैसा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में पुनः निर्वाचित करने के लिए रविवार को लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा 'अबकी बार, ट्रंप सरकार'।

दूसरी ओर, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत पक्ष के नेता स्टेनी होएर की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नजरिए का उल्लेख करने को लेकर कांग्रेस नेता शर्मा ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री भी नेहरू के योगदान को स्वीकार करते और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य की बात का समर्थन करते।

कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी अपने एक ट्वीट में कहा-मुझे उस समय की याद आ रही है जब कुछ साल पहले लालकृष्ण आडवाणी ने न्यूयॉर्क में दिए अपने भाषण में नेहरू की सराहना की थी।

रोगी को एमआरआइ मशीन में छोड़कर भूल गया तकनीशियन

चंडीगढ़, 23 सितंबर (भाषा)।

हरियाणा में एक बुजुर्ग व्यक्ति उस वक्त वक्त बाल-बाल बच गए जब एक अस्पताल में तकनीशियन उन्हें कथित रूप से एमआरआइ मशीन में छोड़कर भूल गया। इसके चलते जान बचाने के लिए उन्हें बेल्ट तोड़कर बाहर निकलना पड़ा।

बुजुर्ग ने पंचकूला में पत्रकारों से कहा कि वह एमआरआइ स्कैन कराने के लिए शहर के एक अस्पताल गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार तकनीशियन ने उन्हें कहा कि इस प्रक्रिया में 10-15 मिनट लग सकते हैं और उन्हें मशीन से बाहर निकालना भूल गया। हालांकि अस्पताल ने इन आरोपों से इनकार किया है। शिकायतकर्ता ने कहा, मैं सांस लेने के लिए हांफ रहा था, लेकिन मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आखिरकार आधे घंटे से भी अधिक समय तक संघर्ष के बाद मैं किसी तरह मशीन की बेल्ट को तोड़कर बाहर निकला। वहीं अस्पताल ने कहा कि तकनीशियन ने मरीज को मशीन से बाहर निकाला।

मोदी ने कहा, जल संरक्षण पर 50 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत

पेज 1 का बाकी

जन आंदोलन की जरूरत बताई और भारत के गैर-परंपरागत (नॉन फॉसिल) ईंधन उत्पादन के लक्ष्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 400 गीगावाट तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। यह लक्ष्य 2022 तक के लिए है। उन्होंने कहा कि इस साल 15 अगस्त को भारत ने प्लास्टिक पर रोक का संकल्प लिया है। हम यातायात क्षेत्र में ई-मोबिलिटी पर जोर दे रहे हैं।

मोदी के भाषण के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। ट्रंप का इस सम्मेलन में हिस्सा लेने का कोई कार्यक्रम नहीं था। राष्ट्रपति ने धार्मिक आजादी संबंधी कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले दस मिनट तक ध्यान से भाषण सुना। संरा के जलवायु शिखर सम्मेलन में मोदी चौथे वक्ता थे।

मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा की थी कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए भारत 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली जैसे गैर-परंपरागत ईंधन के उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, '2022 तक हम अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को 175 गीगावाट के लक्ष्य से बहुत आगे 400 गीगावाट तक ले जाएंगे।'

मोदी ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस द्वारा आयोजित सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से पार पाना है तो हम इस समय जो कुछ कर रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है।' मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न देश अनेक तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक व्यापक प्रयास की जरूरत है जिसमें शिक्षा से लेकर मूल्यों तक और जीवनशैली से लेकर विकास के दर्शन तक सब शामिल हो।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर के देशों को गंभीर होने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि अब बात करने का वक्त गुजर चुका है और अब दुनिया को काम करने की जरूरत है।

भाजपा के रवैए पर नाराजगी जताई शिवसेना ने

मुंबई, 23 सितंबर (भाषा)।

शिवसेना ने सोमवार को अपने वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा पहले ही सबकुछ तय कर चुकी है और अब चुनाव के नाम पर महज ईवीएम का बटन दबाने की औपचारिकता बची है। पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में शिवसेना ने एक संपादकीय में अपनी गठबंधन सहयोगी से नाराजगी जताई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे को विमर्श बनाने की भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की योजना की आलोचना करती प्रतीत हुई। शाह ने रविवार को मुंबई में एक रैली में स्पष्ट किया था कि महाराष्ट्र में प्रचार अभियान के दौरान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का मोदी सरकार का फैसला प्रमुख मुद्दा होगा।

शिवसेना ने कहा, 'शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। वह यह भी ठप्पा लगा चुके हैं कि फडणवीस ने निवेश, कृषि, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति की है।

गो-तस्करी के संदेह में पिटाई

पेज 1 का बाकी

बताया कि मुनफेद खान गो-तस्करी के मामले में पहले भी पकड़ा गया था। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है और जांच की जा रही है। घायल आरोपी को शाहजहांपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

बेटी पैदा होने की खुशी में जलाए पटाखे, गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

सुरक्षा एजंसियां चौकन्नी हो गईं और पुलिस को सूचना देकर मामला दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक, एसपीजी ने कंट्रोल रूम से शिकायत की थी कि कोई पीएम हाउस के पास पटाखे जला रहा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पटाखों की आवाज शक्ति माता मंदिर की तरफ सीपीडब्लूडी कंपाउंड की तरफ से आ रही थी। पुलिस उधर पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति पटाखे जला रहा है।

शुरुआती जांच में गुप्ता ने पुलिस से कहा कि वे बेटी पैदा होने की खुशी में पटाखे जला रहे थे। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त डॉ ईश सिंघल ने बताया कि विवेक गुप्ता को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी आयकर जांच के घेरे में

पेज 1 का बाकी

चल सके कि क्या उनकी आय अतीत में आकलन से बच निकली थी या कर अधिकारियों से कुछ छिपाया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व बैंकर के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच और उनके कई कंपनियों के निदेशक मंडल में रहने की जांच 2015-17 की अवधि से जुड़ी हुई है। बहरहाल, इस विषय पर चुनाव आयुक्त लवासा या उनकी पत्नी की कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अशोक लवासा को 23 जनवरी 2018 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। बताते चलें कि अप्रैल-मई में हुए आम चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वयन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ उनके (अशोक लवासा के) मतभेद की खबरें मीडिया में आई थी।

'स्वास्थ्य पर ऐतिहासिक कदम उठाए'

पेज 1 का बाकी

के लिए 'आयुष्मान भारत' जैसे 'ऐतिहासिक कदम' उठाए हैं। 'सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल' पर आयोजित पहली उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'विश्व का कल्याण, लोगों के कल्याण के साथ शुरू होता है और स्वास्थ्य इसका एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप भारत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहा है।' सभी को किफायती, समावेशी और सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए प्रयास शुरू करने के वास्ते शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मोदी ने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई तरह के कदम उठाए हैं और इसके चार प्रमुख स्तंभों-एहतियाती स्वास्थ्य, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप और हस्तक्षेप को मिशन आधार पर चलाने- पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का एहतियाती स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्त्वपूर्ण अंग-योग, आयुर्वेद और हाल में शुरू किया गया 'फिट इंडिया मूवमेंट (स्वस्थ भारत अभियान)' है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी मदद से मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद आदि जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने भारत के लोगों में जागरूकता पैदा की है और हजारों जिंदगियों को बचाने की संभावना बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि भारत के एहतियाती स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम का एक और आयाम 1,25,000 से अधिक वेलनेस सेंटर खोलने का है। देश में टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पांच हजार से अधिक जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां 800 से अधिक प्रकार की दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। मोदी ने कहा कि स्टेंट्स की कीमत में 80 फीसद तक की कमी और घुटना प्रतिरोपण की कीमत में 50 से 70 फीसद तक की कमी सहित किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों से हजारों लोगों को फायदा मिल रहा है। हजारों लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गईं निःशुल्क डायलेसिस सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

'हाउडी मोदी' को एक सुर से सराहा अमेरिकी राजनेताओं ने

पेज 1 का बाकी

है और अमेरिका को आपका मित्र होने पर गर्व है।' वहीं, 'हाउडी मोदी' में भारत और अमेरिका के बीच एकजुटता के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय-अमेरिकी राजदूत निक्की हैली ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच 'महान' भागीदारी मजबूत हुई है। रविवार को हैली ने एक ट्वीट में भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी की सराहना की। वे ऐसी पहली भारतीय-अमेरिकी हैं जिन्होंने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की कैबिनेट में सेवा दी। हैली ने कहा, 'अमेरिका और भारत के बीच महान भागीदारी है और इससे डोनाल्ड ट्रंप तथा नरेंद्र मोदी के बीच मित्रता मजबूत हुई है।'

यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश आघी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का संयुक्त संबोधन भारत-अमेरिका संबंधों के लिए गौरव का क्षण था। न्यूयॉर्क से भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने कहा कि कार्यक्रम में जब मोदी ने ट्रंप का परिचय कराया तो शानदार नजारा था। वहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 'हाउडी मोदी' के बारे में कहा कि ट्रंप इसकी मदद से 2016 के मुकाबले वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय-अमेरिकियों के अधिक वोट मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। वे इस समुदाय से जुड़ने का लाभ समझते हैं जिसका योगदान 21वीं सदी में दोनों देशों की समृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि रैली समान शैली वाले दो नेताओं को एक मंच पर लाई। इसने कहा कि दोनों ही दक्षिणपंथी विचारधारा के सहारे और खुद को स्थापित व्यवस्था के खिलाफ जनता का नायक दिखाकर सत्ता में आए।' वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के नेताओं ने ह्यूस्टन में हजारों भारतीय-अमेरिकियों की हर्ष और उल्लास से लबरेज भीड़ के सामने मंच साझा किया जहां मोदी ने ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में स्पष्ट समर्थन किया और दोनों ने अपनी उपस्थिति को ऐतिहासिक करार दिया।

9/11 हमलों के बाद अमेरिका का साथ देकर की बड़ी भूल : इमरान

पेज 1 का बाकी

लगता कि मैटिस पूरी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान कट्टरपंथी क्यों बना।' खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अलकायदा के हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर बड़ी भूल की।

इमरान ने तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा अमेरिका का साथ देने के फैसले की ओर इशारा करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि पिछली सरकारों को वो वादा नहीं करना चाहिए था जिसे वे पूरा नहीं कर सकतीं।' पाकिस्तान उन तीन देशों में से एक था जिसने 2001 में अमेरिकी हमले से पहले अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। न्यूयॉर्क में 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सेना को समर्थन दिया।

झारखंड-गुजरात में पीटकर दो की हत्या

पेज 1 का बाकी

दिव्यांग बारला भी शामिल था। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले कर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके बाद रांची स्थित रिम्स अस्पताल भेजा। रिम्स ले जाते समय गंभीर रूप से घायल कल्मतुष बारला की मौत हो गई। शेष दोनों घायलों का रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज चल रहा है। इस मामले में दोनों घायलों के बयान और संदेह के आधार पर छह लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

लोगों को हिरासत में लेने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने रविवार देर शाम कई घंटों तक कर्रा थाने का घेराव किया। उन्होंने तोरपा के उप-संभागीय पुलिस अधिकारी ऋषभ झा के इस आश्वासन के बाद घेराव खत्म किया कि यदि पूछताछ में आरोपी निर्दोष पाए जाते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। डीआइजी अमोल वेनुकट होमकर ने कहा कि घटनास्थल की जांच में पुलिस को वहां से मृत गाय नहीं मिली। रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का रहने वाला बारला शनिवार को अपनी बहन के घर सुवारी जलटंडा आया था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार रविवार को जब वह सुवारी नाले में नहाने गया था, उसी दौरान भीड़ ने उसकी और दो अन्य लोगों की पिटाई कर दी। दूसरी घटना गुजरात की है। मेधपर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मोती खावड़ी गांव में रविवार को हुई। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने रविवार की सुबह दीवार फांदकर मकान में घुसने का प्रयास किया। इसके बाद चोर होने के संदेह में लकड़ी और प्लास्टिक की छड़ों से उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों प्रभाकर त्रिपाठी (उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी), योगेश सिंह (उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी) और बिहार के रहने वाले मनोज सिंह को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने आइपीसी की विभिन्न धाराओं और गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत सातों आरोपियों के खिलाफ रविवार की शाम एक प्राथमिकी दर्ज की है।

बालाकोट से बड़ी कार्रवाई करेगी सेना

पेज 1 का बाकी

प्रशिक्षण शिविर नष्ट कर दिए थे। सेना प्रमुख से जब पूछा गया कि क्या भारतीय सेना दोबारा हवाई हमला करेगी? इस सवाल पर जनरल रावत ने कहा, 'हम हवाई हमले को ही क्यों दोहराएंगे, हम इससे आगे क्यों नहीं जा सकते।' जनरल रावत ने कहा कि आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान संघर्षविराम का उल्लंघन करता है, लेकिन इन परिस्थितियों से कैसे निपटना है, ये हमें पता है। उन्होंने कहा, हमारी सेना को पता है कि कैसे कार्रवाई की जाए। हम लोग सतर्क हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगे।

सेना प्रमुख ने कहा कि हमारी उत्तर और पश्चिम की सीमाओं पर तनाव है। हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध सही नहीं है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई घुसपैठ न हो। हमारा पश्चिमी पड़ोसी राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ा रहा है और जम्मू-कश्मीर में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। सेना प्रमुख जनरल रावत ने जम्मू-कश्मीर में सख्त पाबंदी की बात को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सख्त पाबंदी की बात आतंकियों द्वारा फैलाई जा रही है। आतंकी डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि घाटी में हिंसा और हत्या की घटनाएं कम हो गई हैं और आतंकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि आम जनता के लिए संचार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन आतंकियों का कनेक्शन टूट गया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी घाटी के आतंकियों से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षाबलों के पास पूरे इंतजाम हैं कि वे अपने परिवार से बात कर सकते हैं। संचार में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने पाबंदी की बात से इनकार करते हुए कहा कि धीरे-धीरे चीजें सामान्य और आसान हो जाएंगी। घाटी में हो रही आर्थिक गतिविधियों के बारे में जनरल रावत ने कहा कि घाटी से सेब, झेलम नदी से रेत और भट्ठों से ईंट लदे ट्रक निकल रहे हैं और इन्हें देश के कई हिस्सों में भेजा जा रहा है।

श्रीनगर से लगातार हवाई उड़ानों का आवागमन बना हुआ है। अगर पाबंदी होती तो यह सब कैसे संभव होता?

हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाना मुश्किल होगा : सुप्रीम कोर्ट

पेज 1 का बाकी

न्यायिक व्यक्ति का दर्जा देने का आधार नहीं हो सकती। हालांकि, उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की सुनवाई के 29वें दिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भगवान राम और अल्लाह को सम्मान देने की पुरजोर वकालत की। वरिष्ठ वकील ने कहा, 'अगर भगवान राम और अल्लाह का सम्मान नहीं किया जाता तो यह महान देश विभाजित हो जाएगा।' लेकिन उन्होंने 'राम लला विराजमान' की ओर से दायर मुकदमे में जन्मस्थान को पक्षकार बनाने के कदम पर आपत्ति जताई। पीठ इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।

'घुसपैठ की ताक में 500 आतंकी'

पेज 1 का बाकी

तमाम प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान आतंकियों को गुरेज सेक्टर की ओर से सीमा पार कराने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की यह नई खेप मूलतः अफगानी है। इन लोगों का चुनाव इसलिए किया गया है कि इनके चेहरे कश्मीरियों की तरह मिलते-जुलते भी हैं।

वजन कम करने की दवा से हुई सैकड़ों मौतें, कंपनी व निगरानीकर्ता पर आरोप

पेरिस, 23 सितंबर (एएफपी)।

फ्रांस में वजन घटाने के लिए मधुमेह की गोलियां दिए जाने के बाद हुई सैकड़ों मौतों से संबंधित मामले में दवा कंपनी सिंवयर धोखाधड़ी व लापरवाही के आरोपों का सामना कर रही है। औषधि निगरनीकर्ता समूह भी जांच के घेरे में लिया गया है।

ऐसा माना जाता है कि इस दवाई 'मिडिएटर' को खाने के बाद हृदय वाल्व की समस्या के कारण फ्रांस में कम से कम 500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बहुत बड़ा स्वास्थ्य घोटाला था जिस पर यहां फिल्म भी बनी है। साल 2016 में निर्मित इस फ्रेंच फिल्म का नाम '150 मिलीग्राम' है। यह फिल्म वास्तविक जीवन में श्वसन रोग विशेषज्ञ आईरीन फ्रैंकोन के जीवन पर आधारित है जिसने अपने प्रचार और जांच के माध्यम से इस कथित घोटाले को प्रकाश में लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पाक में हिंदू छात्रा की मौत, जज का न्यायिक जांच से इनकार

कराची, 23 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान में सत्र न्यायाधीश ने हिंदू छात्रा की मौत के मामले में न्यायिक जांच कराने से इनकार कर दिया है। गृह विभाग की सिफारिश के बावजूद जज ने मना कर दिया। डेंटल की छात्रा पिछले सप्ताह छात्रावास के कमरे में मृत मिली थी। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता निमृता चांदनी को उसकी सहेलियों ने 16 सितंबर को मृत पड़ा देखा। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी।

गृह विभाग की सिफारिश के बावजूद जज ने मना किया

डॉन अखबार की खबर के अनुसार लरकाना जिला और सत्र न्यायाधीश ने चांदनी की रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु के मामले में न्यायिक जांच नहीं कराई, जबकि गृह मंत्रालय ने 18 सितंबर को इसके लिए अनुरोध किया था। विदेश यात्रा पर गए गृह सचिव अब्दुल कबीर काजी को पुलिस ने सत्र न्यायाधीश के फैसले से अवगत करा दिया है। जज का नाम नहीं बताया गया। अखबार ने सूत्र के हवाले से कहा, 'हमें पता चला है कि सत्र न्यायाधीश ने जांच कराने से साफ मना कर दिया है।' उन्होंने कहा कि काजी ने लरकाना पुलिस को बताया है कि सत्र न्यायाधीश अगर जांच शुरू कराना नहीं चाह रहे तो उन्हें लिखित में देना होगा। अखबार ने लिखा है कि न्यायाधीश ने एक आपत्ति तो यह जताई है कि गृह विभाग ने सीधे उनसे अनुरोध किया है जबकि इस तरह का निर्देश उन्हें सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया जाना चाहिए। पुलिस ने मामले में अब तक 32 संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिनमें छात्रा के दो सहपाठी महरान आबरो और अली शान मेमन हैं।

गुरु नानक देव की पुण्यतिथि पर करतारपुर में जुटे सिख श्रद्धालु

लाहौर, 23 सितंबर (भाषा)।

पूरी दुनिया से आए सिख श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव की 480वीं पुण्यतिथि के तीन दिवसीय कार्यक्रमों के समापन पर पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब में अरदास की।

श्रद्धालुओं को करतारपुर गलियारे के दौरे पर भी ले जाया गया। यह गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा।

तालिबान के खिलाफ हमले में गलती से 40 नागरिक मारे गए

काबुल, 23 सितंबर (एपी)।

अफगान विशेष बल द्वारा सोमवार को दक्षिणी हेलमंद प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर किए गए अमेरिका समर्थित हवाई हमलों के दौरान कम से कम 40 नागरिक मारे गए। ये लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जो मूसा काला जिले में शादी में गए थे। मूसा काला में दो अलग-अलग हमले किए गए। पहले अभियान में छह विदेशी लड़ाके मारे गए जबकि दूसरा हमला निशाने से चूक गया और गलती से नागरिक उसकी चपेट में आ गए।

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

और

कोहिनूर टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U51109DL2007PTC283188)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 209 चौधरी कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 9, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

[illegible] **30 अगस्त, 2019** [illegible] **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** [illegible] एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) [illegible] **209 चौधरी कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 9, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092** [illegible] 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजें।

कृते **कोहिनूर टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड**

हस्ता/-

दिनांक: 23 सितम्बर 2019 / स्थान: दिल्ली — पंकज कुमार सिंघल (निदेशक) डीआईएन: 00708833

फार्म संख्या-आई.एन.सी. 26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केंद्रीय सरकार (रीजनल डायरेक्टर) उत्तर क्षेत्र दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(a) के संबंध में तथा

एन्डोक्यूरा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली

सूचना

[illegible] 06.08.2019 [illegible] बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, CGO काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 [illegible] 3206, गली नं. 65, बी-ब्लॉक [illegible] -110084

आवेदक के लिए और उनकी ओर से एन्डोक्यूरा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

स्थान: ग्वालियर — हिमांशु चौहान (प्रबंधक)

दिनांक: 18.09.2019

RATHI GRAPHIC TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: D-12 A, Sector - 9, New Vijay Nagar, Ghaziabad, U.P.- 201009

Corporate and Marketing Office:- 24/1A, Mohan Co-Operative Industrial Estate, Mathura Road New-Delhi, 110 044

Ph. No. 011-45003400

CIN: L36960UP1991PLC013770,

Website: www.rathitoner.com,

E-mail id: investor@rathitoner.com

SHORTER NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provision of Regulation 33 and 29(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the 06/2019-20 meeting of the Board of Directors of Rathi Graphic Technologies Limited ("Company") at a shorter notice will be held on Saturday, 28th Day of September, 2019 at Corporate & Marketing office of the Company situated at 24/1A, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 at 10.00 a.m. inter-alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2019 and any other business with the permission of the Chair.

Further, in accordance with the SEBI (Prevention of Insider trading) Regulations, 2015 and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Company's securities was closed for the Directors/Officers/ Key Managerial Personnel/ Designated Employees of the Company from Tuesday, 21st May, 2019 and will open 48 hours after the said financial results are declared to the Stock Exchange and the Public.

Sd/-

Raj Kumar Rathi (Managing Director)

Place: New Delhi — Date: 23.09.2019 — DIN: 00089569

शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस क.लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 425, उद्योग विहार फेज-IV, गुड़गाँव-122015 (हरियाणा)

फोन: 0124-4212530/ 31/ 32, ई-मेल: customercare@shubham.co, वेबसाईट: www.shubham.co

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (यहां के बाद शुभम के रूप में वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋणधारक(कों) का नाम	मांग सूचना की राशि	मांग सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति	एफिक्सेशन की तिथि
1.	राकेश कुमार, पुष्पा शर्मा	रु. 971753/-	18.1.2018	खेवत नं. 191, खतोनी-267, किल्ला नं. 3/2, 3-17. 48-0, 58-0, बाका मौजा तिलपत, तहसील एवं जिला-फरीदाबाद-121003	18.9.2019
2.	श्री धरमेन्द्र कुमार, इन्द्रपाल	रु. 4,90,566/-	18.8.2017	खसरा नं. 120, ग्राम इल्लाबांस, परगणा एवं तहसील-दादरी, जिला जी.बी. नगर (उ.प्र.)-201301	18.9.2019
3.	अभिशेक, रजनी मिश्रा, विकास	रु. 903320/-	2.3.2019	प्लॉट नं. 10/1, 2रा तल, खसरा नं. 808, राजबाग कॉलोनी, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201005	18.9.2019
4.	श्री अनिल कुमार झा, सुधीरा झा	रु. 754339/-	19.7.2017	मकान सं. 101/ए, खाता नं.-333, ग्राम भूवापुर, परगणा लोनी, गाजियाबाद-201102	18.9.2019
5.	गौरव यादव, रीता रानी	रु. 1332628/-	26.4.2019	सम्पत्ति सं. 1/9216, भूतल (आरएचएस, प्लॉट नं. 19, खसरा नं.-1283/391 तथा 1286/392 में, ग्राम, उल्धनपुर, गली नं. 5, पश्चिम रोहताश नगर, ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110032	18.9.2019
6.	गौरव यादव आदित्य दीपक	रु. 1692751/-	2.3.2019	फ्लैट नं.-4, भूतल, मकान सं. 211, खसरा नं. 448, ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-51, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	18.9.2019
7.	निर्मला, हिमांशु डागर	रु. 1262879/-	20.8.2018	पी. नं. 2-ए/9, प्रा. नं. सी-1, यूजीएफ, ख.नं. 1151/3 मिन, लाल डोरा की आबादी, ग्राम मेहरौली, तह. हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110030	18.9.2019
8.	दराब सिंह श्रीमती रमा देवी	रु. 658453/-	26.4.2019	खेवत नं./ खाता नं.-925, खतौनी नं.-1068, अरजी मु.नं. 84, किला नं. 15/1 (6-14), लक्ष्मण कॉलोनी, वाका मौजा बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004	18.9.2019
9.	संतोष, सन्ध्या	रु. 8,24,248/-	27.11.2018	खसरा नं.- 31//14/2, 6/2, 32//10/2, वाका सिवाना मौजा घनवापुर हल कॉलोनी, सूरत नगर फेज 2, गुड़गाँव, हरियाणा-122001	18.9.2019
10.	शादिआन, जावेद खान	रु. 380959/-	26.4.2019	खेवत/खाता नं. 6, म्यु. नं.-11, किल्ला नं.- 25 80 बाका राईपुर, तह. सोहना, जिला गुड़गाँव, हरियाणा-122103	18.9.2019
11.	श्री अक्षय कुमार, आदित्य कुमार, उमा राना	रु. 550395/-	29.3.2017	प्लॉट नं.-13, खसरा नं. 152, मिन, असालत नगर, जलालबाद, मोदी नगर-201204	18.9.2019
12.	विरेन्द्र कौशिक, ममतेश कौशिक	रु. 851719/-	20.2.2018	खसरा नं. 722 मी, ग्राम बेगमाबाद बुदाना, मराफ मोहल्ला, ब्रह्मपुरी, मोदीनगर, उ.प्र.-201204	18.9.2019
13.	देवकान्त शाह, सारिका	रु. 811087/-	12.4.2018	खसरा नं. 811, ग्राम बिसोखर मारुफ, मोह-सन्तपुरा मोदीनगर, परगणा-जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद 201204	18.9.2019
14.	विजय कुमार शर्मा, शीला	रु. 5,31,106/-	28.7.2018	खसरा नं. 703 मी., ग्राम बेगमाबाद बुदाना, परगणा जलालाबाद, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201204	18.9.2019
15.	धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, शिवा बरण लाल मिश्रा	रु. 589437/-	28.7.2018	प्लॉट नं.-6, खसरा नं. 411, ग्राम दोयामी, परगणा हापुर, तहसील हापुर, यूपी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101	18.9.2019
16.	चन्दरपाल सिंह, चन्द्रावती	रु. 498405/-	20.8.2018	खसरा नं. 1256 मी. मोह. विजय नगर, परगणा- जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201204	18.9.2019
17.	सुभाष चन्द कासना, कविता कासना	रु. 640336/-	17.5.2018	सी-1/47, भू तल, डीएलएफ एक्स्टें., भोपुरा, गाजियाबाद- 201005	18.9.2019
18.	गीता देवी, काली चरण शर्मा	रु. 958617/-	20.2.2018	फ्लैट नं. एफएफ-1, 1ला तल, ख.नं. 399, प्रेम विहार-III, ग्राम सैदुल्लाबाद, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201102	18.9.2019
19.	श्रीमती नीतु रावत, गुलाब सिंह रावत	1206843/-	16.3.2018	मकान सं. बी/59/1, ख.नं. 988, सुभाष पार्क, ग्राम माकनपुर. गाजियाबाद, उ.प्र.- 201006	18.9.2019
20.	इमरान, अख्तरी	रु. 841467/-	19.2.2019	प्लॉट नं. 18, खसरा नं. 159/11, मोहल्ला चोत कैला, ग्राम किल्ला, गाजियाबाद, उ.प्र.-201003	18.9.2019
21.	जीतेन्द्र यादव, अनिता यादव	रु. 812627/-	19.2.2019	फ्लैट नं. 301, 2रा तल, प्लॉट नं. एम-160 सी, ख.नं. 977, महाराणा प्रताप नगर, महेन्द्र एन्क्लेव, राजापुर, परगणा डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201003	18.9.2019
22.	जीतेन्द्र सिंह, सूरजपाल सिंह, सुमन राना	रु. 554863/-	2.3.2019	मकान सं. ई-54, नंदग्राम, गाजियाबाद, उ.प्र.-201003	18.9.2019
23.	रविन्दर भाटी, शान्ति	रु. 655465.71/-	7.6.2019	प्लॉट नं. (उल्लिखित नहीं), भूमि माप 100 वर्ग याईस, रेक्ट.नं. 23, किल्ला नं. 11 (8-0), खेवत/ खाता 67/74 में शामिल तथा माप 50 वर्ग याईस, रेक्ट नं. 23, किल्ला नं. 12 (8-0) में शामिल (कुल भूमि माप 100 वर्ग याईस) जो ग्राम सेहतपुर, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में स्थित है।	18.9.2019
24.	अयूब खान, अमीना	रु. 809807/-	7.6.2019	प्लाट न. 9, खेवत/खाता न. 56/63, 65, मुस्तातिल/ खसरा न. 58/8/2, आदर्श नगर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-124004	18.9.2019
25.	सुशील कुमार सिंह, कंचन सिंह	रु. 1142027.46	7.6.2019	फ्लैट नं. ई-442, भूतल, ब्लॉक ई, सेक्टर-11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	18.9.2019
26.	अरूण कुमार, पूजा	रु. 796912.27	7.6.2019	भू तल, बिना छत के, प्लॉट न. सी 1/1, बिन्दापुर, संजय एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली-110059	18.9.2019
27.	घनश्याम सिंह, शान्ति देवी	रु. 779118.42	7.6.2019	बाका मौजा ऊंचा गांव, प्लॉट नं. 325, अरजी खसरा नं. 57, किल्ला नं. 140 (0-18) 15 (7-17), 17 (4-7), क्यू नं. 58, किल्ला नं. 12 (8-0) 11 (8-0), बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004	18.9.2019

स्थानः गुड़गाँव — प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 23.9.2019 — शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लि.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

भूतल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

[नियम 8 (1)]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने बैंक ऑफ बड़ौदा – बाराखम्बा रोड शाखा (पूर्वतः विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **10-06-2019** जारी की थी, जिसमें कर्जदार के माध्यम से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। उक्त सूचना आपके द्वारा 14-06-2019 को प्राप्त की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **17 सितम्बर, 2019** को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्वतः विजया बैंक) की बकाया राशि सूचना में नीचे विवरण दिया गया है।

क्र० सं०	कर्जदार/गारंटर के नाम	बकाया राशि	सम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता पुत्र श्री पी.एम. गुप्ता 2. श्रीमति सीता गुप्ता पत्नि श्री श्याम सुन्दर गुप्ता 3. श्री आकाश गुप्ता पुत्र श्री श्याम सुन्दर गुप्ता 4. श्री सागर गुप्ता पुत्र श्री श्याम सुन्दर गुप्ता सभी निवासी ए-2, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली- 110048	31.05.2019 को ₹ 19,67,38,086.40	1. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स सोना कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि. के नाम पर प्लॉट नंबर जी-9, ब्लॉक बी-1, मोहन को-आपरेटिव एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली स्थित कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कुल परिमाप 3880 वर्ग मीटर। **चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार) – उत्तर** : प्लॉट नंबर जे-05, **दक्षिण** : प्लॉट नंबर जे-04, **पूरब** : 60 फीट चौड़ी रोड, **पश्चिम** : अन्य भूमि 2. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स मुकुन्द लाल ओम प्रकाश ऐंड कम्पनी के नाम पर प्लॉट नंबर जे-4, ब्लॉक बी-1, मोहन को-आपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली स्थित कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर + 2 अपर फ्लोर्स (प्रत्येक फ्लोर परिमाप लगभग 1375 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया) शामिल हैं, कुल परिमाप 4125 वर्ग मीटर, जो 3286.07 वर्ग गज परिमाप के प्लॉट पर निर्मित है। **चौहद्दी (वास्तविक के अनुसार) – उत्तर पूर्व** : 60 फीट चौड़ी रोड, **दक्षिण पश्चिम** : अन्य भूमि, **दक्षिण पूरब** : प्लॉट नंबर जी-09, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर जी-03 3. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्री श्याम सुंदर गुप्ता एवं श्रीमती सीता गुप्ता के नाम पर प्लॉट नंबर 2, चिराग एन्क्लेव, नई दिल्ली स्थित आवासीय सम्पत्ति। **चौहद्दी (वास्तविक के अनुसार) – उत्तर पूर्व** : मकान नंबर ए-03, **दक्षिण पश्चिम** : मकान नंबर ए-01, **दक्षिण पूरब** : 15 फीट चौड़ी रोड, **पश्चिम** : आउटर रिंग रोड
2.	मैसर्स सोना कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-9, ब्लॉक बी-1, मोहन को-आपरेटिव एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में स्थित है, के इसके निदेशकों 1. श्री श्याम सुंदर गुप्ता पुत्र पी.एम. गुप्ता, 2. श्रीमती सीता गुप्ता पत्नी श्री श्याम सुंदर गुप्ता, 3. श्री सागर गुप्ता पुत्र श्री श्याम सुंदर गुप्ता, सभी निवासी ए-2, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली- 110048	31.05.2019 को ₹ 14,16,36,464.42	1. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स सोना कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि. के नाम पर प्लॉट नंबर जी-9, ब्लॉक बी-1, मोहन को-आपरेटिव एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली स्थित कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कुल परिमाप 3880 वर्ग मीटर। **चौहद्दी (सेल डीड के अनुसार) – उत्तर** : प्लॉट नंबर जे-05, **दक्षिण** : प्लॉट नंबर जे-04, **पूरब** : 60 फीट चौड़ी रोड, **पश्चिम** : अन्य भूमि 2. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स मुकुन्द लाल ओम प्रकाश ऐंड कम्पनी के नाम पर प्लॉट नंबर जे-4, ब्लॉक बी-1, मोहन को-आपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली स्थित कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर + 2 अपर फ्लोर्स (प्रत्येक फ्लोर परिमाप लगभग 1375 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया) शामिल हैं, कुल परिमाप 4125 वर्ग मीटर, जो 3286.07 वर्ग गज परिमाप के प्लॉट पर निर्मित है। **चौहद्दी (वास्तविक के अनुसार) – उत्तर पूर्व** : 60 फीट चौड़ी रोड, **दक्षिण पश्चिम** : अन्य भूमि, **दक्षिण पूरब** : प्लॉट नंबर जी-09, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर जी-03 3. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्री श्याम सुंदर गुप्ता एवं श्रीमती सीता गुप्ता के नाम पर प्लॉट नंबर 2, चिराग एन्क्लेव, नई दिल्ली स्थित आवासीय सम्पत्ति। **चौहद्दी (वास्तविक के अनुसार) – उत्तर पूर्व** : मकान नंबर ए-03, **दक्षिण पश्चिम** : मकान नंबर ए-01, **दक्षिण पूरब** : 15 फीट चौड़ी रोड, **पश्चिम** : आउटर रिंग रोड

स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी (बैंक ऑफ बड़ौदा, बाराखम्बा रोड शाखा)

IN THE MATTER OF ARBITRATION BETWEEN M/S. SREI EQUIPMENT FINANCE LTD. AND Lekh Raj (Agreement No 139844 dated 31.8.2017)

Pursuant to the directions given by the Ld. Sole Arbitrator Mr Sukanta Ghosh Advocate on 30.7.2019 notice is hereby given to Mr Lekh raj at DG 1375, ward No 7, behind Nishant Public School, Palwal, Faridabad, Haryana, Pin 121002 to be present and defend the matter before the Learned Sole Arbitrator on 4.11.2019 at 5.p.m at 7, Old post office street, Kolkata 700001.

Ayan Chakraborty

Advocates

Room No.403B,4th Floor, "Oswal Chamber", 2, Church Lane, Kolkata- 700 001

सार्वजनिक सूचना

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के समक्ष, नई दिल्ली

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, नियम 17 सीमित दायित्व भागीदारी, 2009 के मामले में

और

मालिया स्टील एण्ड अलॉयज एलएलपी

(एलएलपीआईएन : एएबी-4326)

के मामले में

जिसका पंजीकृत पता : **381, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006**

....आवेदक

[illegible] **"हरियाणा राज्य"** से **"छत्तीसगढ़ राज्य में"** [illegible] **बिलासपुर, छत्तीसगढ़** [illegible] 21 दिनों के भीतर [illegible] एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) [illegible] 61 [illegible] नई दिल्ली-110019 [illegible]

पंजीकृत कार्यालय : 381, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006

आवेदक के लिए और उनकी ओर से

मालिया स्टील एण्ड अलॉयज एलएलपी

हस्ता/-

दिनांक : 23.09.2019 — रजत गर्ग

स्थान : फरीदाबाद — अभिहित भागीदार

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

और

नितिन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U85110DL1989PTC226090)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **205 चौधरी कॉम्प्लेक्स, 9, मधुबन रोड, शकरपुर, दिल्ली-110092** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

[illegible] **30 अगस्त, 2019** [illegible] **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** [illegible] (**www.mca.gov.in**) [illegible] **205 चौधरी कॉम्प्लेक्स, 9, मधुबन रोड, शकरपुर, दिल्ली-110092** [illegible] 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजें।

कृते **नितिन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड**

हस्ता/-

दिनांक: 23 सितम्बर 2019 / स्थान: दिल्ली — पंकज कुमार सिंघल (निदेशक) डीआईएन: 00708833

BANK OF BARODA — POWER OF 3

CORPORATE BANKING BRANCH - I, VIJAYA BUILDING, 17, GROUND FLOOR, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI - 110001

NOTICE TO GUARANTOR

NOTICE TO GUARANTOR (UNDER SUB- SECTION (2) OF SECTION 13 OF THE SARFAESI ACT, 2002)

1.**Mr. Vinod Sehwag** s/o Late Shri Krishan Kumar Sehwag, X-12, Ground Floor, Hauz Khas, South West Delhi, Delhi, 110016
2.**Mrs. Meenakshi Sehwag** w/o Mr. Vinod Sehwag, X-12, Ground Floor, Hauz Khas, South West Delhi, Delhi, 110016
3.**Mr. Vishnoo Mittal** s/o Shri Mange Ram Mittal, H.No. 136, Deepak Vihar, Najafgarh, South West Delhi, Delhi, 110043
4.**Mr. Heavent Sudhir Malhotra** S/o Sudhir Malhotra, D-7/7018, D-Block, Near Vasant Kunj Fly Over, Vasant Kunj, South West Delhi, Delhi, 110070
5.**M/s V & V Corporation Private Limited** Registered Office at Flat No.7228, Sector D, Pocket-7, Vasant Kunj, New Delhi-110070
6.**M/s VHV Beverages Private Limited** Registered Office at Flat No.7228, Sector D, Pocket-7, Vasant Kunj, New Delhi-110070
7.**Mrs. Homi** W/o Vishnoo Mittal, 37 A, Rati Ram Park, Nazafgarh, Dharampura Extn., New Delhi
8.**Mrs. Pooja Malhotra** D/o Pramod Krishan Bhatnagar, D-7/7018, Near Vasant Kunj, South West Delhi, Delhi, 110070
9.**M/s Xalta Infrastructure and Services Private Limited** Registered Office at RZ-37A, Naya Bazar, Rati Ram Park, Najaf Garh, New Delhi, 110043

Dear Sir/s

Re: Your guarantee for credit facilities granted to M/s Xalta Food And Beverages Private Limited (Borrower)

1. We refer our letter ref no. BKR: CD:XALTA:2016-17/30 dated 09.05.2016 and further modification communicated for the Term loan of Rs. 31 Crore (reduced to Rs. 19.31 Crore) (hereinafter called "Term Loan 1") [Applicable for guarantor mentioned from Sr. No. 1 to 6] and our letter ref no. CBB-1:SM:SB:663:2017 dated 29.12.2017 communicated for the term loan of Rs. 3.60 Crore (hereinafter called "Term Loan 2") [Applicable for all guarantors mentioned above]. The Term Loan 1 stated above was guaranteed by guarantors mentioned in above table from Sr No. 1 to 6 (hereinafter called "Guarantor of Term Loan 1") and the guarantors of Term Loan 1 have accepted the Sanction communicated by above mentioned communication of Term Loan 1 along with the Borrower and executed the Guarantee Agreement dated 20.10.2016. Further the Term Loan 2 stated above was guaranteed by all guarantors mentioned above (hereinafter called "Guarantor of Term Loan 2") and the guarantors of Term Loan 2 have accepted the Sanction communicated by above mentioned communication of Term Loan 2 along with the Borrower and executed the Guarantee Agreement dated 30.12.2017. Pursuant to the above sanction "Borrower" has availed/ has started availing the credit facilities. The present outstanding in various loan/ credit facility accounts and the security interests created for such liability are mentioned in Annexure I.

2. As you are aware, the Borrower has committed defaults in payment of interests/ payment of instalment of above term loan/ outstanding which have fallen due for payment and Consequent upon defaults committed by the Borrower, above said loan account/s has been classified as non- performing asset on 31.08.2019 in accordance with the Reserve Bank of India directives and guidelines. In spite of our repeated requests and demands the Borrower has not repaid the overdue loans including interests thereon.

3. Since the borrower has committed defaults; in terms of the guarantee, the respective guarantors have become liable to pay the outstanding amount of the loan/ credit facilities as mentioned in the Annexure 1.

4. Having regard to Borrower's inability to meet liabilities in respect of the credit facilities duly secured by various securities mentioned in Annexure II and classification of the account as non- performing asset, we hereby invoke the guarantee in terms of guarantee agreement executed and call upon you to pay the said amount within 60 days from the date of this notice. This notice of 60 days may please be treated as Notice under sub- section (2) of section 13 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and call upon you to pay in full and discharge your liabilities to the Bank aggregating Rs. 12,26,44,570.35 (Rupees Twelve Crore Twenty Six Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Seventy and Three Five Paisa Only) (including interest up to 31st August'19)+ future unapplied interest + Cost + Expenses, within 60 days from the date of this notice. We further give you notice that failing payment of above amount with interest till the date of payment, we shall be free to exercise all or any of the rights under sub-section (4) of section 13 of the said Act or under any clause of the applicable and enforceable law, which please note.

5. Please note that, interest will continue to accrue at the Contractual rates for each credit facility until payment in full.

6. In case you fail to make the payment as aforesaid, we at Bank of Baroda in the capacity of lender, shall be constrained to take recourse in terms of the provisions of the said Act against all or any one or more of the secured assets, entirely at your risk as to costs and consequences thereof. The powers available to Bank of Baroda under the Act include (i) power to take possession of the secured assets of the borrower including the rights to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing secured asset (ii) take over the management of the secured asset including the rights to transfer by way of lease, assignment or sale and realize the secured asset and any transfer of secured asset by Bank of Baroda shall vest in the transferee all rights or in relation to the secured asset transferred as if the transfer has been made by you.

7. We invite your attention to section 13(13) of the said Act in terms of which you are barred from transferring any of the secured assets mentioned in Annexure II by the way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business), without obtaining our prior written consent. Please note that non-compliance with the above provision contained in section 13(13) of the said Act, is an offence punishable under section 29 of the Act.

8. We further invite your attention to sub section (8) of section 13 of the said Act in terms of which you may redeem the secured assets, if the amount of dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank is tendered by you, at any time before the date of publication of notice for public auction/ inviting quotations/ tender/ private treaty. Please note that after publication of the notice as above, your right to redeem the secured assets will not be available.

9. Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we may have, including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to us.

a. Equitable mortgage of the following properties- (Annexure-II)

S. No.	Particulars
1.	**Commercial property bearing no. RZ-14/5 land area 319 sq. yards out of Khasra No. 18/7/2, Village Najafgarh, Laxmi Garden, Najafgarh, New Delhi 110043 owned by Smt Meenakshi Sherawat W/o Sh Vinod Sehwag**
2.	**Residential property bearing no. RZ-14/5 A (new no.), RZ 14/5 (old no.) land area 300 sq. yards out of Khasra No. 18/7/2, Village Najafgarh, Laxmi Garden, Najafgarh, New Delhi 110043 owned by Sh Vinod Sehwag S/o Late Sh Krishan Kumar**

ANNEXURE-I

S. No.	Nature of facility	Amount Sanctioned (Rs)	Amount outstanding as on 31.08.2019 (Rs.12,26,44,570.35 repayable by you)
1	Term Loan-I	19,31,00,000.00	12,26,33,066.35
2	Term Loan-II	3,60,00,000.00	11,504.00
Total Amount as on 31.08.2019			12,26,44,570.35 (Rupees Twelve Crore Twenty Six Lakhs Forty Four Thousand Five Hundred Seventy and Paise Thirty Five Only) together with further interest thereon with effect from 01.09.2019 at the contractual rates together with costs, charges, other monies until payment or realisation.

Yours faithfully, Authorised Officer.

PRE OFFER PUBLIC ANNOUCEMENT

KAVITA FABRICS LIMITED

CIN: L17110GJ2005PLC046929

Registered Office: 105, Balaji Industrial Society – 1, Udhna Magdalla Road, Surat, Gujarat – 395 007.

Tel No: 0261 – 301 8759; E-mail ID: info@kavitafabrics.com, Website: www.kavitafabrics.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 27,08,864 (TWENTY SEVEN LAKHS EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF KAVITA FABRICS LIMITED ("KFL" / "TARGET COMPANY") BY MR. GANESH NIBE ("ACQUIRER") ALONG WITH MRS. MANJUSHA NIBE ("PAC") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3 & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Advertisement ("Pre Offer Public Announcement") is being issued by Aryaman Financial Services Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirer and PAC, in compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in respect of Open Offer ("Offer") to acquire 27,08,864 (Twenty Seven Lakhs Eight Thousand Eight Hundred And Sixty Four) Equity Shares of Rs. 10/- each, being constituting 26% of the Target Company on a fully diluted basis at a price of Rs. 6.00/- (Rupees Six Only) ("Offer Price"). This Pre Offer Public Announcement is to be read with Public Announcement dated July 12, 2019 ("PA") along with the Detailed Public Statement ("DPS") published on July 19, 2019 in Financial Express (National English Daily – All Editions), Jansatta (National Hindi Daily – All Editions), Mumbai Lakshadeep (Regional Marathi Daily - Mumbai Edition) and Janadesh (Regional Gujarati Daily - Surat Edition) with respect to the aforementioned Offer.

(1) The Offer Price is Rs. 6.00/- (Rupees Six Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with the Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and LOO. There has been no revision in the Offer Price.

(2) Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommends that the Offer Price of Rs. 6.00/- is fair and reasonable. The recommendation of IDC was published on September 20, 2019 (Friday) in the same newspapers where the DPS was published.

(3) This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. There has been no competitive bid to this Offer.

(4) The Letter of Offer dated September 13, 2019 ("LOO") has been dispatched on September 17, 2019 to all the eligible Shareholders of the Target Company whose names appeared in the Register of Members on September 11, 2019, the Identified Date.

(5) Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" on page no. 15 of the LOO in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

(6) Please note that a copy of the LOO will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

(7) Instructions for Public Shareholders:

In case the Equity Shares are in physical form: As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with SEBI notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, and the press releases dated December 03, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository. Hence, Public Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

In case the Equity Shares are in dematerialized form: An Eligible person may participate in the Open Offer by approaching their broker/selling member and tender shares in the open offer as per the procedure mentioned in the LOO along with other details.

(8) In terms of Regulation 16(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on July 26, 2019. The final observations letter from SEBI was received on September 06, 2019 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the observations have been duly incorporated in the LOO.

(9) There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the DPS and the LOO.

(10) As on the date of this advertisement, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Open Offer. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer.

(11) **Schedule of Activities:**

Major Activities	Original Schedule (Day & Date)	Revised Schedule (Day & Date)
Public Announcement	Friday, July 12, 2019	Friday, July 12, 2019
Publication of Detail Public Statement	Friday, July 19, 2019	Friday, July 19, 2019
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, July 26, 2019	Friday, July 26, 2019
Last Date for a Competitive Bid*	Friday, August 09, 2019	Friday, August 09, 2019
Receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer	Tuesday, August 20, 2019	Friday, September 06, 2019
Identified Date**	Thursday, August 22, 2019	Wednesday, September 11, 2019
Date by which Letter of Offer be posted to the Shareholder	Thursday, August 29, 2019	Wednesday, September 18, 2019
Comments on the Offer by a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company	Tuesday, September 03, 2019	Friday, September 20, 2019
Last Day of Revision of Offer Price / Share	Wednesday, September 04, 2019	Monday, September 23, 2019
Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	Thursday, September 05, 2019	Tuesday, September 24, 2019
Date of Opening of the Offer	Friday, September 06, 2019	Wednesday, September 25, 2019
Date of Closing of the Offer	Friday, September 20, 2019	Thursday, October 10, 2019
Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the acquired shares	Monday, October 07, 2019	Thursday, October 24, 2019

*There has been no competing offer in this offer

** Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the LOO would be sent. All owner (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except Acquirer, person deemed to be acting in concert with Acquirer and Sellers of the Target Company) are eligible to participate in the offer any time before the closure of the Offer.

The terms not defined herein will have the same meaning as defined in the PA, DPS and LOO. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. The Acquirer and the PAC jointly and severally accept the responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer and the PAC as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in

THIS ANNOUNCEMENT IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER ALONG WITH PAC

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LTD

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

(CIN No.: L74899DL1994PLC059009)

60, Khatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Towers (BSE Building), Fort, Mumbai – 400 001. **Tel:** 022 – 6216 6999; **Fax:** 022 – 2263 0434

Website: www.afsl.co.in **Email:** info@afsl.co.in

Contact Person: Mr. Deepak Biyani

Place : Mumbai

Date : September 23, 2019

सूचकांक 1,075 अंक की छलांग के साथ 39000 के पार

मुंबई, 23 सितंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा और सूचकांक 1,075 अंक की एक और लंबी छलांग के साथ 39,000 अंक के स्तर के पार निकल गया। यह इसका दो माह का उच्च स्तर है। वित्तीय, बैंकिंग और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में बढ़त से तेजड़िया दौड़ लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में भी जारी रही।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिन में कारोबार के दौरान 1,426 अंक तक चढ़ने के बाद अंत में 1,075.41 अंक की बढ़त के साथ 39,090.03 अंक पर बंद हुआ। यह इसका 17 जुलाई के बाद का उच्च स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 326 अंक के लाभ के साथ 11,600.20 अंक पर बंद हुआ।

इससे पिछले कारोबारी सत्र में शुक्रवार को सूचकांक ने 1,921.15 अंक की एक दशक से अधिक समय की सबसे लंबी छलांग लगाई थी। शुक्रवार को सूचकांक 5.32 फीसद चढ़कर 38,014.62 अंक पर बंद हुआ था। उस दिन निफ्टी 569.40 अंक की बढ़त के साथ 11,274.20 अंक पर बंद हुआ था। दो कारोबारी सत्रों में सूचकांक 2,996.56 अंक और निफ्टी 895.40 अंक चढ़ा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सबको हैरान करते हुए कॉरपोरेट कर में कटौती की घोषणा की। इसके बाद से दलाल पथ पर तेजड़िया दौड़ शुरू हो गई। सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के प्रमुख (इक्विटी एडवाइजरी) देवांग मेहता ने कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती के ऐतिहासिक फैसले के बाद बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रहा। इन उपायों से बड़ी संख्या में कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। इसका इस्तेमाल कंपनियों द्वारा या तो कीमतों में कटौती कर मांग बढ़ाने, शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान या पूंजीगत व्यय पर किया जाएगा।

सूचकांक की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, एशियन पेंट्स, आइटीसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, मारुति और एसबीआइ में 8.70 फीसद तक का लाभ रहा। दूसरी ओर इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, पावरग्रिड, एनटीपीसी, भारती एअरटेल, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एचसीएल टेक के शेयर 4.97 फीसद तक नीचे आए। बीएसई मिडकैप में 3.08 फीसद और स्मॉलकैप में 2.73 फीसद की बढ़त रही। जीएसटी परिषद ने भी होटलों और कुछ सामान पर कर की दर घटाने की घोषणा की है। इससे भी बाजार धारणा को बल मिला है।

अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 70.92 प्रति डॉलर पर स्थिर चल रहा था। बीएसई में 1,638 शेयर लाभ में और 972 नुकसान में रहे। 103 शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे। 216 शेयरों ने अपनी ऊपरी सीमा को छुआ।

थॉमस कुक हुई दिवालिया, छह लाख पर्यटक फंसे

लंदन, 23 सितंबर (एएफपी)।

यात्रा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली ब्रिटेन की पुरानी कंपनी थॉमसकुक सोमवार को कर्ज का बोझ सहते-सहते आखिर दिवालिया हो गई। इसके साथ ही उसकी बुकिंग वाले छह लाख के करीब पर्यटक दुनिया भर में जहां तहां फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने पर्यटकों को वापस लाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। ब्रिटेन का दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस तरह का यह सबसे बड़ा स्वदेश वापसी अभियान होगा।

ब्रिटेन की 178 साल पुरानी यह कंपनी पिछले कुछ सालों से कर्ज बोझ तले दबने लगी थी। कंपनी ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर जारी कश्मकश को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। उसकी बुकिंग कम होने लगी थी और यही वजह है कि उसे निजी निवेशकों से 20 करोड़ पाउंड जुटाने में भी असफलता हाथ लगी। कंपनी का 2007 का विलय सौदा उसके लिए घातक रहा, इसके बाद से ही वह लगातार वित्तीय संकट से जूझती रही और आखिरकार सोमवार को उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद कंपनी के छह लाख के करीब पर्यटक दुनियाभर में जहां-तहां फंस गए और उसके 22 हजार कर्मचारी अपनी आजीविका खो बैठे। ब्रिटेन सरकार ने छुट्टियां बिताने बाहर गए डेढ़ लाख नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए आपात योजना पर काम शुरू किया है। उसने बुल्गारिया, क्यूबा, तुर्की और अमेरिका गए लोगों को वापस लाने के लिए विमानों की व्यवस्था की है। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स ने कहा कि सरकार ने और ब्रिटेन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने थॉमस कुक के ग्राहकों को स्वदेश लाने के लिए कई विमानों को किराए पर लिया है। थॉमसकुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर फेंकहौउजर ने कहा, 'यह मेरे और कंपनी बोर्ड के बाकी सदस्यों के लिए गहरे खेद का विषय है कि हम सफल नहीं हो पाए। यह कंपनी के लिए बहुत बुरा दिन है।' कंपनी यात्रा संचालक होने के साथ ही एअरलाइन भी चलाती है। दिवालिया होने के साथ ही उसके विमान खड़े हो गए और ट्रैवल एजेंसी बंद हो गई। उसके दुनियाभर में फैले 22,000 कर्मचारी नौकरी गंवा बैठे। इनमें से 9,000 कम्रचारी अकेले ब्रिटेन में हैं। भारत में गोवा की ट्रैवल एण्ड टूरिज्म एसोसिएसन ने बताया कि थॉमस कुक के दिवालिया होने से गोवा में ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की भारी कमी हो सकती है। एसोसिएसन के अध्यक्ष साविओ मेसिह ने कहा, 'पिछले पर्यटन सत्र के दौरान ब्रिटेन से 30,000 पर्यटक गोवा आए थे। इनमें ज्यादातर थॉमस कुक की बुकिंग के जरिए ही गोवा पहुंचे। कंपनी सप्ताह में सातों दिन उड़ाने संचालित करती थी जिसमें प्रत्येक विमान में 300 यात्री होते हैं।' उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पर्यटक लंबे समय तक गोवा में रुकते हैं। ये पर्यटक औसतन 14 रातें गोवा में बिताते हैं। थॉमक कुक के दिवालिया होने के बाद ब्रिटेन के पर्यटकों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी आ सकती है क्योंकि दूसरी एअरलाइनों में इतने यात्रियों को जगह मिलनी मुश्किल है।

कंपनी के 22 हजार कर्मचारी अपनी आजीविका खो बैठे

ब्रिटेन सरकार ने पर्यटकों को वापस लाने का बड़ा अभियान शुरू किया

गोवा के पर्यटन उद्योग में चिंता

कोल इंडिया के कर्मचारी आज हड़ताल पर

कोलकाता, 23 सितंबर (भाषा)।

कोयला खनन क्षेत्र में सौ फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के सरकार के फैसले के खिलाफ कोल इंडिया की कर्मचारी यूनियनों ने मंगलवार को एक दिन की हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। यूनियनों की हड़ताल से कोल इंडिया का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज की पांच फेडरेशनों ने 24 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। ये यूनियनें करीब पांच लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यूनियनों की मांग है कि सरकार कोयला खनन में एफडीआइ की अनुमति के फैसले को वापस ले। आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव डीडी रामानंदन ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) को छोड़कर सभी पांच फेडरेशन मंगलवार की हड़ताल में शामिल होंगी। कोल इंडिया का रोजाना कोयला उत्पादन 20 लाख टन है। देश के कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 फीसद है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध बीएमएस ने इस एक दिन की हड़ताल के नोटिस पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि, बीएमएस ने सोमवार से 27 सितंबर तक पांच दिन की हड़ताल शुरू की है। कोल इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि बीएमएस की हड़ताल के बावजूद सोमवार को उत्पादन पर किसी तरह का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No: PBLD03-010588-2017 Next Date:-31-10-19

Kotak Mahindra Bank V/S Eslam Navi@Islam Hassan

Notice To:- Eslam Navi @ Islam Hassan S/o Vali Hassan H.No. 158 Kamuwa Bareilly- 243402 Uttar Pardesh

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No-PBLD03-018801-2017 Next Date-31-10-19

Kotak Mahindra Bank V/S M/s S F Generators

Notice To:- 1. M/s S F Generators Through Its Prop. Shaharyar Khan Vill Salarpur Opp Sec-47 Near Police Chowki Noida 201301 Noida 2. Shaharyar Khan Prop M/s S F Generators Vill Salarpur Opp Sec-47 Near Police Chowki Noida 201301 Noida.

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No-PBLD03-010580-2017 Next Date-31/10/19

Kotak Mahindra Bank V/S. Hafeez Khan

Notice To:- Hafeez Khan Muh Vali Nagar Post Shahi Shahi Meerganj Bareilly - 243301 U.P.

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No- PBLD03-010986-2017 Next Date-31-10-2019

Kotak Mahindra Bank V/S Mohd. Gufran

Notice To:- Mohd Gufran S/o Sabir Husain R/o 311, Masabi Rasulpur Anahla Moradabad-244301

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No- PBLD03-013989-2017 Next Date-31-10-19

Kotak Mahindra Bank V/S Hajarun Dilashad

Notice To:- Hajarun Dilashad R/o H.No. 34 Cham -araua Tehsil Moradabad- 244001

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No- BLD03-010937-2017 Next Date-31-10-2019

Kotak Mahindra Bank V/S Prem Pal Singh

Notice To:- Prem Pal Singh R/o H.No. 83 Fatulla-nagar Milak Biswara Tehs. Suar Rampur-244901 U.P.

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No. PBLD03-010808-2017 Next Date-31-10-19

Kotak Mahindra Bank v/s M/s Sandhya Industries

Notice To:- 1. M/s Sandhya Industries Through Its Prop Rakesh Kumar R/o H No. 2061 Air Force Road Jawahar Colony Behind KL Mehta Dayanan School Nit Faridabad 121001 Haryana 2. Rakesh Kumar Prop M/s Sandhya Industries R/o H.No. 2061 Air Force Road Jawahar Colony Behind KL Mehta Dayanan School Nit Faridabad- 121001 Haryana

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19. For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No-PBLD03-010530-2017 Next Date-31/10/19

Kotak Mahindra Bank V/S Sharif Fajle

Notice To:- Sharif Fajle S/o Fajle Ahmed R/o H. No.145 Nakhada Ps Mundha Pandey Moradabad -244001. U.P.

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No-PBLD03-010584-2017 Next Date-31-10-2019

Kotak Mahindra Bank V/S Devendra Kumar

Notice To:- Devendra Kumar R/o Village Dundahed -1, Ghaziabad , U.P.- 201001

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh.Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders And Judgments As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No-PBLD03-010581-2017 Next Date-31/10/19

Kotak Mahindra Bank V/S Chamkur Singh

Notice To:- Chamkaur Singh S/o Mahendra Singh H.No. 4 Gadaiya Naseeni Ganj Bhaspur Dutt Rampur 243003 Uttar Paresh

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You,The Above Named Accused (Accused Persons) Cannot Be Served In The ordinary Way Of Service. Hence, This Proclamation Under Sec.82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31-10-2019 At 10.00 A.m. Or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That,In Case Of Default On Your Part To Appear As Directed Above, The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence Given Under My Hand & Seal Of The Court This 18-9-19.

For Details Logon To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts Ludhiana

In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana

Next Date Purpose Of Case Orders And Judgment As Well As Other Case Information Is Available On http://ecourts.gov.in

CNR No-PBLD03-010579-2017 Next Date - 31-10-2019

Kotak Mahindra Bank V/S Asif Ahmed

Notice To:- Asif Ahmed H.No. 83 Fatahullaganj Tehs. Thakurdwara Moradabad 244601 U.P.

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused Cannot Be Served In The Ordinary Way Of Service.

Hence This Proclamation under Section 82 Of Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 31/10/2019 At 10.00 A.m Or With In 30 Days From The Date Of Publication Of The Proclamation. Take Notice That In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law. In Your Absence.

For Details Log On To https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

Dated This day Of 18/09/2019

JMIC Ludhiana

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

एनएसएफ सेफटी एण्ड सर्टिफिकेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड CIN: U80903DL2008PTC182375 जिसका पंजीकृत कार्यालय 201, 2रा तल, मर्केन्टाइल हाउस, 15 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है-आवेदक-के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि "रा.रा. दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 31 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजी. कार्यालय:

201, 2रा तल, मर्केन्टाइल हाउस, 15 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली हस्ता./-

तिथि: 31.8.2019 **प्रबोध कुमार राय**

निदेशक (DIN:02282668)

प्रपत्र सं. आईएनसी-25 ए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

तथा

पॉयनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 5732, ब्लॉक-ए, स्ट्रीट नं. 81, रेहगरपुर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में है, के मामले में

--आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पॉयनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्या.: प्लॉट नं. 5732, ब्लॉक-ए, स्ट्रीट नं. 81, रेहगरपुर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से

हस्ता./-

वैभव विज

कम्पनी सचिव

एम. नं. ए51684

स्थान: दिल्ली **पता: सी-25, न्यू गोविंद पुरा,**

तिथि: 24.09.2019 **स्ट्रीट नं. 13, दिल्ली-51**

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

क्यूसीएनडी प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-357, तीसरा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 में है, के मामले में

.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 23.9.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृत्ते एवं के लिये

क्यूसीएनडी प्राईवेट लिमिटेड

हस्ता./-

विवेक नारायण

तिथि: 24.09.2019 **निदेशक**

स्थान: नई दिल्ली **DIN: 00066011**

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय)

उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय

प्रथम तल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन नं: 0120-4062943, फैक्स: 0120-4062689

कॉनकॉर CONCOR

निविदा सूचना

खुली ई-निविदा सं. कॉन/एनसीआर/सीईएस/आरएसटी/दादरी/ई-टेंडर/ओबीटी/2019 दिनांक: 24.09.2019

भारतीय कंटेनर निगम लि., उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, छठा तल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301 (यू.पी.) के आईसीडी/दादरी, यू.पी. टर्मिनल में इंटरनेशनल पोर्ट एप्लीकेशन के लिए टच स्क्रीन टावर, साइज 18.00X25.40 ... की आपूर्ति के लिए एकल निविदा प्रणाली में खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CCIL** पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **15.10.2019** को 15.00 बजे तक है। विस्तृत जानकारी एवं किसी भी शुद्धिपत्र के लिए कृपया **www.tenderwizard.com/CCIL** पर लॉग ऑन करें। **सीजीएम/एनसीआर**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

42 आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013

निविदा सूचना

नाबार्ड ने प्रस्तावित "देहरादून में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का भवन योजना, डिज़ाइन और निर्माण" के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए दो बोली प्रणाली में निविदा आमंत्रित की है। तकनीकी बिड, वित्तीय बिड, बिड प्रस्तुत करने, कार्यों का विवरण और आवश्यक सेवाओं के बारे में निर्देश, निविदा के नियम और शर्तों में विस्तार से दिए गए हैं। निविदा नाबार्ड की वेबसाइट https://nabard.eproc.in/ से भी डाउनलोड की जा सकती है।

इच्छुक केंद्रीय सरकारी संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 14 अक्तूबर 2019 को शाम 5:30 बजे से पहले अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी। 03 अक्तूबर 2019 को प्री बिड मीटिंग निर्धारित है।

इस संबंध में जारी किसी भी शुद्धि पत्र को केवल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

गांव बढ़े >> तो देश बढ़े www.nabard.org Taking Rural India >> Forward

SBI

एंटरप्राइज इंटीग्रेशन सर्विसेस डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

प्रस्ताव हेतु निवेदन

भारतीय स्टेट बैंक ने ईआईएस विभाग के लिए अतिरिक्त नेटवर्कस्ड स्टोरेज, एसएडाटा स्टोरेज और डाटाबेस बैकअप समाधान की आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और रखरखाव" के लिए प्रस्ताव हेतु निवेदन (आरएफपी नं. एसबीआई/जीआईटीसी/ईआईएस/2019-20/650 दिनांक 20.09.2019) जारी किया है. कृपया बैंक की साइट **www.sbi.co.in** या **bank.sbi** पर "प्रोक्योरमेंट न्यूज" देखें.

स्थान: नवी मुंबई हस्ताक्षर

दिनांक: 24.09.2019 उप महाप्रबंधक (ईआईएस)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) (A govt. of India Undertaking)

ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

कॉनकॉर केवल ई-टेंडरिंग माध्यम से "आईसीडी पीएसडब्ल्यूपी/पटपर (रेवाड़ी) में मासिक किराये के आधार पर दो व्यावसायिक वाहनों (एक एसी मिनी-सीमगर और एक नॉन-एसी एसयूवी) को किराये पर लेने हेतु"। निम्न विवरण में ऑनलाइन खुली निविदा आमंत्रित करता है।

निविदा सं.	कॉन/एनसीआर/निविदा/सीडी/ इए आईसीडी पीएसडब्ल्यूपी/2019
अनुमानित लागत	₹ 33,30,000/- (अनुबंध अवधि के लिए)
अनुबंध की अवधि	2+1 वर्ष
धरोहर राशि	₹ 66,600/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज का मूल्य	₹ 1000/- सभी कर एवं शुल्कों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	₹1985/-सभी कर एवं शुल्कों सहित ई-भुगतान के माध्यम से (अप्रतिदेय)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	24.9.2019 को 15.30 बजे से 14.10.2019 को 16.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	15.10.2019 को 15:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	16.10.2019 को 15:30 बजे

संपूर्ण जानकारी तथा अन्य मामलों हेतु कृपया **www.concorindia.com** या **eprocure.gov.in** तथा **www.tenderwizard.com/CCIL** पर लॉगऑन करें। निविदा दाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा पत्र में दी गई शर्तों का अनुपालन करें। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। **समूह महाप्रबंधक / सी.ओ. / उत्तरी क्षेत्र**

पासबुक मुद्रण कियोस्क की आपूर्ति, स्थापना, रखरखाव एवं सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए विक्रेता के चयन हेतु प्रस्ताव अनुरोध

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पासबुक मुद्रण कियोस्क की आपूर्ति, स्थापना, रखरखाव एवं सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए विक्रेता के चयन हेतु पात्र बोलीदाताओं से आरएफपी आवेदन आमंत्रित करता है। आरएफपी दस्तावेज का ब्यौरा बैंक के आधिकारिक वेबसाइट **"www.unitedbank.co.in"** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।

आरएफपी अनुसूची :

क्रियाकलाप	दिनांक	समय
बोली पूर्व प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	30.09.2019	-
बोली पूर्व बैठक की तिथि एवं समय	01.10.2019	अपराह्न 15.00 बजे
आरएफपी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	29.10.2019	अपराह्न 15.00 बजे
आरएफपी के पात्रता तथा तकनीकी बोलियां खुलने की तिथि एवं समय	29.10.2019	अपराह्न 15.30 बजे

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) आपका बैंक 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता 700 001

United Bank of India (A Govt. of India Undertaking) The Bank that begins with U 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001

www.unitedbankofindia.com

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम) जहां सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शाखा : डी-22ची, सैक्टर 18, अट्टा, नोएडा-201301

फोन नं. 0120-2512404, ईमेल: a0426@psb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारन्टरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदारों / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

कर्जदारों / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
श्री सुभाष मिश्रा (उधारकर्ता), श्रीमती कंचन मिश्रा (गारंटर) और श्री गजेंद्र मिश्रा (गारंटर)	बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति फ्लैट नं. 302, प्रथम तल, आशु अपार्टमेंट-25, हिंडोन विहार, गाँव बरोला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित	06-10-2015 / 19-09-2019	रू.32,54,075.20 दिनांक 30.09.2015 से भविष्य का ब्याज, खर्च और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।

दिनांक 19-09-2019 स्थान : नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3

विजया बैंक- अब बैंक ऑफ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता **ने पहले विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(12) के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणकर्ता के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणकर्ता/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) के नियम 9 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित बंधक अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है।

ऋणकर्ता/जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति कोई क्रय-विक्रय और इन सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभारों के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों को मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम व पता / मांग सूचना व कब्जा सूचना की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि
	शाखा- विशाल खण्ड, लखनऊ।		
1.	ऋणी : मेसर्स बालाजी होटल प्रोप्राइटर श्री राज कुमार पाण्डेय मांग सूचना तिथि : 02.07.2019 कब्जा सूचना तिथि: 21.09.2019	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर मकान सं. एलआईजी-4/603, क्षेत्रफल 38.76 वर्ग मी. स्थित सेक्टर एच, जानकीपुरम, लखनऊ, पंजीकृत उप-जिला- लखनऊ एवं जिला लखनऊ के अन्तर्गत, चौहद्दी- पूर्व : सड़क, पश्चिम : 4/593, उत्तर : 4/601, दक्षिण : 4/599	रू. 1620933.75 एवं उस पर ब्याज

दिनांक: 24.09.2019 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (पूर्व) I

एम 16 मयूर विहार, पॉकेट ई, फेज II, नई दिल्ली-110091

प्रैस निविदा सूचना

एनआईटी सं. 30/ईस्ट-I/(2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/ निविदा राशि	धरोहर राशि (ईएमडी)	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि एवं निविदा आईडी नं.	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	पूर्व-I में 20/271, 20/287 एवं 20/361-20/391, 20-ब्लॉक कल्याणपुरी एसी-56 में क्रमशः 450 एमएम डाया एवं 315 एमएम डाया के साथ पुराने क्षतिग्रस्त/ अंडर साईज 250 एमएम डाया मैन सीवर लाइन का विस्थापन (पाइप बर्स्टिंग पद्धति द्वारा)	वस्तु दर	69,600/-	500/-	21.9.2019 2019_DJB_180685_7	7.10.2019 के 3.15 अप. में।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

हस्ता./-

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी)

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/383 कार्यपालक अभियंता (पूर्व) I

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (परियोजना) डब्ल्यू-I

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

वरुणालय फेज-I, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

प्रेस एनआईटी सं. 4/ईई (परियोजना) डब्ल्यू-1(2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा शुल्क (रू. में)	धरोहर राशि (रू. में)	पूर्णता अवधि
1.	एसई (उत्तर पश्चिम) सर्किल में प्राईमरी भूमिगत जलाशय (यूजीआर) के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत कंज्यूमर सर्विस लेवल में सुधार के लिये डीएमए'ज के निर्माण तथा एनआरडब्ल्यू की तात्कालिक कमी के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के निर्माण तथा हाइड्रॉलिक मॉडलिंग कार्यान्वय के लिये परामर्श सेवाऐं।	रु. 1500/-	68000/-	15 माह

आरएफपी दस्तावेज दि.ज.बो. की वेबसाईट www.delhijalboard.nic.in पर "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" का अनुसरण कर डाउनलोड की जा सकती है।

हस्ता/-

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 389/2019-20 ईई(परियोजना) डब्ल्यू-I

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन:- 28524421 फैक्स-011-28521871, ई-मेल:- ambdl@nic.in,

निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिए मद दर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत एवं धरोहर राशि (रु में)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आईडी सं.
1.	नई फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी गाजीपुर में पुरानी लगी हुई ब्रैकेट स्ट्रीट लाइट के बदले 120 वाट एल.ई.डी. लाइट फिटिंग सप्लाई करना तथा लगाना	9,01,576/- 18,032/-	27.09.19 at 14.30 Hrs.	2019_DAMB_180357_1

निविदा के अन्य सभी विवरण वेबसाइट **https:/govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./-

अधिशासी अभियंता (वि)

DIP/Shabdarth 0710/19-20 **डी.ए.एम.बी.**

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

(कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के अनुपालन में)

एचईबीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एचईबीई इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (सार्वजनिक कम्पनी से प्राईवेट कम्पनी) में रूपांतरण के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

तथा

मै. एचईबीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (U74899DL1990PLC040251) जिसका पंजीकृत कार्यालय 10, बाबर रोड, नई दिल्ली डीएल 110001 आईएन में है, के मामले में

.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी **एचईबीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड** (U74899DL1990PLC040251) उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी **एचईबीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड** को सक्षम बनाने के लिए 28 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृत्ते एवं के लिए

एचईबीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./-

(रजत गोयल)

निदेशक

तिथि: 23.9.2019 **DIN No. 00440745**

स्थान: नई दिल्ली **पता: 10, बाबर रोड, नई दिल्ली डीएल 110001 आईएन**

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

(कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के अनुपालन में)

एचईबीई एटायर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड का एचईबीई एटायर एक्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (सार्वजनिक कम्पनी से प्राईवेट कम्पनी) में रूपांतरण के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

तथा

एचईबीई एटायर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड (U74899DL1989PLC035865) जिसका पंजीकृत कार्यालय 10, बाबर रोड, नई दिल्ली डीएल 110001 आईएन में है, के मामले में

.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी एईबीई एटायर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड (U74899DL1989PLC035865) उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी (एचईबीई एटायर एक्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड) को सक्षम बनाने के लिए 28 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृत्ते एवं के लिये

एचईबीई एटायर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

(रजत गोयल)

निदेशक

तिथि: 23.9.2019 **DIN NO. 00440745**

स्थान: नई दिल्ली **पता: 10, बाबर रोड, नई दिल्ली डीएल 110001 आईएन**

बेटे-बेटियों को टिकट नहीं दिला पाएंगे हरियाणा के भाजपाई दिग्गज

चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह हो सकती हैं अपवाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सूबे के उन भाजपाई दिग्गजों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है जो अपने बेटे-बेटियों को चुनाव मैदान में उतारने की कवायद में जुटे थे। पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और उसके प्रत्याशियों की पहली सूची अगले कुछ दिनों में जारी कए जाने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए सूबे की चुनाव समिति की बैठक रविवार को मैराथन बैठक हुई जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं से लेकर प्रदेश भाजपा के भी तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल तैयार कर लिया गया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मोहर लगने के बाद भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है।

भाजपा उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला और संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट की बैठक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन के साथ हुई। सूत्रों ने बताया कि पार्टी अपने लगभग सभी मंत्रियों व विधायकों को टिकट देगी। हालांकि करीब एक दर्जन विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाए।

उन्होंने बताया कि नवरात्र के दौरान तमाम प्रत्याशियों की सूची सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं बेटे-बेटियों व अन्य परिजनों को टिकट नहीं दे। उन्होंने कहा कि इस नियम का एक ही अपवाद चौधरी वीरेंद्र सिंह हो सकते हैं जिनकी पत्नी प्रममलता सिंह को भाजपा ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र से फिर से टिकट देगी क्योंकि वह पहले से ही इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके अलावा किसी दिग्गज भाजपाई नेता के परिजनों को चुनावी टिकट मिलने की संभावना नहीं है।

भाजपा ने हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में 75 पार का नारा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में पार्टी सूबे में फिर से अपनी सरकार बनाने की पुरजोर कवायद में जुटी हुई है।

सरकार और जनता के बीच खत्म होनी चाहिए दूरी : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को 2017 बैच के 169 आइएएस अधिकारियों के एक समूह से कहा कि सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए।

राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के रूप में कार्यरत अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन दृष्टिकोणों को अपनाना होगा जिससे उत्कृष्ट परिणाम निकलकर सामने आएं।

कोविंद ने कहा, 'उन्हें टीम वर्क पर जोर देना चाहिए और हर किसी को साथ लेकर चलना चाहिए और हर किसी के योगदान की पहचान की जानी चाहिए। जब वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए और एक आदर्श बनना चाहिए। उन्हें सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, विशेषकर जहां वे मानसिकता और दृष्टिकोण को लेकर काम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि सरकार 'हमारी' या 'उनकी' नहीं होती है, बल्कि 'हम सबकी' होती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार और लोगों के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए। अधिकारियों का दृष्टिकोण लोगों के प्रति संवेदनशील और जन-केंद्रित होना चाहिए। कोविंद ने कहा, 'हम अपने लोगों के लिए जीवन को सुगम व बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' उन्होंने कहा, 'यदि भारत को पांच-हजार अरब डालर अर्थव्यवस्था में बदलना है, कृषि-आय को दोगुना करना है, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना है और हमारी प्रगति में महिलाओं को समान हितधारक बनाना है, तो इसके कार्यान्वयन में आइएएस अधिकारियों की भूमिका अग्रणी और महत्त्वपूर्ण रहेगी।'

'आध्यात्मिकता की राह चुनने वाली महिलाएं ज्यादा खुशहाल'

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

आरएसएस से जुड़े संगठन 'दृष्टि' के जरिए कराए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिन महिलाओं ने आध्यात्मिकता की राह चुनी और जिनके पास परिवार व आय नहीं है वे दुनिया में सबसे खुशहाल हैं।

यह अध्ययन 29 राज्यों, पांच केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। इसमें सीमावर्ती इलाकों के 70 जिलों समेत 465 जिले शामिल किए गए। यह अध्ययन 2017-18 के दौरान दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र (डीएसएपीके) ने कराया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में अध्ययन रिपोर्ट जारी करेंगे। सर्वेक्षण के लिए 18 साल की आयु से अधिक की 43,255 महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया।

सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा)।

सात साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। इसका लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा। इससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सात साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों आखिरी वेतन के 50 फीसद के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी। अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे।

अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्तूबर, 2019 से लागू होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु एक अक्तूबर, 2019 तक दस साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है,उनके परिजनों को एक अक्तूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी।

उच्च शिक्षा में बेहतर हुआ छात्र-शिक्षक अनुपात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 सितंबर।

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुआ है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआइएसएचई) के मुताबिक 2018-19 में छात्र शिक्षक अनुपात 26 रहा है जो 2017-18 में 29 था। नियमित दाखिलों के आधार पर पीटीआर 24 रहा जो पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 25 था। वहीं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पीटीआर 29 रहा जो 2017-18 में 30 था। इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध इकाइयों में छात्र शिक्षक अनुपात 18 रहा है जबकि 2017-18 में यह अनुपात 20 था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की ओर से एआइएसएचई रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है, यह नौवीं रिपोर्ट है। छात्र शिक्षक अनुपात का अर्थ है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या।

एआइएसएचई की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों की कुल संख्या 14,16,299 है जिनमें से 57.8 फीसद पुरुष और 42.2 फीसद महिलाएं हैं। 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल शिक्षा की संख्या 13,88,732 थी। वर्तमान में रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिलाओं की सबसे कम संख्या बिहार में है, जहां 78.97 फीसद पुरुष शिक्षक और 21.03 फीसद महिला शिक्षक हैं। झारखंड इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां पुरुष शिक्षक 69.8 फीसद और महिला शिक्षक 32.3 हैं। केरल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मेघालय, नगालैंड, दिल्ली और गोवा में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों के मुकाबले ज्यादा है। 2018-19 के सर्वेक्षण में कुल 962 विश्वविद्यालयों, 38,179 महाविद्यालयों और 9190 स्वतंत्र संस्थानों ने हिस्सा लिया।

सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 100 पुरुष शिक्षकों की तुलना में सिर्फ 73 महिला शिक्षक हैं। मुसलिमों के मामले में 100 पुरुषों की तुलना में 57 महिला शिक्षक हैं, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों के संदर्भ में 100 पुरुषों के मुकाबले 151 महिलाएं हैं, लेकिन दिव्यांग वर्ग में 100 पुरुष शिक्षकों के मुकाबले मात्र 37 महिला शिक्षक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 100 पुरुषों के मुकाबले विश्वविद्यालय में 58 महिला शिक्षक, महाविद्यालयों में 76 महिला शिक्षक और स्वतंत्र संस्थानों में 71 महिला शिक्षक हैं। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी या पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रति 100 पुरुष शिक्षकों के मुकाबले 47 महिला शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण में 68, प्रबंधन संस्थानों में 61, मंत्रालय के तहत संस्थाओं में सबसे कम 18 महिला शिक्षक हैं।

दस का सिक्का दिए जाने से यात्री ने चाकू मारा

मुंबई, 23 सितंबर। नवी मुंबई में सोमवार को एक बस में 10 रुपए के नोट बजाय सिक्का दिए जाने से गुस्साए यात्री ने बस परिचालक को चाकू मार दिया। पुलिस ने बताया कि कोपरखैराने से पनवेल जा रहा तन्मय कावठेकर ने परिचालक नवी मुंबई नगर परिवहन (एनएमएमटी) बस के परिचालक रामेश्वर इप्पर (25) को दस रुपए के टिकट के लिए 20 रुपए दिए। परिचालक ने उसे 10 रुपए का सिक्का दिया जिसको लेने से कावठेकर ने इनकार कर दिया और नोट मांगने लगा। परिचालक ने जब उसकी बात नहीं मानी तो वह भड़क गया और चलती बस में उसे चाकू मार दिया। कावठेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। **(भाषा)**

मै. वैल्यू मेकर्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापक का पताः बी-165, जंगपुरा बी, नई दिल्ली-110018; सम्पर्कः 91-11-24377675
ई-मेल आईडीः vntg631@gmail.com
ई-नीलामी बिक्री सूचना
दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट http://www.eauctions.co.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. लिंकस्टार इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	5 अक्टूबर, 2019 को 1.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप.
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	4.10.2019
निरीक्षण की तिथि एवं समय	2 अक्टूबर, 2019 को 12 बजे अप. से 5.00 बजे सायं तक। निरीक्षण के लिये सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम श्री अजीम खान, सम्पर्क नं.: 9717829791

लॉट नं.	विवरण	आरक्षित मूल्य (लाखो में)	ईएमडी (रु.) (लाखो में)
1.	मर्सडीज बेंज कार सी 220 सीडीआई मॉडल-2014 पंजीकरण संख्या डीएल 6 सी एम 7665 यूरो-3 इन्स्युरैन्स उपलब्ध नहीं	6.75	1.00

ईएमडी (अप्रतिदेय) का भुगतान 4 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व "फॉर्च्यून ग्रैफिक्स लिमिटेड (परिसमापन में)" की खाता, खाता नं. 3757040123 तथा आईएफएससी कोड CBIN0282737 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा इच्छुक बोलीदाता को करना होगा अथवा यह भुगतान "वैल्यू मैकर्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)" के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा किया जायेगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिये श्री दीक्षित प्रजापति (M 7874138237) से admin@eauctions.co.in पर या परिसमापक से उनके ई-मेल vntg631@gmail.com पर सम्पर्क करें।
हस्ता/-
सीए विनीत अग्रवाल
स्थानः नई दिल्ली — वैल्यू मैकर्स इन्टरनेशनल प्रा. लि. (परिसमापन में) के परिसमापक
तिथिः 23.09.2019 — आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00475/2017-18/10818

कार्पोरेशन बैंक
दिलशाद गार्डन शाखाः एफ-14, दिलशाद कालोनी, दिल्ली-110095
फोनः 011-22357438, 22353490, 22354875, 22354043
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें] नियम 2002)
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने कार्पोरेशन बैंक ब्रांच दिलशाद गार्डन, एफ-14, दिलशाद कालोनी, दिलशाद गार्डन, पुरानी सीमापुरी रोड, दिल्ली - 110095 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **05.07.2019** जो जारी कर ऋणधारक **श्री मनोज जोशी एवं श्रीमती नीता जोशी** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ सूचना में वर्णित राशि **₹ 10,48,226.28 (रुपए दस लाख अड़तालीस हजार दो सौ छब्बीस और अठाईस पैसा मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक / गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 17 सितम्बर, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय कार्पोरेशन बैंक, एफ-14, दिलशाद गार्डन, दिल्ली से करने पर ब्याज व अन्य खर्चों के लिए उपरोक्त बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम व पता	अचल संपत्तियों का विवरण	बकाया राशि
1.	उधारकर्ताः श्री मनोज जोशी फ्लैट नं. 1007, टावर जॉसमिन अजनारा इन्टेग्रिटी, एन.एच.-58, राज नगर एक्स., गाजियाबाद (उ.प्र.) एवं श्रीमती नीता जोशी फ्लैट नं. 1007, टावर जॉसमिन अजनारा इन्टेग्रिटी, एन.एच.-58, राज नगर एक्स., गाजियाबाद (उ.प्र.)	फ्लैट नं. 1007, टावर जॉसमिन अजनारा इन्टेग्रिटी, एन.एच.-58, राज नगर एक्स., गाजियाबाद (उ.प्र.)	रुपये 10,48,226.28/- (रुपये दस लाख हड़तालीस हजार दो सौ छब्बीस और अठाइस पैसे मात्र) इसके अलावा ब्याज पर 11.75% प्रति वर्ष, मासिक ब्याज के साथ 02.00% प्रतिवर्ष दंड ब्याज लागू दिनांक 06.07.2019 से।

दिनांकः 17.09.19
स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

मध्य प्रदेश के 'मोहपाश' मामले में एसआइटी गठित

प्राथमिकी दर्ज कराने वाले अधिकारी को निलंबित किया

भोपाल, 23 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इंदौर में दर्ज किए गए हनी ट्रैप (मोहपाश) मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है।

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा यहां सोमवार को इस मामले में अधिकृत तौर पर बताया गया है कि इंदौर के पलासिया पुलिस थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिह ने एसआइटी गठित कर दी है। एसआइटी का गठन पुलिस मुख्यालय में पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध अनुसंधान) डी श्रीनिवास वर्मा के नेतृत्व में किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने इस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस ने इंदौर नगर निगम के अधीक्षण इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह की पांच महिलाओं समेत छह सदस्यों को भोपाल और इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। नगर निगम अधिकारी ने पुलिस को बताया कि गिरोह ने उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर उनसे तीन करोड़ रुपए की मांग की थी। ये क्लिप खुफिया तरीके से तैयार किए गए।

इस बीच मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले इंदौर नगर निगम के एक आला अधिकारी को अनैतिक कार्य में शामिल होने के आरोप में सोमवार को पद से निलंबित कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम प्रशासन ने इस शहरी निकाय के अधीक्षण इंजीनियर हरभजन सिह को वर्ष 1965 के मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत निलंबित किया। निलंबन आदेश में कहा गया कि अनैतिक कृत्य (हनी ट्रैप मामले) में सिंह की कथित संलिप्तता पहली नजर में अशोभनीय होने के साथ नैतिक पतन की परिचायक है। इस कारण उनकी पेशेवर कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।

स्टैण्डर्ड सरफैक्टेंट्स लिमिटेड
सीआईएनः L24243UP1989PLC010950
रजिस्टर्ड कार्यालयः 8/15, आर्य नगर, कानपुर-02
ई-मेलः secretarial@standardsurfactants.com
वेबसाईटः www.standardsurfactants.com
वार्षिक आम सभा के स्थगन की सार्वजनिक सूचना
कंपनी के शेयरधारकों को यह सूचना दी जाती है की कंपनी की 30वीं वार्षिक आम सभा कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई है और अब यह सोमवार, 30 सितम्बर 2019 को अपराह्न 02:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी। अधिक सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.standardsurfactants.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर उपलब्ध है
वास्ते स्टैण्डर्ड सरफैक्टेंट्स लि0
हस्ता0/-
(पवन कुमार गर्ग)
चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक
दिनांकः 23.09.2019
स्थानः कानपुर — डी.आई.एन.-00250836

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication
O.A. No. 824/2019 — Date : 07-09-2019
(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)
ORIENTAL BANK OF COMMERCE ....Applicant
Versus
M/s A.S. Enterprises and Others ....Defendants
To,
Defendants:-
1. **M/s A.S. Enterprises,** Khasra No. 1147, Siddique Nagar, Meerut Road, Ghaziabad (U.P.)- 201001 through its proprietor Smt. Sarika Bansal
2. **Smt. Sarika Bansal Wife of Sri Ajay Bansal,** resident of R-7/E-48, Sector-7, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P.
In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **27-11-2019 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
रोहिणी, सेक्टर-8 (1506) शाखा, 101-110, प्रथम तल, प्लाज़ा सी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, फोनः 011-27945991, 27940573, ईमेलः iob1506@iob.in
सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत
ऋणधारक/मार्टगैजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना
स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 6.6.2019

क्रम सं.	ऋणधारक
1.	श्री राधेय शाम पुत्र श्री किशन लाल निवासीः फ्लैट न. 93, विकास शील अपार्टमेन्ट्स सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085

प्रिय महोदय,
संदर्भ, इंडियन ओवरसीज बैंक, रोहिणी, सेक्टर 8 शाखा में आपकी साख सुविधाएं
1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक के हमारी रोहिणी, सेक्टर 8 शाखा के निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की है। विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा (रु.)	ब्याज का दर	5.9.2019 को कुल बकाया* (रु.)
1.	न्यू मारुति स्विफ्ट VDI एएमटी मॉडल कार की खरीद के लिये पुष्पक योजना के अंतर्गत सावधि ऋण	रु. 720000/- (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र)	एक वर्ष एमसीएलआर+50% अर्थात् 9.20% वर्तमान में +2% अधिशेष ब्याज	रु. 656476.07 (रुपये छः लाख छप्पन हजार चार सौ छियत्तर एवं पैसे सात मात्र)
2.	मारुति विटारा ब्रेजा वीडीआई एएमटी मॉडल कार की खरीद के लिये पुष्पक योजना के अंतर्गत सावधि ऋण	रु. 800000/- (रुपये आठ लाख मात्र)	एक वर्ष एमसीएलआर+50% अर्थात् 9.15% वर्तमान में +2% अधिशेष ब्याज	रु. 743991.00 (रुपये सात लाख तैंतालिस हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)

* ऊपर वर्णित तिथि से भुगतान की तिथि का अनुबंधित दरों/रेस्ट्स पर आगे के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
ये साख सुविधाएं क्रम सं. 1 में वर्णित ऋणधारक के नाम में स्थित मारुति स्विफ्ट-वीडीआई एएमटी मॉडल कार तथा मारुति विटारा ब्रेजा-वीडीआई एएमटी मॉडल कार के हाइपोथकेशन द्वारा नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है।
समय-समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।
2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

प्रतिभूति का प्रकार (हाइपोथेकेशन/मार्टगेजर आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण
1. हाइपोथेकेशन	मारुति स्विफ्ट-वीडीआई एएमटी मॉडल कार पंजीकरण सं. DL8 CAT 7143 चैसिस नं. MBHCZC0355B118539 इंजिन नं. D13A-3225817 कलरः पर्ल आर्कटिक व्हाइट वाहन श्री राधेय शाम के नाम पंजीकृत है।
1. हाइपोथेकेशन	मारुति विटारा ब्रेजा-वीडीआई एएमटी मॉडल कार पंजीकरण सं. DL8 CAU 4168 चैसिस नं. MA3NYFB1SJE395072 इंजिन नं. D13A-5662755 कलरः पर्ल आर्कटिक व्हाइट वाहन श्री राधेय शाम के नाम पंजीकृत है।

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.8.2018 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि आप क्रम सं. 1 में ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से यथा स्वीकृत मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज 9.20% की दर से + अधिशेष ब्याज 2% की दर से तथा 9.15%+2% अधिशेष ब्याज के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 656476.07 (रुपये छः लाख छप्पन हजार चार सौ छियत्तर तथा पैसे सात मात्र) तथा रु. 74399/- (रुपये सात लाख तैंतालिस हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. हम, पुनः क्रम सं. 1 को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
6. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
7. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
8. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
9. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
10. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

आपका विश्वासभाजन
प्राधिकृत अधिकारी

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
विश्वास की एक परंपरा
नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयः इलाहाबाद बैंक भवन, पहली मंजिल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001
फोनः 011-23345518 फैक्सः 011-23367770
ई-मेलः zo-newdelhi@allahabadbank-in
प्रतीकात्मक कब्जा सूचना [नियम-8(1)]
जैसे कि इलाहाबाद बैंक के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक **08.05.2019** को एक मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार **मैसर्स आरएस मेटल उद्योग (उधारकर्ता) श्री राकेश अग्रवाल पुत्र स्व.श्री सी.एम.अग्रवाल (प्रोपराइटर) श्रीमति मीना अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल बंधककर्ता/जमानती और श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल (जमानती)** को नोटिस में उल्लेखित धनराशि **रूपये 1,48,91,149.00/- (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख इकानवे हजार एक सौ उन्पचास) 07.05.2019** से उक्त खाते में प्रभारित ब्याज, अन्य खर्चे व भुगतान सहित उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया।
कर्जदार(ों)/सह-उधारकर्ता(ों)/बंधकर्ता(ों)/जमानती(यों) के राशि अदा कर पाने में असफल रहने पर कर्जदार(ों)/सह-उधारकर्ता(ों)/बंधकर्ता(ों)/जमानती(यों) और सर्व सामान्य को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक **21 सितम्बर, 2019** को कब्जा ले लिया है।
सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रितकिया जाता है।
विशेष रूप से कर्जदार(ों)/सह-उधारकर्ता(ों)/बंधकर्ता(ों)/जमानती(यों) तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इलाहाबाद बैंक को देय धनराशि **रूपये 1,48,91,149.00/- (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख इकानवे हजार एक सौ उन्पचास) 07.05.2019 तक** के साथ-साथ ब्याज सहित अन्य खर्चे के अधीन होगा।
अचल संपत्ति का विवरण बंधक
बंधक आवासीय फ्लैट नंबर 38-ए, ग्राउंड फ्लोर, डीडीए एमआईजी फ्लैट, ब्लॉक-ईडी, पीतम पुरा, नई दिल्ली -88 में जो श्रीमती मीना अग्रवाल के नाम है।
दिनांकः 21.09.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — इलाहाबाद बैंक

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. (अर्सिल)
Arcil
(मै. ऑरोप्रूब लैबोरेटरीज से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिये स्थापित ट्रस्ट(टों) के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत
अर्सिल कार्यालयः द रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट) मुम्बई-400028
वेबसाईटः www.arcil.co.in
बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2) तथा नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल एवं चल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास हाइपोथेकेटेड/मार्टगैज/बंधक रखी गई नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्ति जिसका एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड-प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की ऑरोप्रोब लैबोरेटरीज से एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 27 सितम्बर, 2012 से आगे के ब्याज एवं खर्चे के साथ 26 सितम्बर, 2012 को रु. 13,45,33,381.63 (रुपये तेरह करोड़ पैंतालिस लाख तैंतीस हजार तीन सौ इक्यासी एवं पैसे तिड़ेसठ मात्र) की वसूली के लिये "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है आधार" पर 10 अक्टूबर, 2019 को 3.00 बजे अप. में बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 4.30 करोड़ (रुपये चार करोड़ तीस लाख मात्र) है। धरोहर राशि भुगतान रु. 43,00,000 (रुपये तैंतालिस लाख मात्र) होगी।
सम्पत्ति का विवरणः

ग्राम- आबूपुर, मुराद नगर, गाजियाबाद के निकट, दिल्ली-मेरठ रोड, उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि माप 9714.48 वर्ग मी. तथा भवन माप 40000 वर्ग फीट
परिसर के भीतर मशीनरीज एवं साजो-सामान

अर्सिल को ज्ञात अधिभारः अर्सिल को ज्ञात नहीं
(रु. 1.99 लाख की श्रमिकों का बकाया तथा 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज (सूचना तिथि 6 जुलाई, 2017) का वहन क्रेता को करना होगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड-प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् http://www.arcil.co.in में दी गई लिंक देखें तथा अर्सिल के अधिकारी अर्थात् कमल मिश्रा (022-66248654/श्री मेराज सैयद (022-66248655/9820485425)/09819820760)/श्री अमरेन्द्र म्यूलाय (022-66248623/9821152080) से सम्पर्क करें।
यह बिक्री पूरी तरह से इस विज्ञापन में तथा आमंत्रण एवं बिक्री की शर्तों के लिये निर्धारित दस्तावेज में शामिल नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। आमंत्रण एवं बिक्री की शर्तों के लिये दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी, एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि., द रूबी, 10वाँ तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई-400028, फोनः 022-6658 1300/655 अथवा अर्सिल-आर्म्स ऑफिस, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नं. 2, 2रा तल, एम.ओ.आर. लैंड, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 से एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. के पक्ष में देय मुम्बई में भुगतान योग्य डीडी/पीओ द्वारा रु. 2000/- (अप्रदेय) के भुगतान पर 24 सितम्बर, 2019 से 10 अक्टूबर, 2019 तक सभी कार्य दिवसों को 10 बजे अप. से 5 बजे अप. के बीच प्राप्त की जा सकती है।
स्थानः मुम्बई — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 24 सितम्बर, 2019 — एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि.

भय का माहौल पैदा कर रही है भाजपा : ममता

कोलकाता, 23 सितंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि एनआरसी को लेकर उसने भय का माहौल बनाया है। सोमवार को बनर्जी ने दावा किया कि इस वजह से राज्य में छह लोगों की मौत हो गई। तृणमूल सुप्रीमो ने यहां व्यापार संघों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) लागू नहीं होने देंगी। बनर्जी ने कहा, 'एनआरसी बंगाल या देश के किसी भी हिस्से में नहीं होगा। असम में यह असम समझौते की वजह से हुआ।'

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा : इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014, मो. : 9650392255, ईमेलः bm1207@obc.co.in
नियम - 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारन्टरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रु. में) मांग सूचना के अनुसार
1	श्याम सुन्दर और गणेश प्रसाद गुप्ता	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्पिक रिहायशी मकान नं. के-1083, द्वितीय तल, सैक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद-201002 में स्थित, क्षेत्रफल 31.28 वर्ग मी., सब रजिस्ट्रार-II, गाजियाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में - मकान नं. के 1078, पश्चिम में - मकान नं. के-1084, उत्तर में - मकान नं. के-1030, दक्षिण में - 20फिट चौड़ी रोड	09-07-2019 / 19-09-2019	₹ 7,03,296.55 दिनांक 09.07.2019 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार

दिनांक 19-09-2019, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

खबर कोना

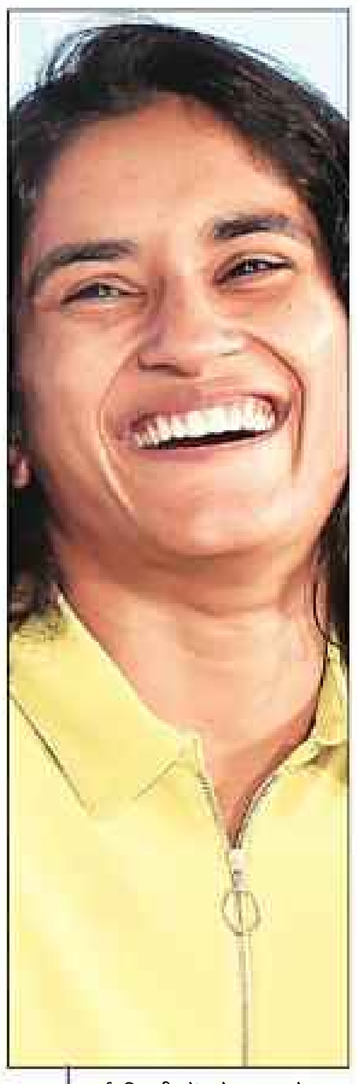

नई दिल्ली में सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान पहलवान विनेश फोगाट।

ट्रंप ने बास्केटबॉल लीग में जताई दिलचस्पी

मुंबई, 23 सितंबर (भाषा) ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई में होने वाली एनबीए बास्केटबॉल को देखने के लिए भारत आने की रविवार को इच्छा व्यक्त की जिसके बाद आयोजकों ने अगले महीने होने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान स्टेडियम के खचाखच भरने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछा, प्रधानमंत्री, क्या मुझे निमंत्रण है? ट्रंप ने बास्केटबॉल लीग में अपनी दिलचस्पी जताई जिसका मुंबई में चार और पांच अक्तूबर को सत्र पूर्व आयोजन होगा। इस दौरान पहला मुकाबला सक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेसर्स के बीच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया। एनबीए के वैश्विक व्यापार संचालन के उपाध्यक्ष डिएने गौउटा ने एजंसी से कहा, हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा प्रशंसकों तक पहुंचने की है। इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बांग्लादेश ने भारत को अंडर 18 फुटबॉल में ड्रा पर रोका

काठमांडू, 23 सितंबर (भाषा) ।

भारत को सैफ अंडर-18 फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले में सोमवार को यहां बांग्लादेश ने गोलरहित ड्रा पर रोक दिया। भारतीय टीम ने मैच में आक्रामक शुरुआत की लेकन नौवें मिनट में ही गोलकीपर प्रभसुकान सिंह गिल चोटिल हो गए जिससे कोच फ्लोएड पिंटो को बदलाव करना पड़ा। बांग्लादेश के रक्षापंक्ति के खिलाड़ियों की शानदार तालमेल के कारण भारतीय अग्रिम पंक्ति को गोल के लिए मौके बनाने में परेशानी हुई। भारतीय टीम के पास हालांकि मैच के 36वें मिनट में गोल करने का मौका था लेकिन सुमित राठी का हेडर गोलपोस्ट के ठीक ऊपर से निकल गया। मध्यांतर के बाद भी मैच पर भारत ने पकड़ बनाए रखा लेकिन टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही बांग्लादेश के खिलाफ गोल नहीं कर सकी। पिंटो ने इसे मुश्किल मुकाबला करार दिया।

फिक्सिंग को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकताः गावसकर

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) ।

पूर्व कप्तान सुनील गावसकर का मानना है कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई लालच में ऐसा करने के लिए तैयार रहेगा जिसका कोई इलाज नहीं है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से जुड़े खिलाड़ियों और अधिकारियों पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने के आरोप लगने के बाद गावसकर ने यह प्रतिक्रिया दी। इस मामले में जांच चल रही है। 'क्रिकबज' वेबसाइट ने गावसकर के हवाले से कहा, लालच ऐसी चीज है जिसमें शिक्षा, मार्गदर्शन, भ्रष्टाचार रोधी लोगों के साथ कितने भी सेमिनार कोई मदद नहीं करने वाले। लालच मानवीय चीज है। गावसकर ने कथित तौर पर यह प्रतिक्रिया बंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा, सर्वश्रेष्ठ समाज, सबसे विकसित समाज में भी अपराधी होते हैं। क्रिकेट में भी हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो लालच से प्रभावित हो जाएंगे। कोई ना कोई कारण उन्हें कुछ करने के लिए बाध्य कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी चीज है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इस पूर्व महान बल्लेबाज ने हालांकि कहा कि अब यह संभव नहीं है कि आप गलत काम करके बच निकलें।

कुछ दिग्गजों ने सही समय पर खेल को कहा अलविदा तो कुछ जूझते रहे

एक पहेली की तरह है भारतीय क्रिकेटरों का संन्यास लेना

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) ।

भारतीय क्रिकेट में संन्यास किसी पहेली की तरह है जहां कुछ खिलाड़ियों ने सही समय यह फैसला किया जबकि कुछ इस बारे में फैसला लेने के लिए जूझते दिखे।

महेन्द्र सिंह धोनी के भविष्य पर जारी दुविधा ने एक बार फिर इस बहस को छेड़ दिया है कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक कब खेल को अलविदा कहेंगे। झारखंड के 38 साल के धोनी पिछले दो महीने से टीम के साथ नहीं हैं और नवंबर से पहले उनके टीम के साथ जुड़ने पर भी संशय बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को लेकर अब तक धोनी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है।

बीसीसीआइ के एक सूत्र ने एजंसी कहा, इस बात की संभावना बेहद कम है कि धोनी बांग्लादेश के दौरे के लिए उपलब्ध होंगे। बीसीसीआइ में हम सीनियर और ए टीम के क्रिकेटरों के लिए 45 दिन पहले मैचों (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू) की तैयारी कर लेते हैं जिसमें प्रशिक्षण, डोपिंग रोधी कार्यक्रम से जुड़ी चीजे शामिल हैं। यह पता चला है कि मंगलवार से शुरू हो रही विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय चैंपियनशिप में धोनी झारखंड के लिए नहीं खेलेंगे।

धोनी पर अब भी संशय बरकरार, गावसकर ने सही समय पर छोड़ा था क्रिकेट
कपिल ने विश्व रेकार्ड के लिए लंबे समय तक करिअर को खींचने की कोशिश की

दिग्गज सुनील गावसकर ने हाल ही में एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था, मुझे लगता है वह खुद ही यह फैसला कर लेंगे। हमें महेन्द्र सिंह धोनी से आगे के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम वह मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। गावसकर को एक क्रिकेटर के तौर पर सीधे स्पष्ट तौर पर बोलने के लिए जाना जाता है।

बात जब संन्यास की आती है तो गावसकर ने यह फैसला बेहतरीन तरीके से किया। गावसकर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की टर्न लेती पिच पर अपने अंतिम टैस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 96 रन बनाए थे। गावसकर 1987 में 37 साल के थे लेकिन अपनी शानदार तकनीक के दम पर 1989 के पाकिस्तान दौरे तक खेल सकते थे। वह इस खेल को अलविदा कहने की कला को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि अच्छे प्रदर्शन के बाद भी वह इस खेल का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। दिवंगत विजय मर्चेंट ने एक बार कहा था कि खिलाड़ी को संन्यास के फैसले के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उसे वैसे समय संन्यास लेना चाहिए जब लोग पूछे 'अभी क्यों', ना कि तब जबकि लोग यह पूछने लगे कि 'कब'। हर महान क्रिकेटर हालांकि गावसकर की तरह इस कला में माहिर नहीं रहा।

भारत के महान क्रिकेटरों में शुमार कपिल देव पर 1991 के आस्ट्रेलियाई दौरे पर उम्र का असर साफ दिख रहा था। कपिल विश्व रेकार्ड के करीब थे लेकिन उनकी गति में कमी आ गई थी और वह लय में भी नहीं थे। तत्कालीन कप्तान अजहरूद्दीन उनसे कुछ ओवर कराने के बाद स्पिनरों को गेंद थमा देते थे। उस समय भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से गेंदबाजी करने वालों में से एक जवागल श्रीनाथ को कपिल के टीम में होने के कारण तीन साल तक राष्ट्रीय टीम में मौका नहीं मिला था।

क्रिकेट को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे एक खिलाड़ी ने एजंसी से कहा, आप 10 साल की उम्र में खेलना शुरू करते हैं, 20 साल की उम्र में पदार्पण करते हैं और 35 साल की उम्र तक खेलते हैं। आप अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ एक चीज को दे देते हैं। आप पैसे कमाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और अचानक से आपको ऐसा फैसला करना होता है जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। गावसकर ने यह फैसला शानदार तरीके से किया जबकि कपिल ने लंबे समय तक करिअर को खींचने की कोशिश की। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के लिए टैस्ट क्रिकेट में आखिरी के दो साल शानदार रहे। उन्होंने 2008 के आस्ट्रेलिया दौरे से पहले संन्यास की घोषणा कर दी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि चयनकर्ता उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर करें। धोनी की सलाह पर द्रविड़ और गांगुली को एकदिवसीय टीम से बाहर किया गया लेकिन 2011 में टैस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन कर द्रविड़ ने एकदिवसीय टीम में जगह बनाई। द्रविड़ ने हालांकि घोषणा कर दी कि यह उनकी आखिरी एकदिवसीय श्रृंखला होगी इसके छह महीने बाद आस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने टैस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। सचिन तेंदुलकर के लिए हालांकि मामला बिल्कुल अलग था। वह शतक नहीं बना पा रहे थे लेकिन बल्ले से ठीक-ठाक योगदान दे रहे थे।

टी-20 विश्व कप से पहले कोहली का मंत्र

जोखिम नहीं तो फायदा नहीं

बंगलुरु, 23 सितंबर (भाषा) ।

अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप पर नजरें टिकाए बैठे कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वह भारतीय खिलाड़ियों को निर्भीक इकाई में ढालने के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं।

यहां के मैदान को लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के अनुकूल माना जाता है। इसके बावजूद भारतीय कप्तान का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हैरानी भरा था और टीम को इसका नुकसान भी हुआ लेकिन कोहली ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ संयोजन ढूंढने के लिए उन्हें जोखिम उठाने होंगे।

कोहली ने रविवार को एकतरफा मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम की नौ विकेट की हार के बाद कहा, हमें जोखिम उठाने होंगे, जब आप क्रिकेट मैच जीतना चाहते हो तब भी आपको जोखिम उठाने होते हैं, जब तक आप खेलना शुरू नहीं कर दो, तब तक कुछ तय नहीं होता। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम अपने अनुकूल हालात से और अधिक बाहर निकलकर खेलने के इच्छुक होंगे तो फिर हम इससे घबराएंगे नहीं कि टॉस के दौरान क्या हुआ। हमारा सामान्य विचार यही हैः हम प्रयास कर रहे हैं कि टॉस के दौरान क्या हुआ, उसे टीम के रूप में समीकरण से बाहर कर दें। लंबा बल्लेबाज क्रम कोहली को प्रयोग करने का मौका देता है लेकिन इसके बावजूद भारत को तीसरे और अंतिम टी-20 में नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा और श्रृंखला 1-1 से ड्रा रही। टी-20 श्रृंखला के बाद सभी की नजरें अब तीन टैस्ट की श्रृंखला पर होंगी और कोहली ने अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, हमारी टैस्ट टीम विश्व क्रिकेट की किसी भी अन्य टीम की तरह मजबूत है, विशेषकर अपने घरेलू हालात में हम सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हैं।

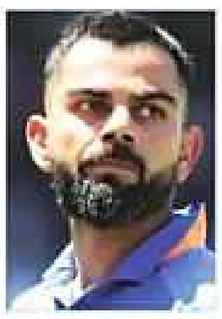

कहा जब तक आप खेलना शुरू नहीं कर दो, तब तक कुछ तय नहीं होता।

हमें पता है कि हमें क्या करने की जरूरत है।

भारतीय कप्तान ने कहा, यही कारण है कि हम जो सर्वश्रेष्ठ संयोजन खिला सकते थे उसे खिलाने का प्रयास किया क्योंकि हमारी बल्लेबाजी नौवें नंबर तक है। इसलिए आप पहले बल्लेबाजी करो या पहले गेंदबाजी करो, आपको पता होगा कि हम अच्छी स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा, मानसिक तौर पर अगर हम खुद को ऐसी स्थिति में ढालेंगे जिसमें हम कोई एक चीज करने की जगह कुछ भी करने को तैयार रहेंगे तो फिर हम किसी भी तरह की स्थिति का सामना करते हुए उसका फायदा उठाने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

कोहली ने कहा, जब तक आप ऐसा नहीं करते, जब तक आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं रहते, तब तक आपको किसी ना किसी तरह के दबाव का सामना करना होगा।

कोहली को दी गई चेतावनी

बंगलुरु, 23 सितंबर (भाषा) ।

भारतीय कप्तान विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान तेज गेंदबाज ब्यूरॉन हेंड्रिक्स से कंधा टकराने के लिए आधिकारिक चेतावनी दी गई और उनके खाते में एक 'डिमेरिट' अंक जोड़ा गया।

कोहली को यहां रविवार को खेले गए मैच में आइसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। लेवल 1 के उल्लंघन पर न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार और अधिकतम खिलाड़ी की मैच फीस का 50 फीसद जुर्माना तथा एक या दो डिमेरिट अंक दिया जाना शामिल है। आइसीसी ने बयान में कहा, कोहली को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टॉफ के लिए आइसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह अनुच्छेद किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान खिलाड़ी, खिलाड़ी के सहयोगी स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति (दर्शक सहित) के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित है। यह घटना रविवार को भारतीय पारी के पांचवें ओवर में घटी जब कोहली ने रन लेते समय गेंदबाज ब्यूरॉन हेंड्रिक्स से अपना कंधा टकराया था।

प्रो कबड्डी लीग में बंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बीच मुकाबला होते हुए।

दबंग दिल्ली और बंगलुरु बुल्स का मैच 39-39 से बराबर छूटा

जयपुर, 23 सितंबर (भाषा) ।

बंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बीच प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) का मैच सोमवार को यहां 39-39 से बराबरी पर छूटा।

दिल्ली ने मैच में अधिकतर समय बढ़त बना रखी थी लेकिन बुल्स ने पवन सहरावत के शानदार खेल से आखिरी समय में वापसी की। दिल्ली के रेडर नवीन कुमार ने मैच में 14 अंक बनाए। यह मैच टाई छूटने के बावजूद दिल्ली अंकतालिका में शीर्ष पर बना हुआ है।

हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पाइरेट्स को हराया : विकास कंडोला (13 अंक) के शानदार खेल के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ने सोमवार को यहां सवाई मान सिंह स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के मैच में तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स को 39-34 से हराया। हरियाणा की टीम ने इस जीत के साथ तालिका में तीसरे पायदान पर अपनी स्थिति मतबूत की। उसके नाम 17 मैच में 59 अंक है। पटना की टीम 18 मैच में 39 अंक के साथ नौवें स्थान पर है।

पटना पाइरेट्स के स्टार खिलाड़ी प्रदीप नारवाल ने 17 रेड अंक बनाए लेकिन जंग कुन ली (सात अंक) के अलावा उन्हें किसी और खिलाड़ी का साथ नहीं मिला। मध्यांतर के समय हरियाणा की टीम 17-15 से आगे थी। मैच खत्म होने से तीन मिनट पहले हरियाणा ने पटना को आलआउट कर अपनी बढ़त 38-29 की कर ली।

एक साल तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे वार्न

लंदन, 23 सितंबर (भाषा) ।

आस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वार्न 12 महीने तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे क्योंकि उन्हें दो साल में छठी बार तेजी गति से वाहन चलाने का दोषी पाया गया है।

पूर्व क्रिकेटर को विंबलडन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगस्त 2018 में केनसिंगटन में किराए पर ली गई जगुआर कार को 47 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से चलाने का दोषी पाया जबकि उस क्षेत्र में 40 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से ही वाहन चलाया जा सकता है। बीबीसी के अनुसार वार्न सुनवाई के दौरान अदालत में नहीं थे।

खेल मंत्री ने पंघाल, कौशिक को सम्मानित किया

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) ।

खेल मंत्री कीरेन रिजिजू ने रूस के एकातेरिनबर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले अमित पंघाल और मनीष कौशिक को सोमवार को यहां नकद राशि देकर सम्मानित किया।

रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले पंघाल (52 किग्रा) को 14 लाख रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया गया जबकि 63 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले कौशिक को आठ लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। दूसरी वरीयता प्राप्त 24 साल के पंघाल इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने इससे पहले 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जबकि 2019 में एशियाई चैंपियन में स्वर्ण जीते हैं। रिजिजू ने कहा, विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं। मुझे लगता है मुक्केबाजी में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। वे मुक्केबाज भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने क्वार्टरफाइनल तक का सफर तय किया।

रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमित पंघाल (52 किग्रा) को 14 लाख रुपए की नकद राशि दी गई
कांस्य पदक जीतने वाले मनीष कौशिक को आठ लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया।

कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से

इंचियोन (कोरिया), 23 सितंबर (भाषा) ।

विश्व चैंपियन पीवी सिंधू चीन ओपन के शुरू में बाहर होने की निराशा से उबरकर मंगलवार से यहां शुरू होने वाले कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से इस सत्र में बीडब्लूएफ विश्व टूर का खिताब जीतने के लिए अपनी कवायद शुरू करेंगी।

सिंधू पिछले सप्ताह चीन ओपन सुपर 1000 के दूसरे दौर में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से हार गईं थीं। कोरिया ओपन में 2017 की विजेता 26 साल की भारतीय को अब इसे भुलाकर इंचियोन में 400,000 डॉलर इनामी टूर्नामेंट पर ध्यान देना होगा।

दिल का दौरा पड़ने से 86 साल की उम्र में पूर्व क्रिकेटर माधव आप्टे का निधन **श्रद्धांजलि** सात टैस्ट मैच खेलें, एक शतक की मदद से बनाए 542 रन

ज्यादा मैच नहीं खेलने का था मलाल, लाला को मानते थे जिम्मेदार

नई दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) ।

माधव आप्टे को घरेलू क्रिकेट के दिग्गजों में शामिल किया जाता है लेकिन सात टैस्ट मैचों में लगभग 50 के औसत के बावजूद वह अपने टैस्ट करिअर को उतना लंबा नहीं खींच पाए जितने की उम्मीद लोगों ने की थी। दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया।

यह बता पाना मुश्किल है कि वेस्ट इंडीज की महान टीम के खिलाफ उसकी सरजमीं पर 1952-53 श्रृंखला में तीन अर्धशतक और 163 रन की पारी खेलने के बावजूद वह इस श्रृंखला के बाद आखिर सिर्फ एक ही टैस्ट क्यों खेल पाए। आप्टे ने अपने 542 टैस्ट रन में से 460 रन वेस्ट इंडीज दौरे पर बनाए लेकिन इस श्रृंखला के बाद सिर्फ एक टैस्ट खेल पाए। वह किसी टैस्ट श्रृंखला में 400 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज थे।

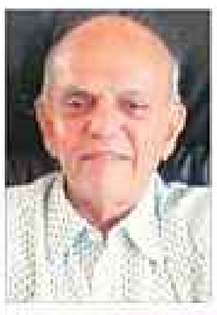

चार सौ से अधिक रन किसी टैस्ट श्रृंखला में बनाने वाले पहले भारतीय थे

संपन्न व्यापारिक परिवार में पैदा हुए आप्टे को एक प्रभावी खिलाड़ी होने के बावजूद अपने और टैस्ट नहीं खेल पाने में राजनीति नजर आई और उनका मानना था कि महान खिलाड़ी लाला अमरनाथ उस समय उन्हें बाहर किए जाने का कारण थे। वर्षों बाद आप्टे ने अपनी आत्मकथा 'ऐज लक वुड हैव इट-अनप्लग्ड अनकट' में अपना पक्ष रखा। आप्टे ने अपनी आत्मकथा में लिखा, टैस्ट क्रिकेट से अचानक मेरे बाहर होने का कभी कोई कारण नहीं बताया गया विशेषकर प्रभावी रेकार्ड के बावजूद। उन्होंने लिखा, लाला अमरनाथ ने चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। दूसरे टैस्ट (संयुक्त टीम के खिलाफ) के दौरान उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मेरे पिता से मिलने का अग्रह किया। वह दिल्ली में कोहिनूर मिल्स के कपड़ों के वितरण का अधिकार चाहते थे। वह घर आकर मेरे पिता से मिले। आप्टे के अनुसार, उनके पिता लक्ष्मण आप्टे समझ गए कि यह मुलाकात क्यों हो रही है। आप्टे ने अपनी आत्मकथा में लिखा, भाऊसाहेब पर्याप्त समझदार थे कि चीजों को समझ सकें। वह और मैं दोनों ही मेरे क्रिकेट करिअर और व्यवसाय को आपस में नहीं जोड़ते। उन्होंने शिष्टता के साथ लाला का वितरण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लाला कुछ और वर्षों तक चयन समिति के अध्यक्ष रहे। मुझे कभी दोबारा टैस्ट क्रिकेट खेलने के लिए नहीं चुना गया। हालांकि मुंबई क्रिकेट को पहचानने वाले लोग आप्टे को खेल के प्रति उनके प्यार के लिए याद करते हैं। अनुभवी पत्रकार मकरंद वायंगणकर ने याद करते हुए कहा, वह 50 साल तक कांगा लीग में खेले। वह आखिरी बार उस समय खेले जब 71 बरस के थे। वह बेदाग सफेद कपड़ों में किट बैग और छाते के साथ आम खिलाड़ी की तरह आते थे। 60 से अधिक की उम्र में उन्होंने अबे कुरुविला का सामना किया जो उनसे आधी उम्र का था।

सचिन ने जताया शोक

माधव आप्टे से जुड़ी अच्छी स्मृतियां याद हैं। जब मैं 14 बरस का था तो शिवाजी पार्क में उनके खिलाफ खेलने का मौका मिला। मुझे अब भी याद है जब 15 साल की उम्र में उन्होंने और (राज सिंह) डूंगरपुर ने मुझे सीसीआइ की ओर से खिलाया। उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया और मेरे शुभचिंतक थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
- सचिन तेंदुलकर

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 310, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।